खण्ड-335, अंक-1
बुधवार, 15 अग्रहायण, शक संवत् 1900
(6 दिसम्बर, 1978 ई0)

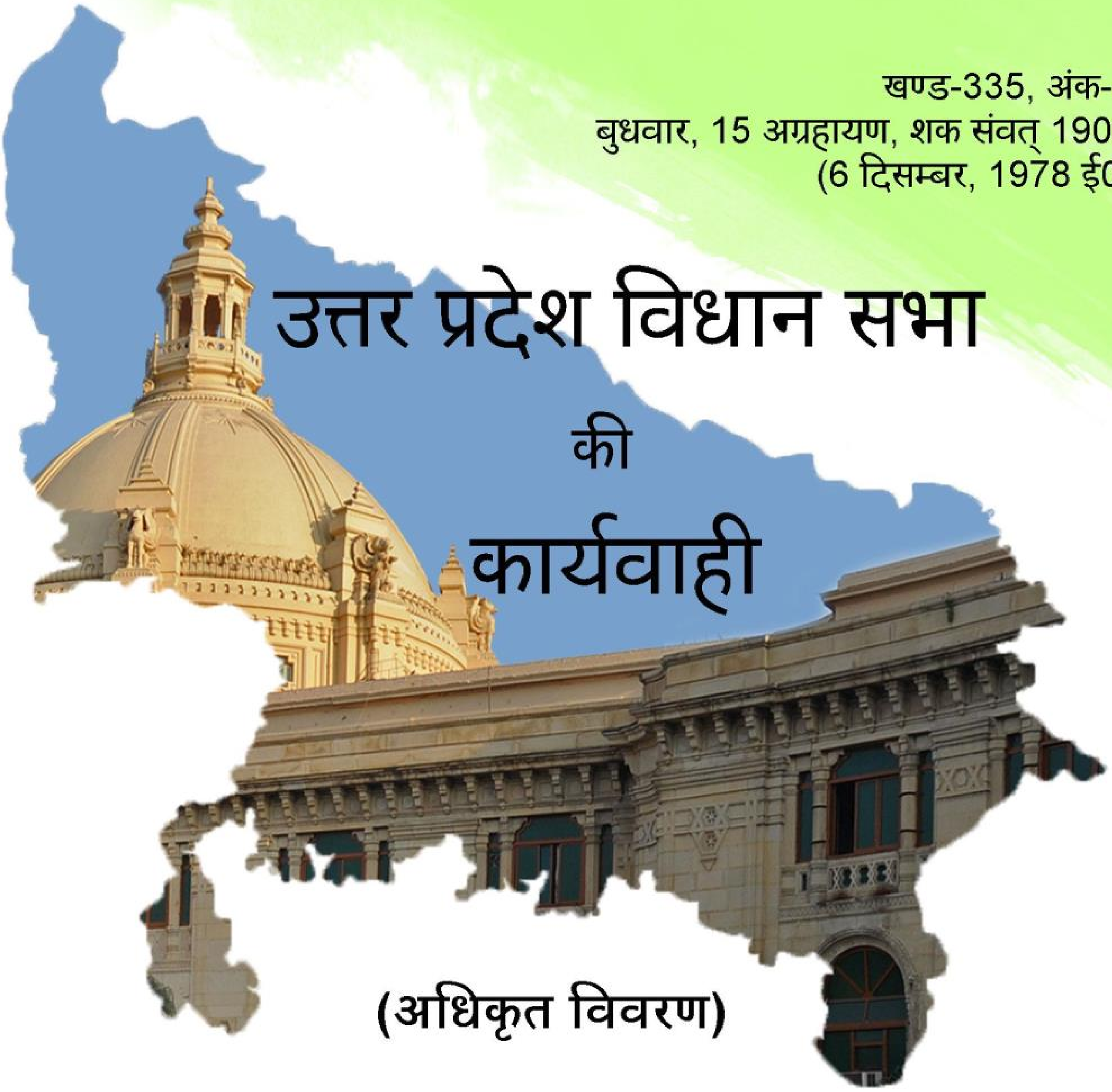

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 335 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1971

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	१–४
प्रश्नोत्तर	५–१०८
विधान सभा सदस्य, श्री हबीब अहमद तथा श्री शिव राज सिंह 'निर्भय' तथा भूतपूर्व अध्यक्ष, विधान सभा, श्री मफीसुल हसन एवं भूतपूर्व सदस्य श्री प्यारे लाल शर्मा, श्री राम चन्द्र सेहरा व श्री जसराम सिंह के निधन पर शोकोद्गार	१०८–११८
नस्थियां	११९–१३२

विधान सभा पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक ६ दिसम्बर, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (३५८)

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राममिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काली चरण, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्ता, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी उर्फ छेदी लाल, श्री
छोटे लाल, श्री

छोट लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मराज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बैजू राम, श्री
बनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रज लाल, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान पाल सिंह, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद उस्मान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री

मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह जूदेव, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राजबृज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे पासनान, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री

राम खारे, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रति देवी, मती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
रामसिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लखी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लोलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शत्रुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मिसल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोभन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्री चन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बक्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, (सिन्ध), श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि केवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्म चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट:- हरिजन समाज कल्याण मन्त्री श्रीमती चन्द्रावती, विद्युत् मन्त्री श्री रवीन्द्र किशोर शाही तथा राज्य कर मन्त्री श्री लक्ष्मी सहाय सक्सेना भी सदन में उपस्थित थे।

अस्थायी प्रदेश भारती

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ६ दिसम्बर, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

ग्राम सभाओं, क्षेत्र समितियों एवं जिला परिषदों का चुनाव

**१--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद) तथा श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में जिला परिषदों, क्षेत्र समितियों तथा गांव सभाओं के चुनावों के बारे में सरकार ने अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो इस बारे में शीघ्र निर्णय करने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है और यह चुनाव कब तक सम्पन्न करा दिए जायेंगे ।

ग्राम्य विकास मन्त्री (श्री जमुना प्रसाद)--

जी हां । ग्राम सभाओं का चुनाव उनके वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने अर्थात १४ जून, १९७९ से पूर्व ही कराये जाने का निर्णय ले लिया गया है और उसके लिए मतदाताओं की १८ वर्ष की न्यूनतम आयु के आधार पर मतदाता सूचियां बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ हो गया है । ग्राम सभाओं के चुनाव हो जाने के उपरान्त जिला परिषदों एवं क्षेत्र समितियों का गठन किया जायेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव सीधे आम मतदाताओं द्वारा कराने का सरकार का इरादा है ?

श्री जमुना प्रसाद--

सीधे चुनाव कराने का इरादा है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

यदि सीधे चुनाव कराने का इरादा है तो क्या उसके लिए ऐक्ट में संशोधन किया जायेगा ?

श्री जमुना प्रसाद--

संशोधन लायेंगे ।

श्री कृष्ण स्वरूप--

अशोक मेहता समिति ने क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए हैं क्या आप ऐक्ट में उनका समावेश करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी हां, करेंगे ।

श्री कल्प नाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उसमें से किन-किन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार किया है ?

श्री जमुना प्रसाद--

अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उस पर अब विचार-विमर्श होना है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

जब क्षेत्र समितियां कम हो गई हैं और अध्यक्ष तथा प्रमुख के चुनाव बाद में होंगे और बी० डी० ओज० निरकुंश हो गये हैं, तो उनके स्थान पर सरकार क्या किसी आदमी को प्रमुख मनोनीत करने जा रही है ?

श्री अध्यक्ष--

बी० डी० ओज० निरंकुश हो गए हैं यह आक्षेप है, इसका उत्तर नहीं दिया जायेगा ।

श्री जमुना प्रसाद--

ऐसा शासन का कोई विचार नहीं है कि बी० डी० ओ० की जगह, प्रमुख की जगह कोई आदमी मनोनीत कर दिया जाये ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

प्रत्यक्ष प्रणाली से क्षेत्र समिति और जिला परिषदों का चुनाव होगा, १८ वर्ष की आयु रखी गई है, तो इतना विशाल इलेक्टोरेट को देखते हुए क्या क्षेत्र समितियों के पुनर्गठन पर सरकार विचार करेगी ?

श्री जमुना प्रसाद--

पुनर्गठन पर कोई विचार नहीं हो रहा है ।

श्री उदय नारायण सिंह (जिला वाराणसी)--

जब सरकार ने फैसला कर लिया है कि सीधे चुनाव कराया जायगा तो ग्राम सभाओं का चुनाव कराने का इन्तजार क्यों है और क्या बिना इन्तजार किये हुए क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव करा दिये जायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न स्पष्ट नहीं है । ग्राम सभायें अलग हैं और क्षेत्र समितियां अलग हैं ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, जैसा उन्होंने कहा कि १४ जून, १९७९ तक चुनाव के लिए प्राविधान हो जायेगा, तो क्या उन्होंने इस पर विचार किया है कि कौन-कौन से कानूनों में परिवर्तन करना होगा ताकि चुनाव समय पर हो जायं ? यदि किया है, तो वह कौन-कौन से कानून हैं ? क्या वे सभी कानून इस सत्र में परिवर्तित कर दिये जायेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी हां, इस सत्र में परिवर्तित कर दिये जायेंगे ।

श्री श्याम धर मिश्र--

वह कौन-कौन से कानून हैं ?

श्री जमुना प्रसाद--

सीधे चुनाव करने की जो प्रक्रिया होगी उस सम्बन्ध में संशोधन आयेगा ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय ग्राम्य विकास मंत्री, उनका प्रश्न यह है कि कौन-कौन से अधिनियमों में परिवर्तन करना होगा ? यदि आप जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं तो इसके लिए आपको समय मांगना चाहिये ।

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, मैंने यह कहा जो चुनाव होंगे उस सम्बन्ध में जो डायरेक्ट चुनाव की प्रणाली है उसमें संशोधन आयेंगे ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि जिला परिषदों का चुनाव होने से पहले उनके अध्यक्ष नामजद करने का कोई विचार उनका है ?

श्री जमुना प्रसाद--

मान्यवर, यह शासन के विचाराधीन है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट पर शासन ने विचार कर अंतिम निर्णय नहीं लिया है और दूसरी तरफ उन्होंने तिथियां घोषित कर दी हैं । तो क्या उम्मीद की जाती है कि अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट पर विचार करके फिर तिथियों में कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ? क्या इस बात का वह आश्वासन देंगे ?

श्री जमुना प्रसाद--

इसमें आश्वस्त रहें कि चुनाव जो हैं वह मई के पहले ही करा लिये जायेंगे ।

श्री दीप नरायन (जिला गोण्डा)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक प्रमुखों का चुनाव होगा और जिला परिषदों को समाप्त कर दिया जायेगा ?

श्री जमुना प्रसाद--

इस सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहले से प्रधानों की उम्र ३० साल रखी गई थी । अब जब मतदाताओं की आयु १८ साल मान ली गई है तो क्या प्रधानों के उम्मीदवारों की आयु भी कम कर दी जायेगी ।

श्री जमुना प्रसाद—

अभी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

सरकारी अधिकारियों द्वारा विधान मंडल सदस्य एवं संसद सदस्य के साथ शिष्टाचार संबंधी आदेश

**२—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल), श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर), श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री कृपा शंकर आर्य (जिला देवरिया) तथा श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि कोई विधान मंडल का सदस्य या संसद का सदस्य किसी सरकारी अधिकारी अथवा सचिव से मिलने जाता है तो कोई शिष्टाचार सम्बन्धी नियम इस सम्बन्ध में हैं ? यदि हां, तो वे क्या-क्या हैं ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्री लक्ष्मण सिंह)—

जब कोई विधान मंडल का सदस्य या संसद का सदस्य किसी सरकारी अधिकारी अथवा सचिव से मिलने जाय, तो उसके प्रति क्या शिष्टाचार प्रदर्शित किया जाय, इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बने हैं ।

इस विषय पर शासन द्वारा कतिपय आदेश जारी किये गये हैं । यह निर्देश हैं कि जब विधायक गण या संसद सदस्य जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलने जायं, तो उनके साथ अत्यन्त नम्र एवं मृदु व्यवहार किया जाय। न केवल अधिकारी स्तर पर बल्कि जन सम्पर्क के सभी बिन्दुओं के छोटी से छोटी इकाई स्तर पर जन प्रतिनिधियों को समुचित सम्मान दिये जाने के आदेश शासन द्वारा जारी किये गये हैं। समस्त अधिकारियों और कर्मचारिवर्ग को यह निर्देश हैं कि वह विधान मंडल एवं संसद सदस्यों से मिलने में कठिनाई उत्पन्न न होने दें, उनके प्रति विनम्र व्यवहार करें एवं अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया कि कतिपय ऐसे आदेश जारी किये गये हैं जिनमें विधायकों और संसद सदस्यों के प्रति शिष्टाचार प्रदर्शित करने को कहा गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनके ज्ञान में भारत सरकार के कार्मिक प्रशासन सुधार विभाग का ८ नवम्बर, १९७४ का पत्र है जिसमें उस पत्र के पांचवें आइटम में साफ-साफ लिखा है कि जो भी कर्मचारी या अधिकारी—सचिव या अन्य अधिकारी हो, वह खड़े होकर किसी भी विधायक या संसद सदस्य से मिलेगा और जब इस प्रकार का उसमें निर्देश दिया गया है, तो क्या मंत्री जी को उस पत्र की जानकारी है ? यदि है, तो उसका अनुपालन विभाग द्वारा हुआ है या नहीं और यदि हुआ है, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

श्रीमन्, भारत सरकार के उक्त १९७४ के पत्र की जानकारी मुझे नहीं है·· (सदन में हंसी) ।

श्री श्याम धर मिश्र--

इसको स्थगित कीजिए, श्रीमन् ।

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)--

अब आप श्रीमन्, देखिए सचिवों और अधिकारियों के मध्य हम लोगों की क्या स्थिति है, संसद सदस्यों और विधायकों की स्थिति कितनी हास्यास्पद है । मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भी उसकी जानकारी नहीं है कि प्रोटोकाल क्या है ? उसकी जानकारी न होना बड़ी अजीब बात है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप इसको स्थगित कीजिए । इस पर जवाब मंत्री जी को नहीं देना चाहिए जब उनको जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, इस प्रश्न पर यदि आप तैयार नहीं हैं तो मैं इसको स्थगित किये देता हूं ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

मेरा निवेदन है कि भारत सरकार के क्या निर्देश हैं, उसकी सरकार के पास जानकारी नहीं है । अपनी सरकार के इसमें समय-समय पर आदेश हुए हैं, वह हैं, एक १८ जुलाई का है, एक अगस्त में हुआ है और एक अक्तूबर में हुआ है । समय-समय पर जिलाधिकारियों और मुख्यालयों के सभी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि वे विधायकों, संसद सदस्यों और जनता के नुमाइन्दों से शिष्ट व्यवहार करें और उन्हें कोई शिकायत का मौका न दें । यह साफ तौर से यहां से नहीं लिखा गया है कि यहां से वह जाएं तो कौन अधिकारी खड़े होंगे और कौन नहीं और कौन बैठेंगे । आशा यह की जाती है कि शासन की मंशा की पूर्ति की जा रही है । समय-समय पर शिकायत भी आई हैं, इसीलिए अधिकारियों की तवज्जेह इस ओर दिलाई गई है । यदि कहीं और कोई शिकायत हो, तो शासन का पुनः ध्यान आकर्षित किया जाएगा ।

श्री शिवानन्द नौटियाल--

जैसा मंत्री जी ने कहा है, तो मैं समझता हूं कि किसी माननीय सदस्य को यह आवश्यकता नहीं होती कि उसका कौन खड़े होकर स्वागत करे । यदि शासन द्वारा निर्देश दिये गये हैं और स्वयं मंत्री जी कह रहे हैं, उनके आधार पर पत्र लिखे गये हैं, तो जिन पत्रों का हवाला दिया गया है वह पत्र आपने अपनी ओर से दिए या भारत सरकार के निर्देश के आधार पर दिए ? अगर भारत सरकार की ओर से दिये तो यह मालूम हो जाना चाहिए और अपनी ओर से दिया तो भारत सरकार के पत्रों की अवहेलना क्यों की गई ? यह केवल शिष्टाचार की बात है, यदि उसके अन्तर्गत यह लिखा गया है, तो यह होना ही चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--

आपका निश्चित प्रश्न यह है कि क्या ये निर्देश गृह मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र के अनुसार दिये गये ? जिस परिपत्र का हवाला माननीय नौटियाल ने दिया, उसमें निश्चित रूप से निर्देश हैं कि जब माननीय सदस्य या संसद सदस्य

किसी अधिकारी के यहां जायं तो वे शिष्टता से खड़े होकर उनका स्वागत करें और जब वह जायं तब खड़े होकर विदाई दें, इस तरह का कोई निर्देश, आदेश जारी किया गया है या नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य को मेरे कहने से गलतफहमी हो गयी। इसकी आवश्यकता से मेरा मतलब यह था कि जैसे प्रिसीडेंस के हिसाब से कोई विधायक या संसद सदस्य जाते हैं, तो आशा की जाती है कि अधिकारी विशेष शिष्टता की तहत खड़े होकर (व्यवधान तथा शोर)।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कृपया शान्त रहें। कोई निर्देश इस प्रकार का है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने....

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

आपने जवाब मांगा था। वह कहां आया ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अभी माननीय मंत्री जी ने यह जानकारी दी कि जिस सरकारी आदेश का जिक्र माननीय सदस्य, श्री नौटियाल ने किया है उसकी जानकारी माननीय मंत्री जी को नहीं है। उस प्रपत्र की प्रतिलिपि मेरे पास है। इसमें लिखा है अन्त में कि इसकी प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों को भेजी गयी है। इसलिए मैं यह उम्मीद करता हूं कि जितनी राजाज्ञाएं केन्द्रीय सरकार से आयी होंगी उन सब की जानकारी माननीय मंत्री जी को विस्तृत रूप से होनी चाहिए। लेकिन यह बात सही है कि यह राजाज्ञा माननीय मंत्री जी के सचिवालय में है। मैं आपके समक्ष प्रार्थना करूंगा कि आज इस प्रश्न को स्थगित कर दें। माननीय मंत्री इस राजाज्ञा को साफ-साफ पढ़ लें। वह केवल शिष्टता से सम्बन्धित नहीं है। बहुत सी गम्भीर बातों की ओर शासकीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि यदि किसी मामले में हम कोई सुझाव देते हैं वह होता है या नहीं इस सम्बन्ध में सात दिन के अन्दर लिखित पत्र द्वारा जानकारी करा दी जायगी। तो आप इस प्रश्न को स्थगित करवा दें। माननीय मंत्री देख लें और यदि आप मेरी पहली प्रार्थना स्वीकार नहीं करते हैं तो अगला प्रश्न मेरा है....

श्री अध्यक्ष--

अब आप बैठिए। इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है। माननीय राज्य मंत्री तैयार होकर कृपया आएं।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

इस प्रकार के निर्देश उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा भी जारी हुए हैं, इस प्रकार की शिष्टता बरतने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी समय-समय पर निर्देश जारी हुए हैं श्री के० के० दास के जमाने में। मंत्री जी कहते हैं कि जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

इसीलिए यह प्रश्न स्थगित कर दिया है। माननीय मंत्री तैयार होकर आएं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

हमारे नियमों में व्यवस्था है कि यदि शासकीय अधिकारी माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए पूरी जानकारी नहीं देते तो उन पर कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष--

यह उनका मामला है। हमारे यहां तो उत्तरदायी मंत्री हैं।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

कुछ मंत्री सचिव के आने पर खड़े हो जाते हैं यह भी समझ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

कृपया एक सप्ताह में तैयार होकर आएं। यह प्रश्न पुनः लिया जायगा।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

नगरपालिका क्षेत्र में लागू की गयी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा योजना

*१--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के नागर क्षेत्रीय स्थानीय निकाय कौन-कौन से हैं जहां कि अभी भी अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना लागू नहीं है।

शिक्षा मंत्री (श्री काली चरण)--

९० नगरपालिका क्षेत्र तथा समस्त टाउन एरिया व नोटीफाइड एरिया क्षेत्र में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू नहीं है। नगरपालिका क्षेत्र की सूची संलग्न* है।

*(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ११९ पर।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत के संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्त संख्या ४५ में व्यवस्था है कि संविधान के प्रारम्भ होने के दस वर्षों के भीतर १४ वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी जायगी इसके बाद भी सूची में वर्णित ९० नगरमहापालिकायें ऐसी हैं जिनमें प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गयी है। क्या इस वित्तीय वर्ष में सभी स्थानों पर अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

श्री कालीचरण—

१९१९ में एक अधिनियम बना था जिसके अन्तर्गत यह अधिकार दिया गया था उसके अनुसार नगरपालिकाओं को अपने यहां पर प्राइमरी कम्पलसरी शिक्षा लागू करने का अधिकार रहा है। कुछ नगर पालिकाओं ने लागू किया और समय-समय पर भारत सरकार से निर्देश आये और उनके अन्तर्गत एक सहायक उपस्थिति अधिकारी होता था जो संरक्षकों को प्रेरित करता था कि वे अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजें और जो नहीं भेजते थे उन पर नाम मात्र का दन्ड भी दिया जाता था। सार्वभौम शिक्षा की व्यवस्था चल रही है कि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा उपलब्ध हो सके। अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है कि अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था लागू की जा सके। इसीलिये इसमें कठिनाई है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह काम नगर महापालिकाओं को करना था और वे स्वायत्तशासी निकाय रही हैं और सभी निकायों का नियन्त्रण सरकार का है तो इस वित्तीय वर्ष से अनिवार्य शिक्षा घोषित करने में क्या आपत्ति है ?

श्री कालीचरण—

सहायक उपस्थिति अधिकारी को इस नियम के अन्तर्गत जो दन्ड देने की व्यवस्था थी वह कोई प्रभावी नहीं थी जिससे प्रत्येक बच्चे को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जा सके। भारत सरकार के निर्देश के अनुसार शिक्षा का सार्वभौमीकरण किया गया है कि ६ वर्ष से ११ वर्ष के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की व्यवस्था की जा सके और इसके लिये मैदानी भाग में डेढ़ किलोमीटर और पहाड़ी क्षेत्र में एक किलोमीटर पर स्कूल खोले जांय। यह व्यवस्था सरकार अपने वित्तीय साधनों के आधार पर कर रही है।

श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अधिनियम जिसका माननीय मन्त्री जी ने जिक्र किया है, का उल्लंघन जिन नगर महापालिकाओं ने किया है उनके विरुद्ध शासन कार्यवाही करेगा ?

श्री कालीचरण—

वह अधिनियम में है कि नगर पालिकायें यह व्यवस्था लागू कर सकती हैं, यह नहीं कि वे यह व्यवस्था लागू जरूर करें।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब चूंकि प्राथमिक शिक्षा नगरपालिकाओं से निकाल कर बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कर दी गयी है इसलिए नगरपालिकाओं पर यह बात छोड़ देना उचित नहीं है, तो क्या बेसिक शिक्षा परिषद् की जिम्मेदारी नहीं है कि प्रत्येक स्थान पर अनिवार्य रूप से स्कूल खोले जायें जहां पर स्कूल नहीं हैं ?

श्री कालीचरण—

प्रश्न यह नहीं है कि स्कूल हैं या नहीं। अनिवार्य शिक्षा लागू किया है या नहीं।

श्री अध्यक्ष---

इनका प्रश्न यह है कि अब बेसिक शिक्षा अधिकारी इसकी व्यवस्था करते हैं तो इसको लागू करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री कालीचरण---

श्रीमन्, इसका उत्तर तो मैंने दे दिया । जब से प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का निर्णय शासन ने लिया है, वह प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक बच्चे जिसकी उम्र ६ से ११ वर्ष के बीच है, उसे प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो सके । वित्तीय साधनों को देखते हुये इसके लिये सरकार स्कूलों को खोलती जा रही है । अगले दो वर्षों में हमारा प्रयास होगा कि हर क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल की व्यवस्था हो जाये ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब से बेसिक शिक्षा परिषद् बनी है क्या उसने सभी प्राइमरी स्कूलों का कार्यभार सम्भाल लिया है ?

श्री कालीचरण---

यह सही है कि बेसिक शिक्षा का दायित्व बेसिक शिक्षा परिषद् में ले लिया है ।

देवरिया जिले की देवरिया शाखा नहर पर रेगूलेटर के निर्माण हेतु आमन्त्रित टेन्डर

*२---श्री बसन्त (जिला देवरिया)---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देवरिया में देवरिया ब्रान्च के किलोमीटर ७३ से लगायत २०० पर रेगुलेटर बनाने के सम्बन्ध में गन्डक नहर विभाग के द्वारा कोई टेन्डर वर्ष १९७६-७७ के ३१ मार्च तक आमन्त्रित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य आरम्भ किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री शारदा प्रसाद रावत)---

वर्ष १९७६-७७ में देवरिया शाखा के कि० मी० ७३,२०० पर रेगुलेटर बनाने के सम्बन्ध में कोई टेन्डर नहीं आमन्त्रित किया गया । टेन्डर प्रथम बार वर्ष १९७५-७६ एवं दुबारा वर्ष १९७७-७८ में मांगा गया । कार्य अभी आरम्भ नहीं किया गया है । रेगुलेटर का निर्माण अभी विचाराधीन है ।

*३---श्री बसन्त---

क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य को पूरा करने से पूर्व सम्बन्धित इन्जीनियर द्वारा भारी धनराशि की मांग टेन्डर निकले ठेकेदार द्वारा प्राप्त न होने के कारण कार्य स्थगित कर दिया जाता है ? यदि हां, तो उक्त इन्जीनियर के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने पर मन्त्री जी विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों

श्री शारदा प्रसाद रावत---

जी नहीं । कार्य की लागत के अनुसार दो प्रतिशत की धरोहर की धनराशि पास बुक एन० एस० सी० आदि के रूप में ठेकेदार को निविदा के साथ जमा करनी पड़ती है यदि शर्त के अनुसार धरोहर की धनराशि जमा नहीं की गई है तो निविदा को निरस्त करने का अधिकार सम्बन्धित अभियन्ता को है । जांच से स्पष्ट हुआ कि ठेकेदारों से किसी प्रकार की धनराशि नहीं मांगी गई है । ड्राइंग स्वीकृत न होने के कारण कार्य स्थगित किया गया था और टेन्डर स्वीकृत नहीं किये गये थे ।

श्री बसन्त---

जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत---

एस० ई० द्वारा ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)---

निविदा किस कारण से कैन्सिल की गयी है ? उसमें कौन-कौन सी कमियां थीं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत---

जिस ठेकेदार की निविदा सबसे कम रेट की थी उसने धरोहर जमा नहीं की थी, इसलिये उसका टेन्डर वैध नहीं था, दूसरे ड्राइंग जो कि चीफ इन्जीनियर के यहां से एप्रूव होना था वह भी नहीं हुई थी ।

श्री श्यामधर मिश्र ---

उसके लिये पहले एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल मिला होगा, उसके बाद टेन्डर मांगे गये होंगे । जब टेन्डर मांगे गये तो सबसे कम जिसका टेन्डर था उसको स्वीकार न करने का क्या कारण था और धरोहर के बारे में क्या उसने लिखित दिया कि वह धरोहर नहीं जमा करेगा ?

और जो जवाब श्रीमन् बताया कि रेगुलेटर का निर्माण अभी विचाराधीन है, तो विचाराधीन कैसे है ? एक ओर तो टेन्डर मांगे गये, विचाराधीन कैसे है ? यह विरोधाभास परस्पर कैसे हो रहा है ? मैं माननीय मन्त्री जी से उत्तर चाहता हूं इसका ।

श्री शारदा प्रसाद रावत---

जब निविदा आ गयी और धरोहर ठेकेदार की नहीं थी, जब निविदा आ गयी, तो वह वैध नहीं है । मुख्य नहर पर रेगुलेटर को बनना है, जिससे कि सिंचाई ज्यादा हो । ४१६ एकड़ रजबहा का है, ४२३ पर सिंचाई हो रही है ड्राइंग जब तक तक एप्रूव नहीं करेंगे, तब तक बनेगा ही नहीं । असिस्टेंट इंजीनियर इस प्रत्याशा में कि इसको स्वीकृत कर लेंगे, उसको मांगा, लेकिन उस ड्राइंग को स्वीकृत नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष ---

आपका उत्तर स्पष्ट नहीं है । आपका प्रश्न यह है कि टेंडर मांगे गये, रेगुलेटर के लिए और फिर आपका दूसरा उत्तर, रेगुलेटर का निर्माण विचाराधीन है । इसमें कौन सी बात सही है ? अगर निर्माण विचाराधीन है, तो यह टेंडर कैसे मांगे गये ? यह आपका प्रश्न है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन्, टेंडर की एक दूसरी बात है। टेंडर क्यों स्वीकृत हुआ दूसरी चीज है। ड्राइंग क्यों नहीं हुई यह दूसरी चीज है। टेन्डर जो स्वीकृत नहीं हुआ, इससे जो धरोहर की राशि है···

श्री अध्यक्ष --

यह प्रश्न नहीं है। आपका कहना है कि रेगुलेटर का निर्माण विचाराधीन है और आपके उत्तर के पहले पार्ट में लिखा है कि १९७६-७७ में टेंडर नहीं मांगे गये। लेकिन टेंडर मांगे गये तो टेंडर किस बात का है, जब निर्माण विचाराधीन है ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

गंडक नहर के बारे में यह प्राविधान है कि वहां रेगुलेटर लगाया जाय, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेन्ट इंजीनियर उसको बनवा सकते हैं लेकिन प्राविधान यह है कि पुनः इक्जीक्यूटिव इंजीनियर से स्वीकृति ली जाय। इस प्रत्याशा में टेंडर मांगे गये। लेकिन चीफ इंजीनियर ने यह कहा कि बिहार के लोग ज्यादा पानी नहीं ले रहे हैं और पानी हमारे पास ज्यादा उपलब्ध है, इसको बाद में किया जायगा इसलिए यह विचाराधीन है।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इसमें मेरी जानकारी है कि दो बार टेंडर इनवाइट किये गये, तो पहले टेंडर में जैसा मंत्री जी ने बताया कि उसमें इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर से पूछना पड़ता है। क्या यह सत्य है कि इस उपरोक्त कार्य के लिये दो बार टेंडर मांगे गये ?

श्री अध्यक्ष --

यह तो उत्तर में ही कहा है कि दो बार टेंडर मांगे गये।

श्री गुलाब सेहरा--

इक्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर से स्वीकृति लेनी पड़ती है। मेरा कहने का आशय है कि एक बार शासन से गलती हो गयी, तो दुबारा क्यों टन्डर लिये गये ?

श्री अध्यक्ष --

१९७५-७६, १९७७-७८ में टेंडर दो दफा मांगे गये और फिर आप कहते हैं कि रेगुलेटर का निर्माण का प्रश्न विचाराधीन है, तो यह विचाराधीन कैसे हुआ ? टेंडर बिना विचार किये हुए ही मांग लिये गये ?

श्री मैनेजर सिंह--

अध्यक्ष महोदय, आप इसमें यह और जुड़वा दें। ड्राइंग एप्रूव नहीं है। दूसरे, बिहार को पानी देना था इसलिये रोका गया। तो यह परस्पर विरोधी बातें हैं।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मान्यवर, जब दूसरी बार टेंडर काल किया गया तो ३ आदमियों ने टेंडर डाले । दो की धरोहर नहीं थी इसलिये एक रह गया । तो एक आदमी था इसलिये उसको कंसीडर नहीं किया गया ।

श्री गोविंद सिंह नेगी--

मान्यवर, उत्तर साफ नहीं है । क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पहली चीज ड्राइंग एप्रूव्ड नहीं थी, दूसरे आप कहते हैं धरोहर नहीं थी । तो जब यह मामला विचाराधीन है तो क्या कारण है कि इसके पूर्व टेन्डर मांगा गया ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

श्रीमन्, टेंडर जो मांगे गये हैं, नियमतः स्वीकृत करने की स्थिति में नहीं थे । मांग इसलिये गये थे कि प्रोजेक्ट में उस रेगुलेटर को बनना था ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि निर्माण कार्य अभी भी विचाराधीन है । ड्राइंग एप्रूव नहीं हुई तो क्या कारण है कि टेन्डर इन्वाइट किये गये ?

श्री अध्यक्ष --

यह उन्होंने उत्तर दिया है कि चीफ इंजीनियर की स्वीकृति की आशा में यह मन्जूर किया । अब उनका कहना है कि चूंकि पानी ज्यादा है इसलिये रेगुलेटर की अभी आवश्यकता नहीं है ।

श्री गोविंद सिंह नेगी--

मान्यवर, मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसा भी प्राविधान है कि बगैर चीफ इंजीनियर के ड्राइंग एप्रूव किये टेंडर मांग जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष --

माननीय बलबीर सिंह जी, स्थिति स्पष्ट नहीं हुयी है ।

श्री शारदा प्रसाद रावत--

इस रेगुलेटर को बनना है । एसिस्टेंट इंजीनियर ने इस प्रत्याशा में टेंडर काल किया कि रेट ठीक हो जायेंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मेरा प्रश्न स्पष्ट है क्या नियमों में प्राविधान है कि बगैर ड्राइंग एप्रूव हुये टेन्डर मांगे जा सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष --

माननीय सिंचाई मंत्री जी, आपका प्रश्न यह है कि पहले १९७५-७६ में टेंडर मांगे चीफ इंजीनियर की स्वीकृति की आशा में फिर दोबारा मांगा तो उन दोनों के बीच में स्वीकृति ली गयी या नहीं ?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

मैंने निवेदन किया कि धनराशि कितनी है उसके आधार पर टेन्डर स्वीकार करने का अधिकार है। नहर की डिजाइन जब तक चीफ इंजीनियर एप्रूव नहीं करेंगे तब तक नहीं बनती। टेंडर मांगना उनके अधिकार क्षेत्र में था। डिजाइन के लिए भेजा तो चीफ इंजीनियर ने कहा कि सवा लाख रुपया लगना है। पानी उपलब्ध है, तो जब पानी की कमी होगी तो उस वक्त इस रुपये को खर्च किया जायगा। अभी इसकी विशेष आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस रिजवायर पर ४१६ एकड़ की अपेक्षा ४२३ एकड़ की सिंचाई हो रही है।

श्री मैनेजर सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि जब ड्राइंग एप्रूव नहीं है तो डिजाइन क्या हो सकती है? इसलिए फिर टेण्डर किस बात का मांगा गया? इसलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

पहला टेन्डर १९७५-७६ में और दूसरा १९७७-७८ में मांगा गया। तो क्या यह माना जाये कि पहले टेण्डर की स्वीकृति चीफ इंजीनियर ने नहीं दी? फिर असिस्टेन्ट इंजीनियर ने मुख्य अभियंता के बिना पूर्व स्वीकृति के १९७७-७८ में टेन्डर मांग लिया, तो इसका क्या उत्तर है?

श्री शारदा प्रसाद रावत--

१९७७-७८ का यदि टेंडर स्वीकृत करने योग्य होता तो स्वीकृत होता, इसलिए विचाराधीन है।

श्री मैनेजर सिंह--

टेंडर में ऐसे ही पैसे खर्च होंगे तो प्रदेश की इस हानि को कौन देगा?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे अध्यक्ष जी क्या आप संतुष्ट हैं?

श्री अध्यक्ष--

मैं संतुष्ट नहीं हूं।

श्री देव बहादुर सिंह--

यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न का उत्तर यदि संतोषजनक नहीं है तो उसके लिए आधे घंटे की बहस के लिए आप समय मांग सकते हैं।

सीतापुर जिले के विकास खण्ड ऐलिया, खैराबाद एवं परसेण्डी की भवन विहीन प्राइमरी पाठशालायें

*४--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में विकास खण्ड ऐलिया, खैराबाद तथा परसेण्डी का जो क्षेत्र सीतापुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में है, में ऐसी प्राइमरी पाठशालायें कौन-कौन हैं जिनके पास पाठशाला का भवन नहीं है तथा इनके लिए भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री काली चरण--

सीतापुर जनपद के विकास खंड, ऐलिया में ११, खैराबाद में १८ तथा परसेन्डी में २६ प्राइमरी पाठशाला भवन रहित है । सूची संलग्न है ।

वर्ष १९७७-७८ में उपरोक्त विकास खंड ऐलिया में ३, खैराबाद में ३ तथा परसेण्डी में ३, प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण का कार्य ग्रामीण अभियंत्रण सेवा प्रखंड, सीतापुर को सौंपा गया है । इन नौ प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है । धनाभाव के कारण शेष ४६ प्राइमरी पाठशालाओं के भवन का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा, अभी बताना संभव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १२३ पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित ९ विद्यालयों के भवन के निर्माण का कार्य ग्रामीण अभियंता को कब दिया गया और इन विद्यालयों के निर्माण की प्रगति क्या है ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, इसमें सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि संपूर्ण ४६ विद्यालयों के भवन का निर्माण यदि तत्काल संभव न हो तो भी १९७८-७९ में कुछ विद्यालयों के भवन निर्माण कराने की कृपा क्या मंत्री जी करेंगे ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या होगी ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, प्रदेश में ऐसे प्राइमरी स्कूलों की संख्या हजारों में है जो भवन रहित हैं । उनकी तुलना में धन बहुत ही अल्प है । तो जितना संभव हो सकता है उतने भवन बनायेंगे और सीतापुर में २१ भवन बनाने को दिये गये हैं तो जैसे-जैसे धन उपलब्ध होता जायेगा वैसे-वैसे भवन बनाये जायेंगे :

श्री मित्र सेन--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विद्यालय के जो भवन बनने हैं उनके निर्माण की लागत जो है वह किस वर्ष आंकी गई थी और अब जब भवन बन रहे हैं तो इसमें लागत कितनी आ रही है ? तो पहले आंकी लागत और इस लागत में कितना अन्तर है ? उस अन्तर को क्या मंत्री जी देने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, यह सामान्य प्रक्रिया है कि कोई पहले का आंकलन जब गलत हो जाता है तो फिर नया आंकलन बनाया जाता है । धन की व्यवस्था होती रहती है । कोई नया नियम बनाना नहीं है ।

जैन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिकोहाबाद, मैनपुरी की संगीत अध्यापिका श्रीमती रोहितास कुमारी कुलश्रेष्ठ को वेतन का भुगतान

*५—श्री हाकिम लाल (जिला मैनपुरी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जैन कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शिकोहाबाद मैनपुरी में संगीत अध्यापिका पद पर श्रीमती रोहितास कुमारी कुलश्रेष्ठ का विधिवत चयन दिनांक २८ जनवरी, १९७८ को हुआ था एवं मण्डलीय बालिका निरीक्षिका, आगरा द्वारा बार-बार प्रबन्धक को सेवा कार्य ग्रहण करने के आदेश दिए लेकिन अभी तक अध्यापिका को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार भुगतान शीघ्र कराने की कृपा करेगी ?

श्री काली चरण—

जी हां, मण्डलीय निरीक्षिका द्वारा प्रबन्धक को सचेत कर दिया गया है कि यदि वे विभागीय आदेशों का पालन नहीं करते तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

श्री हाकिम लाल—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस अध्यापिका को वेतन भुगतान हुआ या नहीं ?

श्री काली चरण—

श्रीमन्, जो प्रश्न पूछा गया है उस में है कि वेतन भुगतान नहीं किया गया है, उत्तर में दे दिया है जी हां नहीं किया गया है । भुगतान नहीं किया गया है। भुगतान करने के आदेश मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका ने दे दिये हैं । उन्होंने यह भी आदेश दिये हैं कि यदि विभागीय आदेशों का पालन नहीं करते तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मंडलीय निरीक्षिका ने कब आदेश दिये और कब सचेत किया गया ?

श्री काली करण—

जो मेरे पास सूचना है उसके अनुसार ३१-७-७८ को मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका को आदेश हुये हैं । २६/७ से विद्यालय में एकल संचालन की व्यवस्था कर दी गयी है और उन्होंने प्रबन्धक को नोटिस दे दिया है कि अगर आदेशों का पालन नहीं करते तो प्रबंधक समिति को भंग करने की कार्यवाही की जायेगी ।

जौनपुर जिले के श्री शिव नारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की आडिट रिपोर्ट में पायी गयी अनियमितता

*६—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में स्थित श्री शिव नारायण उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गोपालपुर में आडिट रिपोर्ट में इस बात का आरोप है कि विद्यालय की कैशबुक में वित्तीय वर्ष १९७४-७५ व १९७५-७६ में प्रबन्धक

व प्रधानाचार्य ने हस्ताक्षर नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि गत वर्षों से विद्यालय की कैशबुक नहीं लिखी गई है ? क्या उक्त विद्यालय में सारी कार्यवाही अनियमित व धोखा-धड़ी से भरी पड़ी है ?

श्री काली चरण--

जी हां, वित्तीय वर्ष १९७४-७५ व १९७५-७६ में कैश बुक पर प्रबंधक, प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर आडिट के समय नहीं थे। अब प्रबन्धक व प्रधानाचार्य ने कैशबुक पर ३०-६-७८ तक के पृष्ठों के अंत में हस्ताक्षर कर दिये हैं आडिट के समय कैशबुक ३१-३-७६ तक लिखी गयी थी और अब ३०-६-७८ तक की लिखी जा चुकी है।

आडिट आख्या के अनुसार अध्यापकों का पी० एफ० विलम्ब से जमा करना, स्टाक पंजिका पर क्रय किये गये सामानों का न चढ़ाना, प्राभूत की आय का न होना, प्राइमरी पाठशाला की अनुदान जमा न करना तथा प्राप्त अनुदान व धन लम्बे समय तक नकद हाथ में रखना आदि अनियमिततायें हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न के उत्तर में अनेक आरोप सिद्ध हैं, दो-तीन साल तक कैशबुक में हस्ताक्षर नहीं करते, अन्य अनेक गम्भीर बातें आडिट रिपोर्ट में साफ-साफ कही गयी है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि यह सब शिकायतें शासन को कब मिली, आडिट रिपोर्ट कब मिली और अब तक इस में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, जो तथ्य और विवरण मेरे पास हैं इनसे पूर्णतया मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। पूरी आडिट रिपोर्ट मैंने मांगी है। आप से अनुरोध [illegible] कि आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न स्थगित किया जाता है।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आडिट आपका हुआ क्योंकि दो तीन साल इसमें शामिल है (कई आवाजें) प्रश्न तो स्थगित हो गया।

श्री अध्यक्ष--

श्यामधर जी, इस प्रश्न को तो मैंने स्थगित कर दिया। माननीय मंत्री जी इस का उत्तर अगले सप्ताह इसी दिन दे दीजिये।

श्री श्यामधर मिश्र--

अध्यक्ष का काम कौशिक जी कर रहे हैं।

गोरखपुर जिले के नौतनवाठुठी बारी मार्ग पर रोहिन नदी पर पुल निर्माण

*७—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले में रोहिन नदी पर नौतनवां-ठुठी बारी मार्ग पर निर्माणाधीन पुल दिसम्बर, १९७३ में यातायात के लिए खुल जाने वाला था ? यदि हां, तो निर्धारित अवधि में क्यों नहीं खोला जा सका ? क्या इस पुल के निर्माण में कुछ आर्थिक घोटाला भी प्रकाश में आया है ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

जनपद गोरखपुर में नौतनवां-ठुठीबारी मार्ग पर स्थित रोहिन नदी पर निर्मित पुल नवम्बर, १९७३ में यातायात के लिए खोल दिया गया था । पुल के निर्माण में आर्थिक घोटाला प्रकाश में नहीं आया है ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, प्रश्नगत पुल के निर्माण के संबंध में कुछ आर्थिक घोटालों के बारे में मैंने स्वयं एक पत्र माननीय मन्त्री जी को लिखा है । यदि वह पत्र माननीय मंत्री जी को प्राप्त हो गया है, तो क्या माननीय मंत्री जी उसके आधार पर यदि सुनिश्चित तथ्य जांच में लाये जांय तो क्या उन पर कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

अवश्य ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल के बारे में काफी घोटालों की शिकायत प्राप्त हुई है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनकी जांच हुई कि नहीं और यदि जांच हुयी तो रिपोर्ट क्या है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, मैंने जवाब में बताया कि जो भी तथ्य सामने आये हैं, उसमें घोटाले वाली बात नहीं आयी है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि क्या यह सही है कि इस पुल के संबंध में भ्रष्टाचार की काफी शिकायतें माननीय मंत्री जी को मिली हैं ? यदि मिली हैं, तो क्या उन शिकायतों को माननीय मंत्री जी सदन में पढ़कर सुनाने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, जो भी शिकायतों के बारे में बात है, वे इस समय मेरे पास नहीं हैं । यदि सूचना दे देंगे तो उस पर कार्यवाही करा लेंगे ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने बताया कि कोई घोटाला नहीं है । लेकिन मेरी जानकारी में है कि सेंड स्टोन के बजाय लोकल स्टोन और डेढ़ इंच गिट्टी के बजाय आधी इंच गिट्टी लगायी गयी है । तो क्या माननीय मंत्री जी इसके बारे में जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर दे चुके हैं कि जांच करा देंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किया उसका माननीय मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया और उल्टे सदन को गुमराह करने की कोशिश की । एक बार तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोई घोटाला नहीं है । एक बार कहा कि जांच करायेंगे । फिर कहते हैं कि जांच में कुछ नहीं पाया गया । मान्यवर मैं जानना चाहता हूं कि सही स्थिति क्या है ? भ्रष्टाचार की शिकायत मिली कि नहीं और उसके बारे में कोई जांच कराया कि नहीं ? यदि जांच करायी तो रिपोर्ट क्या है और किससे जांच करायी ?

अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि घोटाला नहीं है । तो क्या यह जांच के बाद की बात है या पहले की या जो शिकायतें मिलीं उसकी जांच करायी गयी और फिर यह निकला कि घोटाला नहीं है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, जांच करायी गयी और उसके आधार पर बता रहा हूं कि जांच रिपोर्ट से कोई घोटाला सामने नहीं आया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरी बात का जवाब नहीं आया ।

अध्यक्ष--

अब उन्होंने कह दिया अगर कोई बात होगी तो जांच करायेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मैंने पूछा कि आरोप क्या है ? जांच करायी गयी तो किससे करायी गयी ? इसका जवाब नहीं आया ।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

मान्यवर, रेलवे विभाग के अभियन्ता से भी सम्पर्क करके जांच करायी गयी । कई एजेंसी से जांच करायी गयी है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

कई लोगों से जांच करायी लेकिन क्या माननीय मंत्री जी ने भी जांच की ?

श्री अध्यक्ष--

क्या शिकायत थी और उसकी जांच किसने की ? आप यह बता दें ।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

ऐसा हुआ था कि सन् १९७२ में पुल यातायात के लिए खोला गया था । उसके बाद रोलर बेरिंग में कुछ झकाव आ गया था । उसके सम्बन्ध में इन्क्वायरी हुई । उसके बाद. . . .।

श्री अध्यक्ष--

किसने इन्क्वायरी की और शिकायत क्या थी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

रोलर बेरिंग के अन्दर झुकाव आ गया था, इसकी शिकायत मिली और उसकी जांच रेलवे विभाग के मुख्य-अभियन्ता और सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर ने किया ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, जब सदस्य, विधान सभा, श्री रवीन्द्र सिंह ने कहा है कि वे एक पत्र इस सम्बन्ध में मंत्री जी को लिख चुके हैं । तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उनको रवीन्द्र सिंह जी का कोई पत्र इस सिलसिले में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या शिकायतें थीं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है ।

बस्ती जिले के सह जिला विद्यालय निरीक्षक, श्री श्रीगोपाल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*३:--श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता एवं श्री दिवाकर विक्रम सिंह, एम० एल० ए०, श्री बाबू राम वर्मा, एम० एल० ए०, श्री गिरधारी लाल, एम० एल० ए०, श्री शिव लाल मित्तल, श्री विश्वनाथ पान्डेय तथा कमाल यूसुफ आदि कई विधायकों के हस्ताक्षर से बस्ती के सह जिला विद्यालय निरीक्षक, श्रीगोपाल के भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिनांक २४ अप्रैल, १९७८ को दिए गए शिकायती-पत्र के सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? क्या शासन ऐसे गम्भीर आरोपों की जांच सी० बी० आई० द्वारा कराने की कृपा करेगी ?

श्री काली चरण--

माननीय सदस्यों के एक शिकायती-पत्र दिनांक १४ अप्रैल, १९७८ पर विभागीय जांच कराई जा रही है और इस बीच श्री श्रीगोपाल को प्रधानाचार्य राजकीय इन्टर कालेज, बिजनौर के पद पर स्थानान्तरित किया जा चुका है । सी० बी० आई० द्वारा जांच की अभी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री ओम प्रकाश--

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक १४ अप्रैल, १९७८ को आठ विधायकों का शिकायती-पत्र दिया गया था और उसमें सह जिला विद्यालय निरीक्षक के क्लर्क श्री त्रिभुवन लाल के खिलाफ तीन-चार लाख रुपये के भ्रष्टाचार की शिकायत थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, श्री त्रिभुवन लाल को दिनांक २७ सितम्बर, १९७८ को गोरखपुर स्थानान्तरित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध भी यह जांच चल रही है ।

श्री ओम प्रकाश--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि श्री त्रिभुवन लाल जिनके खिलाफ तीन-चार लाख रुपये के भ्रष्टाचार की शिकायत है और उसके प्रोत्साहन पर वहां के जिला विद्यालय निरीक्षक, जिन्हें अभी आये हुए चार ही महीने हुए हैं और जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, उनका स्थानान्तरण कराने का पहल किया है और डी० आई० ओ० एस० ने लिखा है कि जब तक इनका ट्रान्सफर नहीं होगा, भ्रष्टाचार दूर नहीं हो सकता है । उसके बाद भी अभी तक उसको क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न इससे नहीं उठता है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा । उन्होंने कहा है कि श्री श्रीगोपाल को प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टर कालेज, बिजनौर के पद पर स्थानान्तरित कर दिया गया है । क्या यह तबादला शासकीय था या कोई प्रारंभिक जांच हुई, आरोप सिद्ध हुए, इसलिए तबादला कर दिया गया । स्थानान्तरण प्रारंभिक जांच के बाद ही किया गया है । तो क्या स्थानान्तरण कर देना ही पर्याप्त था ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, शिक्षा उपनिदेशक, गोरखपुर द्वारा यह जांच की जा रही है और उन्हीं की संस्तुति पर यह ट्रान्सफर किया गया ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है । उससे कुछ ऐसा आभास होता है कि उन्हें कुछ सजा दे दी गयी ।

श्री अध्यक्ष--

उनका कहना है कि आपने जो प्रश्न किया है तो जांच अधिकारी की संस्तुति पर ही ऐसा किया गया है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित अभी उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि उप निदेशक की संस्तुति पर उनका स्थानान्तरण हुआ और उप निदेशक उसकी जांच भी कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई जांच रिपोर्ट उन्होंने शासन को दी है जिसमें कोई प्राइमाफेसी केस बनता हो ?

श्री काली चरण--

श्रीमन्, उप निदेशक ने अपनी आख्या में लिखा है कि इस जांच के तथ्यों से ऐसा लगता है कि इनके ऊपर लगाये गये आरोपों में कुछ सत्यता है । उन्होंने लिखा है कि विस्तृत जांच की आवश्यकता है । शासन ने आदेश दिया है कि सम्बन्धित अधिकारी और कर्मचारी से स्पष्टीकरण मांग कर और विस्तृत जांच करके जो आरोप-पत्र बनते हों, वह दिये जायं ।

नोट--नियम ३८ (२) के तारांकित प्रश्न संख्या ८ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम टमटा में घाघरा नदी के किनारे निर्मित बांध के विरुद्ध कथित प्रार्थना-पत्र

*९--श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनपद आजमगढ़, तहसील घोसी, ग्राम टमटा में सरजू नदी के किनारे बनाए गए बांध के सम्बन्ध में ग्रामवासियों के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता ने भी आवश्यक कार्य हेतु दिनांक ३० मार्च, १९७८ को पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर सचिव, सिंचाई विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, किस अधिकारी ने जांच कब किया ?

सिंचाई मन्त्री (श्री बलवीर सिंह)--

प्रश्न का प्रथम भाग

जनपद आजमगढ़, तहसील घोसी, ग्राम टमटा में घाघरा नदी के किनारे बनाये गये बांध के सम्बन्ध में ग्रामवासियों व प्रश्नकर्ता का दिनांक ३० मार्च, १९७८ का पत्र बहुत तलाश करने के बाद भी उपलब्ध नहीं हो सका ।

प्रश्न का दूसरा भाग

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जिले के शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवेदन-पत्र

*१०--श्री जगन्नाथ सिंह परमार (जिला बांदा)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने का आवेदन जो १५ मार्च, १९७८ को प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया था, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शिकायत क्या-क्या थी और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही शासन ने की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी हां, प्रश्नगत-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें निम्नलिखित शिकायतें थीं :--

(१) प्राइमरी स्कूलों में हुई नई नियुक्तियों के पूर्व प्रोन्नतियां न करके एक विषम समस्या उत्पन्न की गई है तथा विभागीय आदेशों की अवमानना हुई है ।

(२) जूनियर हाई स्कूलों में दी गई चक्रमुद्रण मशीनें अनावश्यक है और उसमें सरकारी धन का बड़ी मात्रा में दुरुपयोग किया गया है तथा इसका मूल्य अत्याधिक देकर मनचाहा कमीशन लिया गया है ।

(३) शासनादेश के बावजूद बेसिक परिषदीय अध्यापकों को सस्पेंस एकाउन्ट की धनराशि वापिस नहीं की गई है जिससे अध्यापकों में असंतोष व्याप्त है ।

(४) सन् १९६९ से अब तक रिटायर हुये अध्यापकों की भविष्य निधि नहीं दी गई है तथा बहुत से अध्यापक अपना यह हक पाये बिना ही स्वर्गवासी हो गये तथा मिलने वाली पेंशन से भी वंचित हैं ।

[श्री काली चरण--]

(५) सन् १९७४ में अध्यापकों के बकाया वेतन के भुगतान के समय राष्ट्रीय बचत पत्रों के लिये धन काटा गया था जिसका कोई लेखाजोखा नहीं है न अध्यापकों को राष्ट्रीय बचत पत्र ही दिये गये। वह सम्पूर्ण धनराशि डी० आई० ने अपने निजी खाते में जमा कर रखी है और उसका ब्याज स्वयं ले रहे हैं।

(६) जनपद में विद्यालयों को टाट-पट्टी, फर्नीचर देने की कोई व्यवस्था नहीं है।

उपरोक्त पत्र में वर्णित शिकायतों की किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कराये जाने तथा प्रस्तरवार आख्या शासन को उपलब्ध कराने के लिये शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को १० अप्रैल, १९७८ को लिखा गया था।

आगरा जिले के फतेहपुर-सीकरी क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण योजना एवं टूरा व झारौठी ग्रामों से जल निकासी हेतु नाले का निर्माण

*११--श्री बदन सिंह (जिला आगरा)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गत वर्ष में आगरा जनपद के फतेहपुर-सीकरी क्षेत्र में बाढ़ एवं गर्की से करोड़ों रुपयों की हानि हुई थी और समूचा जन-जीवन त्रस्त रहा था ? यदि हां, तो आगामी बरसात में इस क्षेत्र को बचाने के लिए क्या प्रयास सरकार करने जा रही है ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां। गत वर्ष फतेहपुर-सीकरी क्षेत्र में बाढ़ एवं गर्की के कारण अनुमानित एक करोड़ दस लाख रुपये की क्षति हुई थी। इस क्षेत्र के लिए झारौठी, टूरा, अरहेरा नालों का निर्माण तथा गिबन्स नाले का पुनरोद्धार की योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। फतेहपुर-सीकरी ब्रांच के मील १२-७ २२-४ और २४-६ पर तीन नये साईफनों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चौमुंहा नाले का सर्वेक्षण कराया जा रहा है और सर्वेक्षण के पश्चात् इस पर आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जायगी।

रुपये ५३२ लाख लागत की वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन के पुनरोद्धार के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिसकी स्वीकृति के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

*१२--श्री बदन सिंह--

क्या सरकार यह भी कृपया बताएगी कि इस क्षेत्र के टूरा और झारौठी गांवों में भी बरसाती पानी निकालने के लिए नाले खुदवा रही है ? यदि हां, तो यह नाले कब तक खुद जायेंगे ?

श्री बलवीर सिंह--

ग्राम टूरा व झारौठी से वर्षा का पानी निकालने के लिए नाले निर्माण किये जा रहे हैं। इनका निर्माण यथासंभव शीघ्र पूरा किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला परिषद्, अलीगढ़ के अध्यापकों का परिवार नियोजन के सम्बन्ध में कथित निलम्बन एवं वेतन का भुगतान

*१३--श्री संग्राम सिंह (जिला अलीगढ़)--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् एवं नगरपालिका, अलीगढ़ के अधीन संचालित विद्यालयों के अध्यापक एवं अध्यापिकाएं अभी तक परिवार नियोजन के अभियान के मध्य निलम्बित चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*१४-श्री संग्राम सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन अभियान के मध्य निलम्बित जिला परिषदीय एवं नगरपालिका, अलीगढ़ के अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को बहाल होने पर पूर्ण वेतन दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण--

परिवार नियोजन अभियान के अन्तर्गत जिला परिषदीय एवं नगरपालिका के अधीन कार्यरत किसी भी अध्यापक/अध्यापिका को निलम्बित नहीं किया गया । अतः उन्हें बहाल करने और पूरा वेतन देने का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय दीक्षा विद्यालय, ददरौल, शाहजहांपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१५-श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालय, ददरौल, जिला शाहजहांपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध १ जनवरी, १९७८ से अब तक कितनी शिकायतें माननीय शिक्षा मन्त्री, उत्तर प्रदेश व कितनी बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर को वहां के अध्यापकों चपरासियों, सदस्य, विधान सभा, शाहजहांपुर तथा संसद सदस्य, शाहजहांपुर के माध्यम से प्राप्त हुई हैं ? क्या उपरोक्त शिकायतों की जांच कराई गई ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त प्रधानाचार्य को तत्काल हटाकर किसी वरिष्ठ अधिकारी से जांच कराकर उपरोक्त भ्रष्ट अधिकारी को दण्डित करेगी ?

श्री कालीचरण--

कुल ४ शिकायती-पत्र प्राप्त हुये । प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जा रही है ।

पडरौना विकास खण्ड को गंडक नहर से माइनर के निर्माण की मांग

*१६-श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि पडरौना तहसील के पडरौना विकास खण्ड क्षेत्र में ग्राम सभा कसया, होरलापुर, पकड़ी खुर्द के ग्रामीणों की अधिकांश भूमि गण्डक नहर के रसूलपुर माइनर में लेने के बावजूद सिंचाई सुविधा के

नितान्त अभाव से लगभग पांच सौ एकड़ क्षेत्रफल असिंचित है ? यदि हां, तो रसूलपुर माइनर से एक अल्पिका (माइनर) निकाल कर उक्त असिंचित क्षेत्र में सिंचाई का विस्तार किया जाएगा ?

श्री बलबीर सिंह—

जी नहीं ।

तकनीकी दृष्टिकोण से रसूलपुर अल्पिका से कोई अल्पिका निकालना सम्भव नहीं है ।

प्राविधिक शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु ली गयी परीक्षा

*१७-श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की लिपिक वर्ग की पदोन्नति विभागीय परीक्षा द्वारा गत वर्ष हुई थी और इस साल भी हुई है ? यदि हां, तो उसमें कितने उत्तीर्ण हुए और कितनों को लिपिक पद पर नियुक्ति दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण—

जी हां ।

नवम्बर, १९७६ तथा जून, १९७८ में विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की निदेशालय प्राविधिक शिक्षा, उ० प्र०, कानपुर द्वारा परीक्षा ली गई, उसमें क्रमशः दो एवं तीन कर्मचारी उत्तीर्ण हुए। इनको लिपिक के पदों पर नियुक्त कर दिया गया ।

*१८-श्री गिरधारी लाल—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि यदि इन विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जिन्होंने परीक्षा दी थी, नियुक्त नहीं किया गया तो अन्य लोगों की नियुक्ति उक्त पदों पर सीधे तौर से किस आधार पर की गयी जबकि चयन समिति से भी कोई नियुक्ति नहीं की गयी और न सेवायोजन कार्यालय से ही नियुक्ति की गयी ?

श्री कालीचरण—

प्रश्न नहीं उठता है ।

तहसील सदर रामपुर के अन्तर्गत नलकूप निर्माण की मांग

*१९-श्री मन्जूर अली खां (जिला रामपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विभाग को तहसील सदर रामपुर के २३ ग्रामों में २८ ट्यूबवेल लगाए जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक ८ जुलाई, १९७७ तथा २९ जुलाई, १९७७ पर भूतपूर्व सिंचाई मन्त्री तथा आपके आदेश क्रमशः प्राप्त हुए हैं ? क्या इसके सम्बन्ध में जिला स्तर से भी नहर से पानी न दे पाने के फलस्वरूप विभागीय अधिकारियों ने इन क्षेत्रों को नहर

कमाण्ड एरिया से निकाल कर ट्यूबवेल बनाने की संस्तुति अगस्त सन् १९७६ में भूतपूर्व राज्य मन्त्री सिंचाई (श्री मोमताज मोहम्मद खां) के रामपुर आगमन पर सुपरिटेंडिंग इन्जीनियर, सिंचाई विभाग, मुरादाबाद को की थी ? यदि हां, तो ट्यूबवेल अब तक न बनाए जाने के क्या कारण हैं ? क्या ट्यूबवेल शीघ्र बनवाए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

प्रश्न का प्रथम भाग

जी हां । प्रश्नकर्त्ता का केवल एक पत्र दिनांक २९-७-१९७७ प्राप्त हुआ था ।

प्रश्न का द्वितीय भाग

जी हां । ऐसे क्षेत्रों को नहरी कमाण्ड से निकाल कर सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत नलकूप निर्माण की कार्यवाही की जा रही है । वर्ष १९७७-७८ में ७ नलकूपों का निर्माण किया जा चुका है ।

प्रश्न का तृतीय भाग

नलकूपों का निर्माण स्थल चयन समिति के अनुमोदन पर निर्भर करता है ।

सरजू बैराज निर्माण खण्ड नानपारा के अन्तर्गत मिहीपुरवा में निशेन शैड का निर्माण

*२०—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरजू बैराज निर्माण खण्ड नानपारा के अन्तर्गत मिहीपुरवा निषन शेड बिना टेण्डर लिए २२,००० रुपया का निर्माण ३१ मार्च, १९७७ से ३१ मार्च, १९७८ के बीच कराया है ? यदि हां, तो इस अनियमित कार्य को करवाने का कारण क्या है ?

श्री बलबीर सिंह—

सरजू बैराज निर्माण खण्ड, नानपारा के अन्तर्गत मिहीनपुरवा में तीन निशेन शेड का निर्माण २७-६-७७ से ३१-३-७८ के बीच कार्य आदेशों से कराया गया ।

भूमि से बंधी अनिश्चय की स्थिति होने तथा कार्य शीघ्रातिशीघ्र कराने के लिये कार्य, कार्यादेशों के द्वारा कराया गया । सहायक अभियन्ता रुपये ७,५०० तक के कार्यादेश जारी करने के लिये सक्षम है ।

श्री अलक्षेन्द्र इण्टर कालेज, भिन्गा, जिला बहराइच के पिछड़ी जाति के शिक्षकों की पदोन्नति

*२१—श्री रामपति (जिला गोंडा) तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मन्त्री को यह जानकारी है कि श्री अलक्षेन्द्र इन्टर कालेज, भिनगा, जनपद बहराइच में कितने पिछड़ी जाति के शिक्षक (सहायक शिक्षक/प्रवक्ता) पांच वर्षों से ऊपर से शिक्षा कार्य में हैं और उनकी पदोन्नति प्रारम्भ से अब तक नहीं की गयी ? क्या शिक्षा मन्त्री को उक्त कालेज में पदोन्नति में बरती गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई पत्र मई, जून, १९७८ में प्रश्नकर्ता एवं अनेकों विधायकों का प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो जांच किसके द्वारा कराई गयी, जांच रिपोर्ट तथा पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री कालीचरण--

प्रश्नगत विद्यालय में पांच पिछड़ी जाति के शिक्षक पांच वर्षों से ऊपर शिक्षण कार्य में है और उनको प्रारम्भ से अब तक पदोन्नति नहीं दी गयी है। श्री अलक्षेन्द्र इंटर कालेज, भिनगा, बहराइच में पदोन्नति में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में कोई पत्र मई, जून, १९७८ के बीच प्राप्त नहीं हुआ है। अतः शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

नलकूप मण्डल वाराणसी द्वारा यंत्र और पुर्जों की खरीद

*२२-श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७७-७८ में नलकूप मण्डल वाराणसी के विभिन्न जनपदों में नलकूप के यन्त्र, यांत्रिक सामान और पुर्जों की खरीदारी की गयी ? यदि हां, तो किन-किन की किस-किस दर से किन-किन फर्मों से किस-किस रीति से, कितनी-कितनी मात्रा में, कितनी-कितनी लागत थी ? और क्या ऐसी प्रत्येक खरीदारी के लिए समाचार पत्रों में विधिवत् विज्ञापन प्रकाशित हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां।

यह सूचना अधिक विस्तृत हो जाने के कारण सदन में प्रतियां देना संभव नहीं है। यह सूचना मेरे कक्ष में उपलब्ध है जिसे वहां देखा जा सकता है।

समाचार पत्रों में केवल उन्हीं खरीदारी के मामलों की विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है जिनके टेण्डर मांगे जाते हैं। अतः प्रश्नगत खरीदारी के उन मामलों को जिनमें टेण्डर द्वारा सामान खरीदा गया है, का विधिवत् प्रकाशन समाचार-पत्रों में कराया गया था। कौटेशन एवं रेट कान्ट्रैक्ट के अन्तर्गत खरीदे गये सामानों के लिए समाचार पत्रों में विज्ञप्ति नहीं प्रकाशित कराई गई, क्योंकि ऐसे मामलों में समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराना आवश्यक नहीं है।

पडरौना तहसील के ग्राम रसूलपुर में गंडक नहर पर पुलिया निर्माण की मांग

*२३-श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि पडरौना तहसील में गण्डक परियोजना एवं समादेश क्षेत्र में रसूलपुर माइनर पर ग्राम रसूल उर्फ रसूलपुर के सामने पैदल पुलिया के न रहने से ग्रामीणों को तथा पशुओं को असाधारण असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर शीघ्र पैदल पुलिया या पशु सेतु का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

जी नहीं।

नहीं।

क्योंकि मांग पुलिया के स्थान से ऊपर २०५ मीटर दूरी पर कि० मी० ०-३८० (मी० ०-१-६००) इदोबस्ती रास्ते पर एक पुलिया पहले से ही निर्मित है, जो कृषकगण प्रयोग करते हैं।

श्री अयोध्या प्रसाद, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, सहार, जिला इटावा का अवशेष वेतन और वेतन का निर्धारण

*२४--श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक जूनियर हाई स्कूल, सहार, जनपद इटावा (श्री अयोध्या प्रसाद) को धारा ३०२ के मामले में दिनांक २२ जून, १९६८ को निलम्बित किया गया था ? यदि हां तो क्या उन्हें उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् सवेतन बहाल किया गया था ? यदि हां, तो क्या उन्हें दिनांक २२ जून, १९६८ से जून सन् १९७४ तक का बकाया वेतन भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शिक्षा मन्त्री जी इसे अविलम्ब भुगतान करने के आदेश सम्बन्धित अधिकारियों को देने का कष्ट करेंगे ?

श्री काली चरण--

श्री अयोध्या प्रसाद, भूतपूर्व सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, सहार, जिला इटावा को धारा ३०२ के मामले में दिनांक २२-६-६८ से सेवा मुक्त किया गया । जी हां, उन्हें सवतन बहाल किया गया था ।

जी नहीं, उन्हें दिनांक २२-६-६८ से जून, १९७४ तक का वेतन भुगतान आडिट आपत्ति के कारण नहीं किया गया है । वेतन भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

*२५--श्री बिहारी लाल हंस--

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल, सहार के उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् किस वेतन मान पर नियुक्त किया गया था ? उनका वेतन-मान पुनः निर्धारित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

श्री अयोध्या प्रसाद, सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल, सहार, को सहायक अध्यापक के पद पर प्रारम्भिक वेतन २१० रु० में नियुक्त किया गया था । जी नहीं, उनका वेतन निर्धारित आडिट आपत्ति के कारण नहीं किया जा सका ।

अल्मोड़ा जिले के कपकोट--सामा--तेजम मोटर मार्ग का निर्माण

*२६--श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कपकोट सामा तेजम मोटर मार्ग निर्माण किस सन् में प्रारम्भ हुआ और अब तक इस मार्ग के निर्माण में कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? क्या इस मार्ग पर गाड़ियों का आना जाना प्रारम्भ हो गया है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत कपकोट-सामा-तेजम मोटर मार्ग का निर्माण दिसम्बर, १९५५ में प्रारम्भ हुआ । मार्ग निर्माण में कुल २१.९० लाख (लगभग) व्यय किया गया है । इस मार्ग पर आजकल कपकोट से सामा तक गाड़ियां चल रही है ।

राजकीय इण्टर कालेज, ललितपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र एवं प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण

*२७--श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ३१ मार्च, १९७८ को एक प्रार्थना-पत्र राजकीय इण्टर कालेज, ललितपुर को अनियमितताओं से सम्बन्धित एवं दोषी व्यक्तियों के सम्बन्ध में दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री काली चरण--

माननीय सदस्य का एक शिकायती-पत्र दिनांकित २९-३-१९७८ को प्राप्त हुआ था जिसकी जांच करायी जा रही है ।

*२८--श्री रणवीर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, ललितपुर की जांच हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक एवं उप शिक्षा निदेशक, झांसी मण्डल झांसी गए थे ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या है और क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस प्रधानाचार्य से सम्बन्धित एवं विद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं एवं मोटर चोरी की रिपोर्ट पुलिस को दे दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? इसके स्थानान्तरण के बारे में जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिलाधिकारी के द्वारा विभाग को जो अर्द्धशासकीय पत्र लिखे गए, उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री काली चरण--

जांच जिला विद्यालय निरीक्षक, ललितपुर द्वारा की गयी जिन्होंने उप शिक्षा निदेशक झांसी मण्डल, झांसी के माध्यम से रिपोर्ट दी है कि प्रधानाचार्य के असहयोग के कारण जांच की कार्यवाही में बाधा पड़ सकती है और उनके स्थानान्तरण की संस्तुति की है । इस रिपोर्ट तथा जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानाचार्य को स्थानान्तरित किया जा चुका है ।

हेक्सा पावर मशीन की मोटर चोरी की रिपोर्ट सम्बन्धित प्रभारी श्री अमर नाथ शरण रायजादा द्वारा दिनांक १४-४-७८ को पुलिस कोतवाली, ललितपुर में की गयी थी ।

जूनियर हाई स्कूल, बाड़ी, जिला सीतापुर के अध्यापकों के विरुद्ध शिकायती पत्र

*२९--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जूनियर हाई स्कूल, बाड़ी, जिला सीतापुर के कुछ अध्यापकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं सम्बन्धी संसद सदस्य श्री रामलाल राही, विधायक, श्री गोकरन प्रसाद तथा श्री गणेशी लाल चौधरी द्वारा अग्रसारित कोई शिकायती पत्र दिनांक १२ अक्टूबर, १९७७ को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण—

जी हां, । शिकायती पत्रों के अनुसार शिकायतें निम्न प्रकार है—

(१) जूनियर हाई स्कूल, बाड़ी, के सहायक अध्यापक मोहम्मद इदरीस सिद्दीकी व प्रधान अध्यापक श्री रघुराज सिंह ने आपातकालीन स्थिति में विद्यालय को सार्वजनिक राजनीति का अखाड़ा बना रखा था और उनके रवैये में अब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । आपातकालीन स्थिति में श्री सिद्दीकी ने कांग्रेस में खुले आम भाग लिया और संजय वाहिनी की ओर से जो कैम्प लगा उसमें सक्रिय रहे । लोक सभा चुनाव में खुल कर कांग्रेस का प्रचार किया ।

(२) श्री मोहम्मद इदरीस ग्राम बाड़ी के ही मूल निवासी हैं और लगभग ८–९ साल से बाड़ी स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं । वह अपने को भूतपूर्व कांग्रेस विधायक का सहपाठी एवं बेसिक शिक्षा अधिकारी का निकटतम रिश्तेदार बता कर आतंक जमाये हुये हैं । स्कूल समय से नहीं आते । कभी–कभी आ कर अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर में उपस्थिति भर जाते हैं । अगर पहुंच गए तो ११–१२ बजे स्कूल पहुंच कर २–३ बज फिर चले जाते हैं । श्री रघुराज सिंह भी इस स्थान से ३–४ मील दूर गांव में रहते हैं ।

(३) विधान सभा चुनाव में श्री सिंह प्रधान अध्यापक व श्री सिद्दीकी ने खुले आम कांग्रेस का कार्य किया ।

उपरोक्त शिकायतों की स्थलीय जांच अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक, सीतापुर द्वारा कराई गई । जांच में शिकायतों की पुष्टि नहीं हो सकी ।

बांसगांव तहसील के अन्तर्गत बुक–क्राफ्ट अध्यापक के पद हेतु कथित विज्ञापन

*३०—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२, विधान सभा प्रथम सत्र १९७८ के दूसरे बुधवार के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांसगांव तहसील में जुलाई, १९७७ के पश्चात् किन–किन विद्यालयों के प्रबन्धकों ने बुक–क्राफ्ट टीचर्स की नियुक्ति हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर को लिखा था और समाचार–पत्रों में विज्ञापन दिया गया था तथा विज्ञापन के बाद आवेदन–पत्र प्राप्त करके भी आवेदकों में से किसी की भी नियुक्ति नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों और जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस पर क्या कार्यवाही की ? यदि किसी की नियुक्ति हुई तो उक्त नियुक्ति का आधार क्या था ? क्या सरकार इसकी जांच करेगी और दोषी व्यक्तियों को दण्ड देगी ?

श्री काली चरण—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोंडा जिले के स्वतन्त्र भारत इण्टर कालेज के एल० टी० प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक का वेतन क्रम

*३१—श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)—

प्रथम सत्र १९७८ क आठवें बुधवार के अतारांकिक प्रश्न १४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो एक अध्यापक सी० टी० वेतन-क्रम में कार्यरत है वह प्रशिक्षण के पूर्व किस वेतन-क्रम मे कार्यरत था तथा इन सर्विस ट्रेनिंग पूर्ण करने के उपरान्त एल० टी० वेतन क्रम न देकर विभागीय आदेशों की उपेक्षा का क्या कारण रहा ?

श्री काली चरण—

सी० टी० वेतन क्रम के २/३ में, किन्तु जिला विद्यालय निरीक्षक गोंडा को स्वीकृत्यर्थ प्रेषित प्रपत्र (अ) में जे० टी० सी० का उल्लेख है जो अनुमोदित भी किया गया था। इन सर्विस ट्रेनिंग में जाने के पूर्व अध्यापक न तो एल० टी० वेतन क्रम के २/३ में नियुक्त था और न ही उसके ट्रेनिंग में जाते समय तथा लौटने पर विद्यालय में एल० टी० का पद ही रिक्त था। अतः ट्रेनिंग के उपरान्त उन्हें एल० टी० वेतन मान में नियुक्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

फैजाबाद जिले के कटेहरी और भीटी ब्लाकों के अन्तर्गत नाले के निर्माण हेतु प्रार्थना-पत्र

*३२—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जनपद फैजाबाद के "कटेहरी और भीटी ब्लाकों" के कुछ गांवों को बाढ़ व कटाव से बचाने के बारे में नाला बनवाने हेतु प्रश्नकर्त्ता का दिनांक १० फरवरी, १९७८ का पत्र मिला है ? यदि हां, तो क्या इस वर्ष बरसात के पूर्व यह कार्य पूरा हो जायगा ? या नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां।

इस कार्य के लिये सर्वेक्षण कराने के उपरान्त उचित कार्यवाही की जायगी।

नैनीताल जिले के रामनगर-हल्द्वानी मार्ग में ढाबका काजवे के ध्वस्त होने के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट

*३३—श्री रामदत्त जोशी—

विधान सभा के प्रथम सत्र १९७८ के चौथे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या ३७ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो जांच रिपोर्ट ढाबका काजवे के ध्वस्त हो जाने के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त हुई है उसका विवरण क्या है और क्या यह सही है कि उपरोक्त निर्माण कार्य का डिजाइन ही त्रुटिपूर्ण था जिसे अनुमोदित करने वाले अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता जो समय-समय पर उपरोक्त निर्माण कार्य का निरीक्षण करते रहे थे वह भी लापरवाही एवं क्षति के दोषी हैं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

ढाबका काजवे के ध्वस्त होने के सम्बन्ध में गठित जांच समिति की जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गई है। इसका परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त ही यह कह सकना सम्भव होगा कि प्रश्नगत कार्य का डिजाइन त्रुटिपूर्ण था अथवा उसके कार्यान्वयन में कोई त्रुटि थी।

बेसिक शिक्षा परिषद्, बांदा में व्याप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र की जांच

*३४--श्री राम सजीवन (जिला बांदा)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २८ मार्च, १९७८ को जिलाधिकारी बांदा को बेसिक शिक्षा परिषद् में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं धांधली के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिसकी प्रतियां मुख्य मंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री जी को भी भेजी गयी हैं ? यदि हां तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सही है कि बेसिक शिक्षा परिषद् बांदा के विद्यालयों एवं कार्यालयों के लिए स्टेशनरी एवं अन्य सामान खरीदने हेतु करीब पचास हजार रुपए मार्च, १९७८ बेसिक निधि से निकाल लिया गया है और सामान अभी तक खरीदा नहीं गया ?

श्री कालीचरण--

जी हां, प्रश्नगत पत्र जिलाधिकारी बांदा को प्राप्त हुआ था। पत्र में कथित आरोपों की जांच के फलस्वरूप तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री शांति स्वरूप त्रिवेदी एवं उप विद्यालय निरीक्षक श्री शिव शंकर लाल तिवारी तथा सम्बधित लिपिक श्री ठाकुर प्रसाद श्रीवास्तव का स्थनान्तरण किया जा चुका है। तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा श्री ब्रजकिशोरण दीक्षित, स्टोरकीपर को स्टोरकीपर पद से हटा दिया गया था। माह मार्च, १९७८ में स्टेशनरी एवं अन्य सामान खरीदने हेतु अभिलेखों के अनुसार पचास हजार रुपये की कोई धनराशि नहीं निकाली गई। अतः सामान क्रय करने का प्रश्न नहीं उठता।

बहराइच जिले के रसिया नाले एवं माथला नदी तथा गोरखपुर में रोहिन नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में शिकायत

*३५--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सरकार को जानकारी है कि नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट १९७६-७७ के अनुसार बहराइच उप मार्ग पर रिसिया नाले के ऊपर तथा बहराइच-भिनगा मार्ग में २६ किलोमीटर पर माथला नदी के ऊपर एवं गोरखपुर जनपद के नौतनवां-ठूठो बारी मार्ग पर ८ किलोमीटर पर रोहिन नदी के ऊपर बनाए गए पुलों के गलत नीव (फाउन्डेशन) के कारण पचास लाख रुपए की क्षति हुई ? यदि हां, तो उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

उत्तर काशी जिले की कमल नदी के नहरीकरण के सम्बन्ध में पत्र

*३६--श्री बरफिया लाल जुवांठा, अरविन्द (जिला उत्तर काशी)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरकाशी जिले के पुरोला विकास खंड में कमल नदी के नहरीकरण के बारे में प्रार्थनकर्ता के वर्ष १९७७ तथा १९७८ में कुल कितने पत्र विभाग को मिले ? इन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सही है कि कार्यरत जे० ई० व ई० ई० ने अपनी ही मर्जी से बाढ़ नियन्त्रण हेतु कहीं-कहीं पर कटान को रोकने हेतु दिवालों के आगणन शासन को भेजे हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया जब कि मांग नदी को गुन्दियार गांव से स्वील गांव तक नहरनुमा बनाने की है ? यदि हां, तो क्या आगणन मंगा कर इसको नहरनुमा बनाने की स्वीकृति देने की कृपा करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह--

श्री बरफिया लाल जुवांठा, सदस्य विधान सभा उत्तरकाशी के कुल ४ पत्र अब तक प्राप्त हुए हैं ।

इस पर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है ।

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कन्या प्राइमरी पाठशाला, अकबरपुर का पंचपकरी में स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट

*३७--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र १९७८ के छठें बुधवार दिनांकित २६ अप्रैल, १९७८ की कार्यसूची के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कन्या प्राइमरी पाठशाला, अकबरपुर जनपद बहराइच का २ १/२ वर्षों से बन्द रहने के सम्बन्ध में उप बालिका विद्यालय निरीक्षका की पूरी जांच रिपोर्ट दिनांकित १४ मार्च, १९७८ क्या है और अकबरपुर से मजरा पचपकरी किस अधिकारी के आदेश से पाठशाला स्थानान्तरित की गयी तथा स्थानान्तरित करने का औचित्य क्या था ? क्या यह भी सही है कि उक्त पाठशाला पचपकरी में भी नहीं है फिर भी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री कालीचरण--

उप बालिका विद्यालय निरीक्षिका, बहराइच की पूर्ण जांच रिपोर्ट दिनांक १४-३-१९७८ तथा उसकी पूरक आख्या दिनांक ४-४-१९७८ की प्रतिलिपियां संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १२५ पर)

कन्या प्राइमरी पाठशाला, अकबरपुर को ग्राम सभा प्रधान जो ग्राम बेसिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं, के आदेशानुसार विद्यालय का कोई भवन न होने के कारण छात्र/छात्राओं की सुविधा को दृष्टि में रखकर विद्यालय उसी ग्राम सभा में मजरा पचपकरी में प्रधान ध्यापक द्वारा लगाया जा रहा था । पंचपकरी में विद्यालय खुले रहने की स्थिति में प्रधानाध्यापक के विरुद्ध सम्मति कोई कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं था ।

बांदा जिले के गांव हरदोसी के लिये सड़क निर्माण की मांग

*३८--श्री देवकुमार (जिला बांदा)-

क्या यह सही है कि बांदा जिले में निर्माणाधीन बबेरू-सिन्दवारी रोड पर स्थित हरदोसी गांव के अन्दर सड़क का निर्माण न किए जाने से हर वर्ष बरसात में गम्भीर जल भराव होते हैं जिससे सैकड़ों निवासियों के मकानों में पानी घुसने से जान-माल का खतरा पैदा होता है ? यदि हां, तो उक्त गांव की आबादी के अन्दर अब तक सड़क का निर्माण क्यों नहीं किया गया और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

हरदोई जिले के सींचपालों के स्थानान्तरण की मांग

*३९--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ५ मई, १९७७ को शासनादेश १८४८ ए० एन०/२३-सि० अनु०-७/२३७/७४ के अन्तर्गत सींचपालों को उनके निवास के ग्राम/शहर के ३२ किलोमीटर की परिधि के अन्दर नियुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में जिला अधिशासी अभियन्ताओं को निर्देश दिए गए ? यदि हां, तो क्या हरदोई जिले में उक्त शासनादेश का पालन किया गया ? यदि, नहीं, तो कारण क्या है और शासनादेश की अवहेलना के दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां ।

हरदोई जिले में स्थित हरदोई डिवीजन, शारदा नहर हरदोई में उक्त शासनादेश का अनुपालन सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं एवं अन्य अधिकारियों द्वारा इस कारण संभव न हो सका क्योंकि एक साथ सभी सींचपालों के स्थानान्तरण से सिंचाई व्यवस्था अस्त व्यस्त होने की संभावना थी । प्रश्नगत सींचपालों के स्थानान्तरण की कार्यवाही की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले के हीरा लाल स्मारक इन्टर कालेज के भूतपूर्व प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों का बकाया वेतन

*४०--श्री दयाराम भास्कर--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत हीरा लाल स्मारक इन्टर कालेज, भरौली, आजमगढ़ के भूतपूर्व प्रधानाचार्य आदि के ११ माह के बकाया वेतन भुगतान कराने हेतु दिनांक ८ सितम्बर, १९७७ को अपनी संस्तुति के साथ आवेदन-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय के अध्यापकों के बकाया वेतन भुगतान हेतु क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कालीचरण--

जी नहीं । विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के १९७१ के पहले के बकाया वेतन के लिये शासन का उत्तर दायित्व नहीं है ।

अलीगढ़ जिले की सोमना ड्रेन के सफाई कार्य का आकस्मिक निरीक्षण

*४१--श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ११ जून, १९७८ को प्रदेश के कृषि मंत्री द्वारा सोमना ड्रेन, अलीगढ़ के सफाई कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या घोटाला पाया गया और उसमें किस-किस अधिकारी के कार्यों में घोटाला पाया गया ? क्या यह सत्य है कि इस घोटाले में कोई अधिकारी दोषी पाया गया ? यदि हां, तो अब तक इसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां ।

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १२६ पर)

सुल्तानपुर जिले की तहसील मुसाफिरखाना व अमेठी के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के स्थानान्तरण की मांग

*४२--श्री तेजभान सिंह (जिला सुल्तानपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना अमेठी, में ऐसे कितने अध्यापक व प्रधानाध्यापक हैं जो विगत ५ वर्षों से अपने घर से केवल एक किलोमीटर की दूरी पर ही अध्यापन कार्य करते आ रहे हैं ? क्या ऐसे अध्यापकों का तुरन्त स्थानान्तरण करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण--

जनपद सुल्तानपुर की तहसील मुसाफिरखाना में ६६ सहायक अध्यापक तथा २४ प्रधान अध्यापक एवं तहसील अमेठी में ७६ सहायक अध्यापक और २६ प्रधान अध्यापक विगत ५ वर्षों से अपने घर से एक किलोमीटर की दूरी पर अध्यापन कार्य करते आ रहे हैं । प्रश्नगत अध्यापक उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कार्य कर रहे हैं जो एक स्वायत्तशासी नियमित निकाय है । अतः शासन द्वारा स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के जनता आदर्श इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य की नियुक्ति

*४३--श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ (जिला बस्ती)

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता आदर्श इन्टर कालेज, गौरी बाजार, बस्ती, के प्रधानाचार्य ने नियुक्ति के बाद बी० एड० किया है ? यदि हां, तो उनकी प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति कैसे और कब हुई ?

श्री कालीचरण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

महाकवि देव इन्टर कालेज, कुसमरा में साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति और अध्यापकों का बकाया वेतन

*४४--श्री हाकिम लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महाकवि देव इन्टर कालेज, कुसमरा में सन् १९६६ से अब तक कोई प्रबन्ध समिति नहीं है, लगातार साधिकार नियंत्रक चला आ रहा है जबकि इनका कार्यकाल ५ वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है ? अब तक प्रबन्ध समिति का चुनाव क्यों नहीं कराया गया है ?

श्री काली चरण--

१९६७ से कोई वैध प्रबन्ध समिति नहीं है तथा दिनांक २८-९-७३ से साधिकार नियंत्रक कार्यरत है ।

विद्यालय की प्रबन्ध समिति के गठन हेतु सामान्य स्थिति न होने के कारण अब तक प्रबन्ध समिति का गठन सम्भव नहीं हो पा रहा है ।

*४५--श्री हाकिम लाल--

यह कि उपरोक्त विद्यालय के अध्यापकों का अप्रैल, १९७५ से नवम्बर, १९७५ तक का वेतन बकाया अब तक चला आ रहा है उसके भुगतान हेतु साधिकार नियंत्रक ने कोई व्यवस्था अब तक क्यों नहीं की ? क्या सरकार वेतन भुगतान की व्यवस्था कराने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

विद्यालय १-१२-७५ से हाई स्कूल के रूप में अनुदान सूची पर आया । धनाभाव के कारण साधिकार नियंत्रक द्वारा भुगतान की व्यवस्था सम्भव नहीं हो सकी ।

१-१२-७५ के पूर्व के वेतन बकाए का उत्तरदायित्व, प्रबन्ध समिति पर है । अतः शासन द्वारा कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

[६ दिसम्बर, १९७८ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

ए० एम० इन्टर कालेज मवाना, मेरठ की आडिट रिपोर्ट

*१--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन का ध्यान ए० एम० इन्टर कालेज, मवाना, जिला मेरठ में अक्तूबर, १९७७ में हुए विशेष आडिट रिपोर्ट की ओर गया है ? यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य संस्तुतियां एवं पाई गई अनियमितताएं क्या है एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री काली चरण--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

*२--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[१ले बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राजकीय पालीटेक्निक, बस्ती के अभ्यर्थियों का चयन एवं प्राप्तांक

*३--श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि १ जुलाई से ८ सितम्बर, १९७८ के मध्य बस्ती गवर्नमेन्ट पालीटेक्निक संस्थान में प्रथम वर्ष में किन-किन अभ्यर्थियों को प्रवेश मिला है और प्रवेश पाए हुए प्रत्येक अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के प्रतिशत अलग-अलग क्या है ? क्या यह सही है कि ७० प्रतिशत से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों का चयन किया गया ? तो वह कौन-कौन है और उनका चयन किस आधार पर किया गया है ?

श्री काली चरण--

वांछित सूचना तालिका 'क' में संलग्न है ।†

जी हां, ऐसे अभ्यर्थियों का विवरण तालिका 'ख' में संलग्न है † ।

चयन का आधार प्रत्येक अभ्यर्थी के समक्ष तालिका में अंकित† है ।

---

†छापी नहीं गयी ।

लोक सेवा आयोग द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारियों का चयन एवं नियुक्ति

*४--श्री रियायत हुसैन तथा श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ने राज्य सम्मिलित सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, १९७५ द्वारा ३८ बेसिक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु संस्तुति की थी ? यदि हां, तो क्या उनकी नियुक्तियां कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? इनकी नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री काली चरण--

आयोग की संस्तुति केवल ३० बेसिक शिक्षा अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्राप्त हुई थी। इनमें से जिनकी औपचारिकतायें पूर्ण हो गयी हैं उनके प्रशिक्षण के आदेश निर्गत किए जा चुके हैं। शेष ६ अभ्यर्थी मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित नहीं हुए इनमें से ही एक ने अपना विवरण भी नहीं दिया।

महानगर, सचिवालय कालोनी की सड़क को ऊंचा करने की मांग

*५--श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)--

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि महानगर सचिवालय कालोनी में टाइप तृतीय मकानों के सामने वाली सड़क पर बरसात के दिनों में लगभग २ फुट से अधिक पानी भर जाता है जिससे वहां के रहने वालों को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार शीघ्र सड़क को ठीक कराने का कष्ट करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां। सड़क को ऊंचा करके बनाने तथा जल निकासी का प्रबन्ध करने पर विचार किया जा रहा है।

*६--श्री मुनीन्द्र पाल सिंह--

[१ले बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

बन्धी प्रखन्ड, वाराणसी के अधिशासी अभियन्ता, श्री वेद प्रकाश अग्रवाल के विरुद्ध सतर्कता विभाग की जांच रिपोर्ट

*७--श्री देव राम (जिला गाजीपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७५ में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, वाराणसी श्री वेद प्रकाश अग्रवाल के विरुद्ध बन्धियों के निर्माण में रेनकूट की लाखों रुपए की फर्जी मिट्टी का भुगतान करने की जांच राज्य सतर्कता विभाग द्वारा पूरी कर ली गई है और श्री अग्रवाल की सत्य निष्ठा संदिग्ध पाई गयी है तथा उनके द्वारा दुर्नियोजित लाखों रुपए की वसूली उनसे किए जाने की संस्तुति भी की गयी है ? यदि हां, तो श्री अग्रवाल के विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां।

सिंचाई विभाग के बन्धी प्रखंड वाराणसी के निर्माण कार्यों म की गई अनियमितताओं की जांच सतर्कता विभाग द्वारा कराई गई। सतर्कता विभाग न अपनी जांच आख्या में श्री वेद प्रकाश अग्रवाल, अधिशासी अभियन्ता की सत्यनिष्ठा संदिग्ध बताई है और श्री अग्रवाल तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध विधिवत विभागीय कार्यवाही किए जाने की संस्तुति की है।

विभागीय कार्यवाही हेतु आरोप पत्र साक्ष्य सतर्कता विभाग से मांगे गए हैं।

लखनऊ विश्वविद्यालय की कोआपरेटिव लेंडिंग लाइब्रेरी को दिया गया अनुदान

*८--श्री रणजीत सिंह जूदेव (जिला झांसी)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय कोआपरेटिव लेंडिंग लाइब्रेरी की गत दो वर्षों में सदस्य संख्या क्या थी और शासन ने उसको कितना अनुदान दिया ? क्या यह सही है कि वर्ष १९७८ में उसकी सदस्य संख्या गत वर्षों से लगभग तिगुनी हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसी अनुपात में अनुदान स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

विश्वविद्यालय द्वारा कोआपरेटिव लेंडिंग लाइब्रेरी की सदस्य संख्या शैक्षिक सत्र १९७६-७७ एवं १९७७-७८ में क्रमशः ४०६३ एवं ७२३३ बतायी गयी है। शासन द्वारा उक्त वर्षों में १,२०,००० रु० (प्रति वर्ष ६०,००० के हिसाब से) का अनावर्तक अनुदान दिया गया।

जी नहीं।

दूसरे विश्वविद्यालयों को ध्यान में रखते हुए लखनऊ विश्वविद्यालय की कोआपरेटिव लेंडिंग लाइब्रेरी के लिए और अधिक अनुदान देना सम्भव नहीं है।

*९--श्री रणजीत सिंह जूदेव--

[१ले बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

माध्यमिक शिक्षकों का हड़ताल की अवधि का बकाया वेतन

*१०--डाक्टर भगवत दयाल (जिला झांसी)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि विगत दिसम्बर और जनवरी महीने में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों ने जो हड़ताल की थी उस समय का वेतन शासन ने उन्हें देने का फैसला किया था ? तथा बदली हुई परिस्थितियों में हड़ताल अवधि का वेतन देने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो यह वेतन कब तक और कितनी किस्तों में भुगतान किया जायगा ?

श्री काली चरण--

प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ के एक गुट के नेतृत्व में जिन शिक्षकों ने हड़ताल की थी उनको हड़ताल की अवधि का वेतन नहीं देने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया।

यह प्रश्न अभी शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता है।

*११—श्री रियासत हुसैन—

[१ले बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या ८३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

माध्यमिक शिक्षकों द्वारा हड़ताल की अवधि में रखे गए वैकल्पिक शिक्षकों की नियुक्ति

*१२—श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी) तथा श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार उन अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार कर रही है जिनकी वैकल्पिक नियुक्ति तो शिक्षकों की पिछली हड़ताल के समय हुई थी परन्तु उन्हें असामान्य परिस्थितियों के कारण पद भार ग्रहण करने को नहीं मिला था ? यदि हां, तो कब तक आदेश जारी होंगे ?

श्री काली चरण—

जी नहीं ।

शारदा सहायक खंड, लखनऊ के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य एवं ठेकेदारों का भुगतान

*१३—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड ४०—लखनऊ के अन्तर्गत मिट्टी के कार्य करने वाले ठेकेदारों का भुगतान जो मास जुलाई १९७७ में देय हो गया था, का भुगतान मुख्य अभियन्ता के आदेश संख्या २८३८/नि०—७—९२, बी—५०—४—डब्ल्यू, दिनांक १८ मार्च १९७८ से बावजूद अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह—

शारदा सहायक खण्ड ४० लखनऊ के अन्तर्गत मिट्टी के कार्यों के लिये कुल ५१ अनुबन्धों का भुगतान जुलाई १९७७ तक होना था । इनमें से २ अनुबन्धों का भुगतान हो चुका है । शेष ४९ अनुबन्धों में से ३७ अनुबन्धों के विरुद्ध बिल की धनराशि माइनस (—) में आती है तथा शेष १२ अनुबन्धों में ठेकेदार के ऊपर नियमानुसार जुर्माना लगाने के कारण उनके द्वारा भुगतान स्वीकार नहीं किया गया ।

छितौनी बांध के सुदृढ़ीकरण हेतु दी गयी सीमेन्ट एवं बनाये गये ब्लाकों की तकनीकी जांच

*१४—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छितौनी बांध के सुदृढ़ीकरण हेतु ब्लाकों की ढलाई के लिए सिंचाई विभाग के खड्डा के सीमेंट के भण्डार से १ जनवरी, १९७८ से ३० जून, १९७८ तक किन किन ठेकेदारों को कितनी-कितनी बोरी सीमेन्ट दी गयी है तथा उपरोक्त बांध के सुदृढ़ीकरण हेतु निर्मित ब्लाकों की तकनीकी जांच कराकर यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाकों के निर्माण म कुल कितनी सीमेन्ट, कितना बालू तथा कितनी मिट्टी का उपयोग हुआ है ?

श्री बलबीर सिंह—

छितौनी बांध के सुदृढ़ीकरण हेतु १ जनवरी, १९७८ से ३० जून, १९७८ तक गंडक नहर निर्माण खण्ड-पंचम देवरिया के खड्डा स्थित सीमेन्ट स्टोर से ठेकेदारों को कुल २४,०४१ (चौबीस हजार एकतालिस) बोरी सीमेन्ट निर्गत की गई। ठेकेदारों का विवरण निम्न प्रकार है :—

नाम ठेकेदार	सीमेन्ट जो दी गई
१—श्री राम प्रताप राय	३०७२ बोरी
२—श्री शिव कुमार	२६८२ ,,
३—श्री गोरख नाथ सिंह	२६४८ ,,
४—श्री विश्वनाथ तिवारी	२९३० ,,
५—श्री शिव कुमार	१०३० ,,
६—श्री मोहन लाल	३११३ ,,
७—श्री एम० एस० त्रिपाठी कन्स० कम्पनी	२७४० ,,
८—श्री सुरेश चन्द्र जैन	१३४५ ,,
९—श्री होसिला सिंह	१३७५ ,,
१०—श्री रामसाहू तिवारी	११८३ ,,
११—श्री रमेश चन्द्र जैन	१९२३ ,,
योग ..	२४,०४१ बोरी

ब्लाकों के सेम्पुल लिये जा चुके हैं तथा जांच हो रही है।

चौका नदी के चन्दौली घाट एवं रामपुर मथुरा घाट पर पुल निर्माण की मांग

*१५—श्री राम नारायण वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौका नदी पर चन्दौली घाट तथा रामपुर मथुरा घाट पर पुल बनवाने के सम्बन्ध म कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इन पुलों के निर्माण कार्य को सरकार कब तक प्रारम्भ कराने की व्यवस्था कराएगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी नहीं। अतः निर्माण प्रारम्भ करने का प्रश्न नहीं उठता।

ललौली इन्टर कालेज, फतेहपुर में साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति

*१६--श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि "ललौली इन्टर कालेज" फतेहपुर की प्रबन्ध समिति भंग है ? यदि हां, तो कब से ? क्या सरकार प्रबन्ध समिति का निर्वाचन करवाकर विद्यालय की व्यवस्था पुनः उसको सौंपेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

३ दिसम्बर, १९७३ से विद्यालय में साधिकार नियंत्रक नियुक्त है । विद्यालय की प्रबन्ध समिति के विवाद समाप्त हो जाने पर प्रबन्ध समिति के नियमानुसार चुनाव के पश्चात् कार्यभार सौंपना सम्भव हो सकेगा ।

गोरखपुर के कौड़ीराम-गजपुर मार्ग व कौड़ीराम डाक बंगले में दुकानों के निर्माण की मांग

*१७--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार बताएगी कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र कौड़ीराम गजपुर (जिला गोरखपुर) सड़क के सम्बन्ध में तथा कौड़ीराम (जिला गोरखपुर) के डाक बंगले में छोटी-छोटी दूकाने बनने के सम्बन्ध में ११ जुलाई, १९७८ को सार्वजनिक निर्माण मंत्री को मिला था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां ।

जनपद गोरखपुर में कौड़ीराम-गजपुर मार्ग के पुनः निर्माण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किय जान का विषय शासन के विचाराधीन है ।

कौड़ीराम डाक बंगले में दूकाने बनना जनहित में नहीं होगा ।

प्रदेश में निजी मान्टेसरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों के लिये योजना की मांग

*१८--श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निजी प्रबन्धकों द्वारा चलाए जा रहे मान्टेसरी एवं जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं के हो रहे शोषण को समाप्त करने के लिए कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

सम्प्रति कोई योजना शासन के विचाराधीन नहीं है ।

महावीर कन्या जूनियर हाई स्कूल, गोरखपुर द्वारा लिया गया बाढ़ क्षतिपूर्ति अनुदान

*१९—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि वर्ष १९७४-७५ में महावीर कन्या जूनियर हाई स्कूल बरगदहा, गोरखपुर के प्रबन्धक ने फर्जी छात्रों की सूची प्रस्तुत कर विभाग से बाढ़ क्षतिपूर्ति अनुदान लिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार जांच करा-कर इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करेगी ? और क्या यह भी सच है कि महावीर कन्या जूनियर हाई स्कूल बरगदही, गोरखपुर को वर्ष १९७७-७८ में बालिका विद्यालय की मान्यता दे दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री जे० के० सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच रिपोर्ट

*२०—श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जे० के० सक्सेना तथा श्री एस० जी० भार्गव, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध विजीलेन्स (सतर्कता अधिष्ठान) की जांच चल रही है ? यदि हां, तो कब से ? क्या यह सही है कि अधीक्षण अभियंता के पद पर नियुक्ति के समय से उनके विरुद्ध जांच चल रही है ? यदि हां, तो पदोन्नति किस आधार पर की गयी ? इन पर कौन-कौन से आरोप हैं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

केवल श्री जे० के० सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के ही विरुद्ध वर्ष १९७३ में प्राप्त शिकायतों के आधार पर सतर्कता विभाग द्वारा खुली जांच की गई थी । जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और उसका परीक्षण शासन स्तर पर किया जा रहा है ।

यह सही नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सक्सेना के विरुद्ध मुख्य आरोप निम्नलिखित थे :—

१—श्री सक्सेना ने अधिशासी अभियंता द्वारा भेजे गये ग्रिट के गलत रेट के विश्लेषण के आधार पर ऊंची दर के टेन्डर रेट अनुमोदन कर दिये और इस सम्बन्ध में शिकायतें आने पर उन्हें उचित ठहराने का प्रयास किया ।

२—यद्यपि आवश्यकता से पहले और आवश्यकता से अधिक मात्रा में ग्रिट खरीद कर मानकों से अधिक मात्रा में पेटिंग के कार्यों में ग्रिट खर्च कर दी गई थी फिर भी उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं की तथा उच्च अधिकारियों को प्रेषित जांच रिपोर्ट में अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के पक्ष में लिखा ।

३—इन्होंने कोई कदम ऐसा नहीं उठाया जिससे उक्त त्रुटि न होती ।

४—जमा की गई ग्रिट एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर वित्तीय हस्तगुस्तिका के प्राविधानों के विपरीत स्थानान्तरित की गई ।

बदायूं जिले के उझियानी–पटपरागंज भदरौल एवं उझियानी–खिरिया मार्ग के निर्माण की मांग

*२१—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बदायूं जनपद के जिला प्रशासन तथा जन प्रतिनिधियों ने बदायूं तहसील अन्तर्गत पटपटागंज से भदरौल तक तथा उझयानी स्टेशन से खिरिया तक सड़क बनाने का प्रस्ताव शासन को वर्ष १९७८ में भेजा है ? यदि हां, तो शासन ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां ।

उझियानी पटपरागंज भदरौल मार्ग खाद्यान्न योजना नं० ४ के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा चुका है ।

उझियानी स्टेशन–खिरिया मार्ग धनाभाव के कारण स्वीकृत नहीं किया जा सका है ।

अल्मोड़ा बागेश्वर मार्ग के बिजोरिया बेन्ड के कटान से मकानों को क्षति

*२२—श्री पूरन चन्द (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा–बागेश्वर मोटर मार्ग में कोसानी के पास बिजोरिया बेंड में अधिक कटान होने के कारण श्री रतन सिंह एवं श्री गोपाल सिंह ग्राम बिजोरिया, पो० कोसानी, जिला अल्मोड़ा के जो मकान २४ अगस्त, १९७८ में ध्वस्त हो गए हैं, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, की जा रही है, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

सर्व श्री रतन सिंह, गोपाल सिंह के मकान २४ अगस्त, १९७८ को ध्वस्त नहीं हुए हैं । अतः क्षतिपूर्ति का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

*२३—२४—श्री कृष्णा राय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक शिक्षा अधीक्षकों का वेतन मान

*२५—श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७२ से महाविद्यालय में सेवारत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतनमान का पुनरीक्षण हुआ था और एक जनवरी, १९७३ से उत्तर प्रदेश महाविद्यालयों में सेवारत प्राचार्यों एवं प्रवक्ताओं के वेतनमान का भी पुनरीक्षण सरकार ने कर दिया है किन्तु पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शारीरिक प्रशिक्षकों के वेतनमान का पुनरीक्षण अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या शासन के समक्ष इनके वेतनमान के पुनरीक्षण का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री कालो चरण--

उत्तर प्रदेश वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ ही इन कालेजों के पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतनक्रमों का भी पुनरीक्षण शासन द्वारा कर दिया गया है। इन कालेजों के शारीरिक प्रशिक्षकों (जिनका शासन द्वारा स्वीकृत पदनाम शारीरिक शिक्षा अवीक्षक है) के वेतन क्रम के पुनरीक्षण के मामले पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है।

फैजाबाद जिले के कामता प्रसाद श्यामसुन्दर साकेत महाविद्यालय में एम० एस-सी० रसायनशास्त्र की कक्षा खोलने की मांग

*२६--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के कामता प्रसाद श्यामसुन्दर साकेत महाविद्यालय (डिग्री कालेज), फैजाबाद में आने वाले शिक्षा-सत्र से रसायन शास्त्र में एम० एस-सी० की कक्षाएं खोलने की अनुमति शासन ने दे दी है? यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्र में इस बात की आवश्यकता को देखते हुए शासन द्वारा इसकी अनुमति कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

श्री कालीचरण--

जी नहीं।

वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस वर्ष अनुमति प्रदान नहीं की गई।

फैजाबाद जिले के माझाकम्हरियां में रिंग बांध के निर्माण की मांग

*२७--श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माझाकम्हरियां तहसील टाण्डा, जिला फैजाबाद में रिंग बांध बनाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र उन्हें दिनांक ६ जून, १९७८ को दिया जा चुका है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई?

श्री बलवीर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

हिन्दू इण्टर कालेज अतर्रा, जिला बांदा के भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के प्रवक्ता

*२८--श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि हिन्दू इण्टर कालेज, अतर्रा, जिला बांदा में इण्टर विज्ञान में कक्षाएं कम हो जाने से एक भौतिक तथा एक रसायन विज्ञान के प्रवक्ता गत वर्ष से अतिरिक्त हो गए हैं? यदि हां, तो उन्हें अन्य विद्यालय में स्थानान्तरण न करके उसी विद्यालय में रखने का क्या कारण है? इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री कालीचरण--

छात्र संख्या कम हो जाने तथा इन्टर विज्ञान में कक्षायें कम हो जाने से विज्ञान प्रवक्ता अतिरिक्त नहीं हुए है वरन् इन्टर कक्षाओं में उनका कार्यभार कम हो गया है, अतः उनसे अन्य कक्षाओं का अध्यापन कार्य लिया जा रहा है । समस्त अध्यापकों के स्थानान्तरण का कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ स्थित गिरि इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज के सम्बन्ध में पत्र

*२९--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित गिरि इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज के सिलसिले में १८ नवम्बर, १९७७ तथा ८ फरवरी, १९७८ को प्रश्नकर्ता की ओर से पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कालीचरण--

माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य का ९ नवम्बर, १९७७ का पत्र दिनांक १८ नवम्बर, १९७७ को प्राप्त हुआ था । दिनांक ८ फरवरी, १९७८ का कोई पत्र अभिलेखानुसार प्राप्त होना नहीं प्रतीत होता है । दिनांक ९ नवम्बर, १९७७ का पत्र प्राप्ति स्वीकार के पश्चात् पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेज दिया गया था ।

राजकीय निर्माण निगम, गोरखपुर के अवर अभियन्ता के विरुद्ध चोरी की कथित शिकायत

*३०--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि राजकीय निर्माण निगम, गोरखपुर के एक अवर अभियन्ता के विरुद्ध सितम्बर, १९७८ के प्रथम सप्ताह में गोदाम से सामान चुराकर बेचवाने की जानकारी शासन को है ? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है एवं इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं । ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम स्वयं कार्यवाही करने के लिए सक्षम है ।

उन्नाव जिले से शारदा कैनाल के जूनियर इन्जीनियर के स्थानान्तरण की मांग

*३१--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि शासन के आदेशों के विपरीत उन्नाव जनपद में सिंचाई विभाग (शारदा कैनाल) में ऐसे जूनियर इन्जीनियर कार्यरत हैं, जिनका मूल निवास स्थान उक्त जनपद में है ? यदि हां, तो ऐसे इन्जीनियरों को उक्त जनपद में रखने का क्या आधार है ?

श्री बलवीर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राधाकृष्ण पोद्दार इण्टर कालेज, चित्रकूट धाम, बांदा में चपरासियों की अनियमित नियुक्ति

*३२--श्री अठई राम--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राधाकृष्ण पोद्दार इन्टर कालेज, चित्रकूट धाम, बांदा में सात चपरासी कार्यरत दिखाए गए हैं ? क्या यह सही है कि उसमें से तीन विद्यालय के प्रबन्धक के अक्षयवट संस्कृत विद्यालय के छात्र हैं ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता के खिलाफ सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्री कालीचरण--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*३३--श्री देव बहादुर सिंह--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ में वैकल्पिक अध्यापकों की कथित नियुक्ति

*३४--श्री झामलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या सरकार को जानकारी है कि नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ के प्रबन्धक ने ५ जनवरी, १९७८ को शिक्षकों की हड़ताल के दौरान में आर० आई० जी० एस०, लखनऊ द्वारा नियुक्त वैकल्पिक अध्यापकों को कार्य नहीं करने दिया ? अगर हां, तो जांच कराकर उचित कार्यवाही सरकार करेगी ?

श्री कालो चरण--

नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ में मंडलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका, लखनऊ द्वारा किसी वैकल्पिक अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गई । अतः ५-१-७८ को उनके द्वारा नियुक्त वैकल्पिक अध्यापकों को कार्य न करने देन तथा जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ को दिया गया अनुदान

*३५--श्री झाम लाल अहेरवार--

क्या सरकार को जानकारी है कि नारी शिक्षा निकेतन, लखनऊ के इन्टर कालेज को १९७४-७५-७६ और १९७७ में किस-किस मद में कितना-कितना अनुदान दिया गया ? क्या सरकार इसके व्यय की जांच कराएगी ?

श्री कालो चरण--

सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

यदि आवश्यक हुआ तो उपर्युक्त जांच कराई जायेगी ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १२७ पर)

फैजाबाद जिले के कतिपय निर्माणाधीन मार्ग

*३६—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या यह सही है कि पिछली सरकार द्वारा जनपद फैजाबाद में बाला पैकाली–सराय बीर सिंहपुर मार्ग, माया बाजार महबूबगंज मार्ग, महरुआ–मघौली मार्ग को पूरा करने की स्वीकृति दी गयी थी और कार्य आरम्भ करने के आदेश दिए गए थे ? यदि हां, तो उक्त सड़कों पर मौजूदा सरकार द्वारा कितना काम किया गया और उक्त तीनों सड़कें कब तक बनकर पूरी हो जायेंगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां ।

इन मार्गों पर कार्य चल रहा है और प्रगति आशया संलग्न है ।

इन मार्गों को पूरा कराना धन की उपलब्धता पर निर्भर होगा ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १२८ पर)

सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु कृत कार्यवाही और श्री मुरारी लाल गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता व श्री प्यारे लाल कपूर, अधिशासी अभियन्ता, इलाहाबाद के विरुद्ध शिकायती पत्रों की जांच

*३७—श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने विभाग से भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु कौन-कौन से कदम उठाए हैं ? इसी सन्दर्भ में श्री गिरीश त्रिपाठी द्वारा दिनांक २४ अगस्त, १९७८ को दिए गए श्री मुरारी लाल गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अष्टदशम मंडल, सिंचाई कार्य, इलाहाबाद व श्री प्यारे लाल कपूर, अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खंड ३०, इलाहाबाद के भ्रष्टाचार सम्बन्धी पत्र पर अब तक की गई कार्यवाही से क्या मंत्री जी अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह—

सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) शासन स्तर पर एक प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ स्थापित है, जो सिंचाई विभाग की विभिन्न परियोजनाओं पर किये गये कार्य की प्राविधिक जांच करता है ।

(२) विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार/अनियमितताओं इत्यादि विषयक शिकायतों की समुचित जांच की जाती है और दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया जाता है ।

(३) विभाग के प्रत्येक मंडल में एक सहायक अभियन्ता के अधीन एक सिंचाई सेवा कक्ष खोले जाने के आदेश जारी किये गये हैं, जिनमें जनता की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं विषयक प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जाते हैं और प्रत्येक समस्या के निवारण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है । सिंचाई सम्बन्धी पूछ–तांछ के उत्तर भी दिये जाते हैं । प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र के विरुद्ध जांच कराई जा रही है ।

*३८--श्री गुरु प्रसाद--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री प्यारे लाल कपूर, अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खंड ३०, इलाहाबाद के विरुद्ध इलाहाबाद में कोई सतर्कता अधिष्ठान की जांच चल रही है ? यदि हां, तो क्या श्री कपूर के उसी स्थान पर बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है ? यदि हां, तो उन्हें स्थानान्तरित न करने का कारण बताने की कृपा करें ?

बलबीर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

डाक्टर अम्बादत्त पन्त की कुमायूं विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति

*३९--श्री देव बहादुर सिंह--

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि डा० अम्बादत्त पन्त को कुमायूं विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या डा० अम्बादत्त पन्त ने कार्यभार ग्रहण कर लिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

डा० अम्बादत्त पन्त को कुलपति, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल के पद पर कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया गया था । डा० पन्त ने उक्त नियुक्ति स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की ।

वाराणसी जिले के भौका कट परियोजना का त्रुटि पूर्ण निर्माण एवं अधिशासी अभियन्ता, श्री वेद प्रकाश अग्रवाल के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*४०--श्री देवराम--

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष १९७३ से वर्ष १९७५ तक वाराणसी जनपद में भौका कट परियोजना के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च किए गए किन्तु नहर की तली उल्टी खुदने से इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका तथा सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया । फलत: राज्य सतर्कता विभाग द्वारा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता (श्री वेद प्रकाश अग्रवाल) के विरुद्ध गबन एवं भ्रष्टाचार की जांच की रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है और उसमें श्री अग्रवाल की सत्यनिष्ठा संदिग्ध करते हुए लाखों रुपए की वसूली की संस्तुति भी की गयी है ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ? क्या मंत्री जी यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५६-५७ में मूसाखंड, वाराणसी में श्री वेद प्रकाश अग्रवाल के विरुद्ध कैशबुक के पन्ने जलाने और कैशबुक बदलने का अभियोग था ? जिसके फलस्वरूप तत्कालीन मुख्य अभियन्ता द्वारा श्री अग्रवाल की सेवाएं समाप्त करने की संस्तुति शासन को प्रस्तुत की गयी थीं और शासन द्वारा श्री अग्रवाल को सेन्सर प्रविष्टि प्रदान किए जाने के बावजूद भी इनकी नियुक्ति चीफ डिवीजन देवरिया, बाढ़ डिवीजन, बलिया, बन्धी डिवीजन, वाराणसी तथा टेहरी निर्माण खंड टेहरी में करके करोड़ों रुपए के भुगतान का अवसर दिया गया ? क्या यह सही है कि प्राय: प्रत्येक खंड में इनके विरुद्ध गबन एवं भ्रष्टाचार की जांच हुई और वे दोषी पाए गए ? यदि हां, तो उन्हें दोषी पाए जाने पर भी उनकी निर्माण खंडों में नियुक्ति किए जाने का दायित्व किन अधिकारियों पर है ?

श्री बलवीर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*४१--श्री जगन्नाथ सिंह--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

*४२--श्री रघुबर दयाल वर्मा--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

एटा जिले के एटा-सहावर मार्ग पर काली नदी पर पुल निर्माण

*४३--श्री मान पाल सिंह (जिला एटा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में एटा-सहावर रोड पर काली नदी के पुल के निर्माणार्थ उत्तर प्रदेश राजकीय सेतु निगम लि० लखनऊ द्वारा एस्टीमेट बनाकर शासन की स्वीकृति हेतु गत वर्ष भेजा गया है ? यदि हां, तो अब तक पुल निर्माण की स्वीकृति न दिए जाने का क्या-क्या कारण है और कब तक उक्त पुल का निर्माण करा दिया जायगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां ।

जनपद एटा में एटा-सहावर रोड पर काली नदी के पुल का निर्माण स्वीकृत कर दिया गया है । निर्माण दो वर्ष में पूरा हो जाने की आशा है ।

एटा जिले के सोरों-याकूत गंज मार्ग को पक्का किये जाने की मांग

*४४--श्री मान पाल सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के खाद्यान्न योजना नं० ३ के अन्तर्गत सोरों-याकूत गंज नव निर्माण सड़क को कब तक पक्का कर दिया जायगा ? क्या अप्रैल सन् १९७८ में इस सड़क को पक्के किए जाने के लिए धन की स्वीकृति हेतु एक प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, एटा द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्यालय को स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई और कब तक उक्त सड़क को पक्का कर दिया जायगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

खाद्यान्न योजना नं० ३ में स्वीकृत सोरों-याकूतगंज मार्ग को पक्का करना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, एटा का इस मार्ग को पक्का करने का प्रस्ताव मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण को प्राप्त हुआ है किन्तु खाद्यान्न योजना नं० ३ के अन्तर्गत निर्मित मार्गों को पक्का करने का अभी कोई योजना नहीं है ।

हाई स्कूल एवं इन्टर की कक्षाओं की मान्यता हेतु गठित समितियां

*४५--श्री श्रीनारायण--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल तथा इन्टर कक्षाओं को मान्यता प्रदान करने वाली कितनी समितियां बनी हैं । उनमें कौन-कौन से लोग पदाधिकारी हैं तथा उनके क्या अधिकार हैं ?

श्री काली चरण--

संस्थाओं को हाई स्कूल तथा इंटर कक्षाओं की मान्यता प्रदान करने वाली निम्न तीन समितियां गठित हैं :--

१--मान्यता समिति, इलाहाबाद--

(इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, फैजाबाद तथा झांसी शिक्षा सम्भागों हेतु ।)

२--मान्यता समिति, मेरठ--

(मेरठ, आगरा, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल शिक्षा सम्भागों हेतु ।)

३--मान्यता समिति, वाराणसी--

(वाराणसी, गोरखपुर शिक्षा सम्भागों हेतु ।)

उक्त समितियों के पदाधिकारियों की सूची संलग्न है ।

परिषद् की स्वीकृति और नियंत्रण के अधीन रहते हुये मान्यता समिति के निम्नलिखित कर्त्तव्य हैं :--

(१) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिये मानदंड और नियम विहित करना । प्रतिबन्ध यह है कि यह मानदंड और नियम राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाने के बाद ही प्रभावी होते है ।

(२) संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिये आवेदन पत्रों पर विचार करना और उनके सम्बन्ध में संस्तुति करना ।

(३) संस्थाओं के प्रधान और अध्यापकों के पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हताओं से छूट देने के आवेदन पत्रों पर परिषद् द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार विचार करना और उनके सम्बन्ध में संस्तुति करना ।

(४) ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो उसे परिषद् द्वारा प्रतिनिहित किये जायं ।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १३० पर ।)

वैकल्पिक माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति एवं ज्वाइनिंग रिपोर्ट

*४६--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले माध्यमिक शिक्षकों के हड़ताल की अवधि में उत्तर प्रदेश में जिन वैकल्पिक शिक्षकों की नियुक्ति एवं "ज्वाइनिंग" जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में हुई, उन्हें शासन द्वारा वैकल्पिक शिक्षक मानकर सभी सुविधाएं देने का निर्णय शासन द्वारा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) अध्यादेश, १९७८ की परिधि में ऐसे अध्यापक नहीं आते हैं जिन्होंने सम्बन्धित विद्यालय में वस्तुतः कार्यभार नहीं ग्रहण किया था ।

*४७--श्री जगन्नाथ सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

*४८--श्री मोहम्मद रफी खां--

[३रे मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

भूतपूर्व नलकूप निदेशक श्री एस० पी० सिंह द्वारा जारी किया गया स्टैंडिंग आर्डर का अनुपालन

*४९--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २४ अगस्त, १९७४ को तत्कालीन नलकूप निदेशक (श्री एस० पी० सिंह) ने अपने पत्र सं० ५८५३ टी० डब्लू/१६४ बी-१५८४-डब्लू के द्वारा एक स्टैंडिंग आर्डर नम्बर ७५ जारी किया था ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां । स्टैन्डिंग आर्डर नम्बर ७५ की एक प्रतिलिपि* संलग्न है ।

*५०--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार यह भी बताएगी कि उक्त आदेश नलकूप विभाग में फैले भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दृष्टि से किया गया था किन्तु इसका अनुपालन किसी भी जनपद में नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

उक्त स्टैन्डिंग के आर्डर के अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में कोई मामला देखने में नहीं आया है । फिर भी इन आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों से इसकी पुष्टि कराई जा रही है ।

गोंडा जिले में आपातकाल में पेड़ लगाने हेतु थारू जाति की ली गयी कथित भूमि

*५१--श्री बिन्दू लाल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा में आपातकाल में पेड़ लगाओ योजना के अन्तर्गत वन विभाग को थारू जाति से बांध के लिए ली गयी जमीन को पेड़ लगाने के लिए दे दिया गया था ? यदि हां, तो सरकार उस जमीन को उन थारुओं को वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

आपातकाल लागू किये जाने से पूर्व मार्च, १९७५ में शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार पेड़ लगाओ योजना के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की भूमि, जिस पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था, वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी थी ।

---

*अंग्रेजी में होने के कारण छापा नहीं गया ।

उस भूमि को किसी को वापस किये जाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उस पर लोगों का अवैध कब्जा था ।

*५२--श्री अशर्फी लाल लाल यादव--

[३रे बुद्धवार के लिए स्थगित ।]

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नलकूप, श्री आर० एन० टंडन द्वारा मोटरों का कथित क्रय

*५३--श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता नलकूप (पूर्व) (श्री आर० एन० टंडन) ने १९७६ में पद ग्रहण करने के बाद एन० जी० ई० एफ० की मोटरें क्रय करायीं ? यदि हां, तो उनका अनुमानित मूल्य तथा क्रय संख्या क्या है ? एन० जी० ई० एफ० की मोटरों की खरीद से मेसर्स अजीत एसोसिएट, बगम पुल, मेरठ का क्या कोई सम्बन्ध है ?

श्री बलबीर सिंह--

जी नहीं । श्री आर० एन० टण्डन द्वारा क्रय नहीं करायी गयी । प्रश्न नहीं उठता है ।

इस विषय में कोई जानकारी नहीं है ।

*५४--श्री करन सिंह--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित ।]

बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी स्कूलों एवं जूनियर हाई स्कूलों के परिचारकों का वेतनमान

*५५--श्री बिन्दू लाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं तथा जूनियर हाई स्कूलों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों (परिचारकों) को मात्र दस से पचपन रुपए मासिक वेतन दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी नहीं । पूर्णकालिक नियमित परिषदीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिसमें परिचारक भी सम्मिलित है, का वेतन १-१०-७७ से १६५ रु० मासिक नियत कर दिया गया है ।

*५६--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

*५७--श्री सोनपाल--

[चुनाव अवैध हो जाने के कारण निरस्त ।]

*५८--श्री सोनपाल--

[चुनाव अवैध हो जाने के कारण निरस्त ।]

प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को अपने जिले में नियुक्त न किये जाने सम्बन्धी आदेश

*५९--श्री नारायण सिंह भैंसोरा--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को उनके गृह जनपद में सेवा करने से वंचित किया गया था जो अभी भी लागू है ? यदि हां, तो वे कौन से कारण हैं जिससे उक्त निरीक्षकों को गृह जनपद में सेवा करने से वंचित किया गया है ? क्या शासन इस निर्णय को बदलने के लिये विचार करेगा ?

श्री काली चरण--

जी हां । प्रशासनिक दृष्टिकोण से । सम्प्रति उक्त निर्णय को बदलने विषयक कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है ।

राजकीय इन्टर कालेज, बेरीनाग, जिला पिथौरागढ़ के अध्यापकों का स्थायीकरण

*६०--श्री नारायण सिंह भैंसोरा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६४ से प्रान्तीयकृत विद्यालय राजकीय इन्टर कालेज, बेरीनाग, जनपद पिथौरागढ़ के प्रान्तीयकृत अध्यापकों का स्थायीकरण अभी तक क्यों नहीं हुआ ? क्या यह सही है कि ये अध्यापक लोक सेवा आयोग से वर्षों पूर्व अनुमोदित हो चुके हैं ?

श्री काली चरण--

स्थायी पदों के उपलब्ध न होने के कारण इन अध्यापकों का स्थायीकरण नहीं हुआ । प्रवक्ता तथा एल० टी० वेतनक्रम के प्रसंगत अध्यापक १९६९ में लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित किए गए थे ।

उन्नाव जिले में गंगा नदी में बनाये गये पिलर्स

*६१--श्री जगदीश प्रसाद द्विवेदी--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद में गंगा के कटाव से होने वाली क्षति को रोकने हेतु शासन द्वारा कुछ पिलर्स वर्ष १९७८ में बनवाए गए थे ? यदि हां, तो इन पिलर्स के बनवाने में कितना खर्चा आया ? क्या सिंचाई मन्त्री को यह भी जानकारी है कि उक्त पिलर्स गंगा की बाढ़ में बह गए ?

श्री बलवीर सिंह--

उन्नाव जनपद में गंगा नदी के कटाव से कुछ ग्रामों को बचाने के लिए जून तथा जुलाई १९७८ में ५ स्टडस तथा २ डैम्पर्स बनाने का कार्य किया गया । ५ स्टड्स तो बन गए परन्तु गंगा नदी में जलस्तर बढ़ जाने के कारण डैम्पर्स का निर्माण पूर्ण रूप से नहीं हो सका । इन कार्यों पर अब तक लगभग ११ लाख रुपये व्यय हुए हैं । इस वर्ष की भीषण बाढ़ के फलस्वरूप दो स्टड्स के पीछे कटाव हुआ । कोई भी निर्मित कार्य बहा नहीं है ।

पहाड़ी क्षेत्रों में नियुक्त सिंचाई विभाग के अवर अभियन्ता के कार्य-काल सम्बन्धी बन्धक-पत्र

*६२--श्री राम नारायन वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७६ में कुछ अवर अभियन्ता (सिविल) की नियुक्ति पहाड़ी क्षेत्रों पर इस प्रतिबन्ध के साथ की गयी थी कि उन्हें अपने सेवाकाल के प्रथम पांच वर्षों में पहाड़ी क्षेत्र में ही रहना होगा तथा इसके लिये उनसे बन्धक-पत्र भी भरवाया गया था ? क्या यह सही है कि इसकी अवहेलना करते हुए कई अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण पांच वर्ष से पहले ही मैदानी क्षेत्र में कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? शर्त को तोड़ने में कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

श्री बलवीर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शिक्षा विभाग के लेखकों द्वारा लिखी गयी कथित राष्ट्रीयकृत पुस्तकें

*६३--बाबा राम अधार यादव (जिला इलाहाबाद)--

क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश ने अपने उत्तर प्रदेश के विभागीय लेखकों द्वारा कक्षा १ से ११ तक की राष्ट्रीयकृत पुस्तकें लिखवायी है ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

श्री काली चरण--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अल्मोड़ा जिले में रामगंगा नदी पर बिचला दानपुर में मकुना स्थान पर कथित झूलेपुल का निर्माण

*६४--श्री पूरन चन्द्र--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा में रामगंगा नदी पर बिचला दानपुर में मकुना स्थान पर जो झूला पुल स्वीकृत है और जिसका निर्माण टेण्डर की स्वीकृति के बाद गत वर्ष आरम्भ कर दिया गया था ? यदि हां, तो उसका निर्माण अधूरे में ही क्यों बन्द कर दिया गया ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जिला अल्मोड़ा में रामगंगा नदी पर बिचला-दानपुर में भकुना स्थान पर इस नाम से कोई झूला पुल स्वीकृत नहीं है । अतः निर्माण अधूरे से बन्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय समिति की रिपोर्ट की संस्तुतियों का क्रियान्वयन

*६५--श्री बाबू राम शुक्ला--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९७२ से पूर्व विधायक श्री राधाकृष्ण गोस्वामी की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय समिति गठित की गई थी जिसने अपना प्रतिवेदन जनवरी, १९७४ में शासन को प्रस्तुत कर दिया था ? यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थीं ? क्या शासन उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने का विचार कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

समिति की मुख्य संस्तुतियों का सारांश †संलग्न है ।

कुछ संस्तुतियों को कार्यान्वित कर दिया गया है और शेष में से जिन संस्तुतियों पर व्यय भार निहित नहीं है उन पर विचार किया जा रहा है ।

*६६--श्री मंजूर अहमद--

[३ रे बुधवार के लिए स्थगित]

*६७--श्री राम सजीवन--

[३ रे बुधवार के लिए स्थगित]

राजकीय नलकूपों के सुदृढ़ीकरण हेतु की गई कार्यवाही

*६८--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश में स्थापित कुल १५,००० राजकीय नलकूपों में केवल नौ हजार नलकूप ही सुचारु रूप से चल रहे हैं, शेष की स्थिति इतनी खराब है कि वे हरित क्रान्ति के क्षेत्र में किसानों के लिए वरदान स्वरूप न होकर अभिशाप बने हुए है ? यदि हां, तो राजकीय नलकूपों की दशा सुधारने हेतु शासन कोई प्रभावी कदम उठाया जायेगा ?

श्री बलवीर सिंह--

प्रदेश में १ अप्रैल, १९७८ को चलित नलकूपों की संख्या १४४८३ थी । यह कथन सत्य नहीं है कि इनमें से केवल ९००० नलकूप सुचारु रूप से चल रहे हैं । कुछ नलकूप जो खराबियों के कारण बन्द हो जाते हैं या ठीक से नहीं चलते हैं उनके पुनर्निर्माण या मरम्मत की कार्यवाही आवश्यकतानुसार की जाती है ।

राजकीय नलकूपों की दशा सुधारने हेतु निम्न कार्यवाही की गई है :--

(अ) सभी नलकूपों पर एक-एक नलकूप चालक रखने का निर्णय लिया जा चुका है तथा पदों की स्वीकृति दी जा चुकी है ।

---

†छापी नहीं गई ।

(ब) नलकूपों पर पक्की गूलों के स्थान पर भूमिगत पाइप लाइन भी लगाई जाने लगी है।

(स) नलकूपों के पुर्जे बनाने के लिये वर्कशाप की संख्या बढ़ाई जा रही है।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों की परीक्षायें

*६९—श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या माननीय शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में वर्ष १९७७-७८ के सत्र की परीक्षायें समय से न हो सकीं एवं कई बार टलीं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगामी सत्र में ऐसा न हो इसके लिए शासन ने कोई व्यवस्था की है ?

श्री काली चरण—

जी नहीं। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की परीक्षायें निर्धारित समय के अनुसार हुई थीं। शेष विश्वविद्यालय की परीक्षायें सत्र के देर से प्रारम्भ होने तथा छात्र असंतोष के कारण समय से नहीं हो सकीं।

विश्वविद्यालय स्वायत्त शासी संस्थायें हैं अतः परीक्षाओं के सम्बन्ध में शासन द्वारा व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी जून १९७८ के कुलपति सम्मेलन में समस्त कुलपतियों से यह अनुरोध किया गया था कि वे शैक्षिक सत्र को सामान्य बनाने का प्रयास करें।

शिक्षा विभाग में अनुसूचित जाति के राजपत्रित कर्मचारियों का कोटा

*७०—श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतनमान में अनुसूचित जाति का कोई कोटा निर्धारित है ? यदि हां, तो उसकी पूर्ति में क्या कठिनाई हो रही है और कब तक वह पूरा हो जाने की आशा है ?

श्री काली चरण—

जी हां।

अनुसूचित जाति के लिए १८ प्रतिशत कोटा निर्धारित है। इसकी पूर्ति पात्र एवं अर्ह व्यक्तियों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं हुई है। पात्र एवं अर्ह व्यक्तियों के उपलब्ध हो जाने पर ही कोटा पूरा हो सकेगा।

*७१—श्री भगवती चरण निर्मोही—

[३ रे बुधवार के लिए स्थगित।]

आगरा जिले के बलवन्त विद्यापीठ रूरल इन्सटीट्यूट में प्राचार्य के पद पर डा० एच० पी० सिंह की नियुक्ति

*७२—श्री श्यामलाल पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगरा विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध बलवन्त विद्यापीठ रूरल इंस्टीट्यूट, बिचपुरी (आगरा) के प्राचार्य की नियुक्ति के बारे में जांच करने के लिए आगरा विश्वविद्यालय ने अप्रैल अथवा

[श्री श्याम दत्त पालीवाल---]

मई, १९७५ में कोई समिति नियुक्त की थी ? यदि हां, तो उस समिति की रिपोर्ट क्या थी तथा रिपोर्ट के अनुसार आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति ने क्या कार्यवाही की ?

श्री काली चरण--

जी हां ।

जांच समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि डा० एच० पी० सिंह की नियुक्ति प्राचार्य, बलवन्त विद्यापीठ रूरल इन्स्टीट्यूट के रूप में विधिवत नहीं की गई क्योंकि उन्हें स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के अध्यापन का अनुभव नहीं था ।

जांच समिति के प्रत्यावेदन तथा पूरे मामले पर विचारोपरान्त तत्कालीन कुलपति ने ६ जनवरी, १९७६ को यह आदेश दिया कि डा० एच० पी० सिंह को प्रधानाचार्य के पद पर विश्वविद्यालय द्वारा १३ दिसम्बर, १९७१ को अनुमोदित किया जा चुका है और वे तब से प्रधानाचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं । मामले पर पुनर्विचार किया जाना प्रधानाचार्य विद्यापीठ तथा विश्वविद्यालय किसी के लिये श्रेयष्कर न होगा अतः मामला समाप्त समझा जाय ।

लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्ययन स्तर के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का तार

*७३--श्री श्यामदत्त पालीवाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन ने कोई पत्र शिक्षा सचिव, उत्तरप्रदेश को सितम्बर के अन्तिम सप्ताह या अक्तूबर के प्रथम सप्ताह १९७८ में लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्ययन स्तरों पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कि विश्वविद्यालय का विकास अनुदान रोका जा सकता है, लिखा है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उपरोक्त पत्र को सदन के पटल पर रखेंगे तथा बतायेंगे कि उपरोक्त पत्र के अनुसार क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री कालीचरण--

जी हां । पत्र नहीं तार प्राप्त हुआ था । प्राप्त तार की प्रतिलिपि संलग्न है । विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि उक्त प्रसंग में उनके द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही की जा चुकी है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १३१ पर)

नलकूप प्रखंड द्वितीय, वाराणसी द्वारा साइन बोर्ड और ईंटों की खरीद

*७४--श्री उदय नारायण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि नलकूप प्रखन्ड द्वितीय वाराणसी में कार्यादेश द्वारा नलकूपों पर लगाने हेतु साइनबोर्ड की आपूर्ति माह फरवरी-मार्च, १९७८ में करीब बीस हजार रुपए की कराई गई और उसका भुगतान भी हो चुका है ? क्या यह सही है कि वास्तविकता यह है कि वे साइनबोर्ड ही नहीं बनवाए गए न लगाए गए ? क्या मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां ।

नलकूप प्रखन्ड द्वितीय वाराणसी के अन्तर्गत माह फरवरी एवं मार्च, १९७८ में दो कार्यादेशों द्वारा नलकूपों पर लगाने हेतु रु० ९,७१० की लागत में ५४ अदद साइन बोर्ड की आपूर्ति ली गयी एवं उसका भुगतान भी मार्च, १९७८ में किया गया है । उक्त साइनबोर्ड उपलब्ध है तथा नलकूपों पर साइनबोर्ड लगाने की कार्यवाही की जा रही है ।

अतः इसकी जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*७५--श्री उदय नारायण सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि वाराणसी जनपद में नलकूप प्रखण्ड द्वितीय के अन्तर्गत सकलडीहा विकास क्षेत्र के जमुनीपुर और बर्थराकला नलकूपों पर क्रमशः पचास-पचास हजार ईटों की आपूर्ति और ढुलाई का भुगतान मार्च, १९७८ तक कर दिया गया है, जबकि उन दोनों नलकूपों पर एक भी ईट नहीं है ? क्या इसकी जांच सरकार कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां । वाराणसी जनपद से नलकूप प्रखन्ड द्वितीय के अन्तर्गत सकलडीहा विकास क्षेत्र के जमुनीपुर नलकूप पर मार्च, १९७८ में ५०,००० ईटों का एवं बर्थरा-कला नलकूप पर माह अक्टूबर एवं नवम्बर, १९७७ में ७०,००० ईटों की आपूर्ति एवं ढलाई कार्यादेशों द्वारा ली गई एवं उसका भुगतान मार्च, १९७८ में, किया गया है । दोनों, नलकूपों पर ली गई ईटों में से काफी ईटें लगा दी गई हैं तथा शेष ईटें निर्माण हेतु निर्गत कर दी गई हैं जोकि कार्यस्थल पर उपलब्ध हैं ।

अतः इसकी जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

*७६--श्री हुकम चन्द तिवारी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

गोरखपुर जिले में चोनपुर माइनर का निर्माण

*७७--श्री शारदा प्रसाद जायसवाल--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता प्रथम गोरखपुर ने चोनपुर माइनर का निर्माण कार्य काश्तकारों की खड़ी फसल को नुकसान करते हुए वर्ष १९७६-७७ में शुरू कराया था ? क्या कारण है कि वह निर्माण कार्य दो वर्षों से बन्द है ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्त्ता ने माह सितम्बर, १९७८ तक निर्माण कार्य शुरू करने के सम्बन्ध में सिंचाई मन्त्री को पत्र लिखे ? यदि हां, तो सरकार द्वारा तत्काल निर्माण कार्य शुरू न करने का कारण क्या है ?

श्री बलबीर सिंह--

चोनपुर रजबहा के कि० मी० ० से २.० तक कोई फसल नहीं काटी गई थी कि० मी० २ से ३ के बीच कहीं-कहीं थोड़ा कार्य आरम्भ हुआ था और इस बीच में खड़ी फसल काश्तकारों ने स्वयं काट लिया था ।

यह नहर रेलवे लाइन को पार करती है । जब तक रेलवे विभाग रेलवे लाइन पार करने की अनुमति नहीं देता नहर का बनाना तथा डिजाइन फाइनल करना सम्भव नहीं है । रेलवे विभाग से अनुमति मिलने तखमीना लेबिल तथा डिजाइन के अनुमोदन के उपरान्त ही आगे कार्यवाही हो सकती है ।

प्रश्नकर्ता ने पत्र लिखे किन्तु उपरोक्त कारणों से काम नहीं हो सका । रेलवे विभाग से निर्णय प्राप्त होने और भूमि मिलने पर काम किया जायेगा ।

उप विद्यालय निरीक्षकों के स्थायीकरण की मांग

*७८—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा) —

क्या शिक्षा मन्त्री को पता है कि १८ अप्रैल, १९७८ को शासन ने ऐसा निर्णय लिया है कि तीन वर्ष या इससे अधिक जिनको जनवरी, १९७७ में पूरा हो रहा है ऐसे राज्य कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया जायगा ? यदि हां, तो क्या तदर्थ नियुक्ति प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों को भी उक्त आदेश के अनुसार स्थायी किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण —

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में नया विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा

*७९—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताएगी कि मुख्य मन्त्री ने २ अक्तूबर, १९७८ को आजमगढ़ में घोषणा की है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक नया विश्वविद्यालय खोला जायगा ? यदि हां, तो यह विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित होगा तथा कब से कार्य करना शुरू कर देगा ? क्या यह आवासीय विश्वविद्यालय होगा ?

श्री कालीचरण —

जी हां । इस मामले में भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को उनकी सहमति प्राप्त करने हेतु लिखा गया है, जिसके प्राप्त होने पर ही अन्य प्रकरण निश्चित किये जायेंगे ।

*८०—श्री मसूदुल हसन नोमानी—

[३रे बुधवार के लिए स्थगित ।]

ए० एम० इन्टर कालेज, मवाना, मेरठ की आडिट रिपोर्ट

*८१—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ए० एम० इन्टर कालेज, मवाना जिला मेरठ में वर्ष १९७२ में भी स्पेशल आडिट हुआ था ? यदि हां, तो मुख्य अनियमितताय क्या पाई गयीं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कालीचरण --

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय कोआपरेटिव लेंडिंग लाइब्रेरी के लिये कर्मचारियों की मांग

*८२--श्री रणजीत सिंह जू देव--

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय कोआपरेटिव लेंडिंग लाइब्रेरी के लिए इन्सपेक्टर आफिसर्स ने १० अतिरिक्त कर्मचारियों की मांग १९७७-७८ में की थी ? यदि हां, तो उस विषय में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कालीचरण --

जी हां ।

मामले पर शासन द्वारा तत्परता से विचार किया जा रहा है और आदेश यथाशीघ्र निर्गत किये जायेंगे ।

शारदा सहायक खन्ड, लखनऊ के पश्चिमी कल्याणी एवं पूर्वी कल्याणी साइफन के निर्माण में लोहे की आपूर्ति

*८३--श्री रियासत हुसैन--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि शारदा सहायक खन्ड अष्टम, लखनऊ के अन्तर्गत पश्चिमी कल्याणी और पूर्वी कल्याणी साइफनों के निर्माण में लगी स्टील की मात्रा में पाई गई कमी की अनुमानित कीमत कितनी है ? छानबीन किस माध्यम से कराई गई और छानबीन में उपरोक्त के अलावा अन्य क्या अनियमितताएं पाई गयीं ? अन्तिम परिणाम की जानकारी कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

श्री बलबीर सिंह--

शारदा सहायक खन्ड अष्टम लखनऊ के अन्तर्गत पोषक नहर के कि० मी० ११८-४०० पर निर्मित पश्चिमी कल्याणी साईफन पर अनुमोदित ड्राइंग पर आधारित लोहे की अनुमानित मात्रा की अपेक्षा ६१.४० मी० टन कम लोहा प्रयोग हुआ जिसकी लागत लगभग १.० लाख रुपये होती है ।

पोषक नहर के कि० मी० ११२.४०० पर निर्मित पूर्वी कल्याणी साईफन पर अनुमानित मात्रा की तुलना में १०१.७२ मी० टन लोहा अधिक प्रयोग हुआ है, जिसकी लागत १.७२ लाख रुपये होती है ।

इसकी छानबीन अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खन्ड अष्टम लखनऊ के माध्यम से कराई गई, जिसमें उपरोक्त के अलावा निम्न अनियमिततायें और पाई गई --

(१) पश्चिमी कल्याणी साईफन पर सम्बन्धित कार्यों हेतु निर्गत ८९.३१ मी० टन लोहे का समुचित विवरण उपलब्ध नहीं है ।

(२) पूर्वी कल्याणी साईफन पर विभिन्न व्यास के निर्गत लोहे एवं उसकी माप पुस्तिका में अंकित माप में भिन्नता पाई गई है ।

उपरोक्त दोनों साइफनों पर लोहे के उपयोग सम्बन्धी जांच पूर्ण हो गई है ।

लखनऊ में सरकारी मकानों के मानक किराया में अन्तर

*८४—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि लखनऊ जनपद में सरकारी कर्मचारियों के एक प्रकार के सरकारी मकानों का स्टैन्डर्ड रेंट अलग-अलग है ? यदि हां तो ऐसा क्यों ? क्या सरकार स्टैंडर्ड रेंट को एक समान करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

राज्य सम्पत्ति विभाग के अधीन लखनऊ में एक प्रकार के एक लागत में निर्मित किये गये सरकारी मकानों का मानक किराया एक ही है । चूंकि सरकारी मकानों का मानक किराया मकानों की मूल लागत के आधार पर निर्धारित किया जाता है, अतः अलग-अलग समय पर निर्मित मकानों का मानक किराया मकानों की लागत में अन्तर के कारण अलग-अलग है । मकानों के किराये को पूल करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

अतारांकित प्रश्न

शारदा सहायक पोषक नहर पर साइफन का कथित निर्माण

१—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक की नहर के ११२ किलोमीटर तथा ११८ किलोमीटर पर बनाई गई साइफनों के समान किन-किन किलोमीटर पर अन्य साइफन बनाई गई हैं और उनमें हर साइफन पर कितना-कितना लोहा खर्च हुआ है तथा प्रत्येक पर डि-वाटरिंग का कितना खर्च आया है ?

श्री बलवीर सिंह—

शारदा सहायक पोषक नहर के ११२-४०० कि०मी० एवं ११८-४०० पर बनाई गई साइफनों के अनुरूप कोई अन्य साइफन उक्त पोषक नहर पर बनाई नहीं गई है । अतः वांछित सूचना देने का प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग गोरखपुर के निरीक्षण भवन में एस० डी० एम० का निवास-स्थान

२—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर के एस० डी० एम०, सदर ने विगत डेढ़ वर्ष से सार्वजनिक निर्माण विभाग (गोरखपुर) के निरीक्षण भवन के एक हिस्से पर आवास हेतु कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

एस० डी० एम० सदर सार्वजनिक निर्माण विभाग के गोरखपुर स्थित निरीक्षण भवन में दिनांक १८ मार्च, १९७७ से २४ जुलाई, १९७८ तक निवास स्थान बनाकर रहे थे ।

उपरोक्त अवधि का किराया व अन्य बिजली व्यय की वसूली सम्बन्धित एस० डी० एम० से किए जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता श्री रमाशंकर सिंह का स्थानान्तरण

३—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के नेता तथा बांसगांव (गोरखपुर) के तत्समय सेवारत अध्यापक (श्री रमाशंकर सिंह) का जुलाई, १९७७ से जुलाई, १९७८ तक ६ बार स्थानानान्तरण किया गया ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

श्री काली चरण—

जी नहीं, प्रश्नगत अध्यापक का स्थानान्तरण प्रश्नगत अवधि में चार बार किया गया । प्रथम दो बार स्थानान्तरण शिकायती पत्रों के आधार पर किया गया जो बाद में स्थगित/निरस्त किया गया । अन्तिम दो बार स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से उच्चादेशों के अनुसार किया गया ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के रीडर, डाक्टर कृष्णानन्द आदि का बकाया वेतन

४—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के डा० कृष्णानन्द, रीडर, राजनीति शास्त्र सहित आठ अध्यापकों का १९५८ से १९६६ का बकाया वेतन उन्हें अब तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो सरकार क्या कर रही है ? क्या इस विषय में वे लोग दिसम्बर, १९७७, जनवरी, १९७८ में शासन को पत्र भी लिखे हैं ?

श्री काली चरण—

जी हां, विश्वविद्यालय द्वारा उक्त अध्यापकों के बकाये वेतन के भुगतान हेतु शासन से अनुदान की मांग की गई । शासन द्वारा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव का परीक्षण किए जाने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त अध्यापकों का विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित वेतन त्रुटिपूर्ण था । अतः अवशेष वेतन के भुगतान की स्वीकृति शासन द्वारा नहीं दी गई । उक्त अध्यापकों का दिनांक २ अक्तूबर, १९७७ का पत्र माननीय प्रश्नकर्त्ता सदस्य महोदय ने वित्त मंत्री जी को दिनांक १९ जनवरी, १९७८ को दिया था ।

नलकूप खण्ड, सीतापुर के कर्मचारियों की सेवा-पुस्तिका

५—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप डिवीजन, लखनऊ से सीतापुर डिवीजन वर्ष १९७३-७४ में पृथक हो जाने के कारण जिन कर्मचारियों की सेवाएं सीतापुर डिवीजन के अधीन कर दी गई हैं, उनकी सेवा पुस्तिकाएं सीतापुर केन्द्र पर भेज दी गई हैं अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक भेज दी जायेंगी ?

श्री बलबीर सिंह—

जून, १९७४ में नलकूप खण्ड, सीतापुर के सृजन के फलस्वरूप, जिन १७६ कर्मचारियों की सेवायें उक्त खण्ड के अधीन की गई थी, उनमें से १४२ कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकायें भेजी जा चुकी हैं । शेष ३४ सेवा पुस्तिकायें भी शीघ्र ही भेज दी जावेंगी ।

सीतापुर जिले में 'खाद्यान्न योजना' के अन्तर्गत सड़क के निर्माण की मांग

६--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में ३० जून, १९७८ तक "खाद्यान्न योजना-४" के अधीन सीतापुर जिले में कुल कितने किलोमीटर सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया गया तथा इस अवधि तक कितना निर्माण प्रस्तावित था ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

चालू वित्तीय वर्ष १९७८-७९ से 'खाद्यान्न योजना-४' के अधीन ३० जून, १९७८ तक जिला सीतापुर में किसी मार्ग के निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल का निलम्बन

७--श्री मोहन सिंह (देवरिया)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल, जो गोरखपुर विश्वविद्यालय डी० पी० ए० के छात्र थे, उन्हें वहां श्री कृष्णानन्द नियन्ता विश्वविद्यालय गोरखपुर ने अपने 31 जुलाई, १९७८ के आदेश से विश्वविद्यालय से निलम्बित कर दिया ? यदि हां, तो श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल के विरुद्ध क्या-क्या आरोप थे ? इन आरोपों के निस्तारण हेतु अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री कालीचरण--

जी हां।

श्री राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल के विरुद्ध डा० ए० पी० बंजल, अध्यक्ष, वाणिज्य विभाग को ३१-७-७८ को दिन में लगभग दो बजे उनके कार्यालय में आठ अध्यापकों के सामने मारने का आरोप है। जांच में आरोप सिद्ध होने पर कुलपति ने श्री जायसवाल को अपने आदेश दिनांक २८ अक्तूबर, १९७८ द्वारा वर्तमान सत्र से लेकर १९७९-८० के अन्त तक के लिए विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया।

गंडक परियोजना के खजुरिया शाखा, चाफ शाखा एवं छितौनी बांध के बेलदार एवं गेज रीडर का वेतन-क्रम

८--श्री श्री नारायण--

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गण्डक परियोजना में खजुरिया शाखा चक तथा शाखा छितौनी बन्ध, कुल मिलाकर कितने बेलदार व गेज रीडर कार्यरत हैं तथा उनकी सेवाओं की शर्तें तथा वेतनक्रम क्या हैं तथा कालागढ़, मिर्जापुर और शारदा सहायक के बेलदारों तथा गेज रीडरों का वेतनक्रम और सेवा की शर्तें क्या हैं ?

श्री बलबीर सिंह--

कदाचित प्रश्नकर्ता का आशय कार्यप्रभारित कर्मचारियों से है। गण्डक परियोजना में खजुरिया शाखा, चाफ शाखा तथा छितौनी बांध पर कार्यप्रभारित अधिष्ठान में कुल मिलाकर १२० बेलदार तथा ५ गेज रीडर कार्यरत हैं। उन्हें

कार्यभारित कर्मचारियों को सामान्य सेवा शर्तों के अधीन नियमानुसार संहत वेतन दिया जाता है :—

कर्मचारी	न्यूनतम	अधिकतम	सामान्य वार्षिक वृद्धि
	रु०	रु०	रु०
बेलदार	१६५.००	२१५.००	५.००
गेज रीडर	१७०.००	२२५.००	५.००

मिर्जापुर एवं शारदा सहायक के बेलदारों एवं गेजरीडरों की स्थिति उपरोक्तानुसार ही है ।

कालागढ़ में बेलदार तथा गेजरीडरों का वेतनक्रम १६५–२१५ रु० है जिस पर ८.०० रु० प्रतिमाह प्रतिकर भत्ता तथा महंगाई भत्ता देकर कुल संहत वेतन दिया जाता है । सहायक श्रमायुक्त एवं प्रमाण–पत्र दाता अधिकारी, बरेली द्वारा प्रमाणित स्थायी आदेश इन पर लागू हैं ।

प्रदेश में सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारित कर्मचारियों के संहत वेतन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से मुख्य अभियन्ता के कार्यालय ज्ञाप संख्या ३६३०–ई–५/१३२–मिस/का० प्र० आदेश–७७–७८, दिनांक ५–८–७८ द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

प्रदेश में नहरों की सिंचाई क्षेत्र में वाटर लागिंग की समस्या

९—श्री फजलुल बारी (जिला गोण्डा)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में नहरों की सिंचाई के जरिये अन्डर ग्राउन्ड वाटर की सतह ऊपर आने की वजह से वाटर लागिंग बढ़ती जा रही है और जिसके फलस्वरूप खेती की जमीन में ऊसर पैदा होने का खतरा है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ?

श्री बलवीर सिंह—

उत्तर प्रदेश में नहरों की सिंचाई के माध्यम से भू-गर्भ जल स्तर सामान्यतः नहीं बढ़ रहा है एवं वाटर लागिंग की समस्या भी कुछ स्थानों को छोड़कर सामान्यतः नहीं हो रही है । जिन स्थानों में वाटर लागिंग की समस्या है, उनसे जमीन में ऊसर पैदा होने का अवश्य खतरा हो सकता है । किन्तु सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है और इस समस्या पर नियन्त्रण करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में नहरी कमांड में भी राजकीय तथा निजी नलकूप लगाये जाने की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं । साथ ही ड्रेनों का निर्माण करके इस समस्या का समाधान कराया जा रहा है । भू-तल एवं भू-गर्भ जल के सह उपयोग की ओर विशेष बल दिया जा रहा है ।

आगरा जिले के राजकीय इन्टर कालेजों के लिपिकों एवं टीपा लेखकों के स्थायीकरण की मांग

१०—श्री हाकिम लाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा उप निदेशक, द्वितीय मंडल, आगरा के अधीनस्थ राजकीय इन्टर कालेजों में प्रधान लिपिक तथा टीपा लेखकों के कितने पद स्थायी हैं और अब तक इन पर कार्यरत कौन-कौन प्रधान लिपिक एवं टीपा लेखकों को स्थायी किया जा चुका है और कितने स्थायी पद रिक्त हैं इन पर अब तक स्थायी न करने का क्या कारण है ?

११—क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि रिक्त पदों पर स्थायीकरण करने के लिए शासन तथा विभाग ने कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की ? अब इन लिपिकों को कब तक स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

छितौनी बांध के निर्माण, सुदृढ़ीकरण एवं रखरखाव पर खर्च की गयी धनराशि और ढाले गये ब्लाक

श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छतौनी बांध का निर्माण कब हुआ इसके निर्माण में कितने रुपये लगे थे तथा निर्माण काल से ३० जून, १९७८ तक छितौनी बांध की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण आदि के रख-रखाव में कितने रुपये खर्च हुए ?

१२—श्री बलबीर सिंह—

छितौनी बांध का निर्माण पहली बार सन् १९५४-५५ में प्रारम्भ हुआ और वर्ष १९५७-५८ में पूर्ण हुआ । इसके निर्माण में २२·९१ लाख रुपये लागत आयी थी । निर्माण के बाद से ३० जून १९७८ तक बांध के सुदृढ़ीकरण आदि में १३०४·२८ लाख रुपये व मरम्मत एवं रख-रखाव में २२·७७ लाख रुपये व्यय किया गया ।

१३—श्री श्रीनारायण—

क्या सिंचाई मन्त्री को यह ज्ञात है कि इस वर्ष फरवरी, १९७८ से जून, १९७८ तक छितौनी बांध की सुरक्षा में जो ब्लाक ढाले गए हैं उसमे भयंकर घोटाला हुआ है और ब्लाक पानी के पड़ने से टूटते जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय तत्काल इसकी तकनीकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को दन्डित करने तथा बांध का कार्य विभाग द्वारा कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बलवीर सिंह—

जी नहीं । सीमेंट कांक्रीट ब्लाक, लांचिंग एप्रन में जो ब्लाक ढाले जाते हैं । वे नदी की बाढ़ में नीचे खिसक जाते हैं (अर्थात लांच हो जाते हैं) ब्लाक लांच होकर बांध को कटाव से सुरक्षा प्रदान करने हेतु ही ढाले जाते हैं ।

तकनीकी जांच तथा किसी व्यक्ति को दन्ड देने का प्रश्न नहीं उठता

बांध का सुदृढ़ीकरण कार्य आवश्यकतानुसार कराया जायेगा ।

महमूदाबाद से रामपुर मथुरा सड़क को डामर रोड बनाने की कथित योजना

१४—श्री राम नारायन वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि शारदा सहायक परियोजना द्वारा महमूदाबाद से रामपुर मथुरा जाने वाली सड़क को डामर रोड बनाने की योजना इस वर्ष स्वीकृत हुई है ? यदि हां, तो आज तक कितना कार्य पूरा किया जा चुका है ?

श्री बलबीर सिंह—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी जिले के रुदौली में नलकूप उपखंड खोलने का आदेश

१५—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत रुदौली कस्बे में नलकूप विभाग के सहायक अभियन्ता का दफ्तर कायम करने हेतु मार्च सन् १९७८ ई० को कोई आदेश सरकार द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो उक्त दफ्तर को वहां कायम होने में क्यों विलम्ब किया जा रहा ?

श्री बलबीर सिंह—

रुदौली में नलकूपों हेतु एक उपखन्ड खोलने के आदेश अप्रैल, १९७८ में निर्गत किये गये थे ।

इस उपखंड को एक दूसरे उपखन्ड के सहायक अभियन्ता के अधीन दोहरे कार्यभार में खोल दिया गया था । अब इस उपखन्ड के लिये एक प्रथक सहायक अभियन्ता की नियुक्ति कर दी गई है, जिसके कार्यभार ग्रहण करते ही यह उपखन्ड स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगेगा ।

सीतापुर जिले के गुरूदेव माध्यमिक विद्यालय के भूतपूर्व अध्यापक, श्री अयोध्या प्रसाद यादव का बकाया वेतन

१६—श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री अयोध्या प्रसाद यादव भूतपूर्व अध्यापक गुरूदेव माध्यमिक विद्यालय, भेथरा माधव (सीतापुर) अपने बकाया वेतन वृद्धि तथा पुनः सेवा कार्य दिलाने से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र दिनांक १८ नवम्बर, १९७७, ३० नवम्बर, १९७७, ८ मार्च, १९७८, ५ अप्रैल, १९७८, १८ मई, १९७८ उन्हें हुए प्राप्त हैं ? यदि हां, तो शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री कालीचरण—

श्री अयोध्या प्रसाद यादव के प्रार्थना-पत्र दिनांक १०-१-७८, ८-३-७८, २२-३-७८, १३-५-७८ तथा १८-५-७८ शासन को प्राप्त हुये थे । उन्हें बकाया वेतन वृद्धि का भुगतान ४-३-७८ को कर दिया गया है । उनके दिनांक १५-४ १९७७ को त्याग-पत्र देने और प्रबन्धक द्वारा २०-५-७७ को स्वीकार कर लिए जाने के समय सेवा नियम लागू नहीं थे । अतः उन्हें पुनः सेवा कार्य दिलाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होगा ।

शारदा सहायक नहर परियोजना, महमूदाबाद, सीतापुर की पकड़ी गयी सीमेन्ट

१७--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक नहर परियोजना खंड १५ महमूदाबाद सीतापुर की कुछ सीमेंट बिस्वां जनपद सीतापुर में २ अगस्त, सन् १९७७ को पकड़ी गयी थी ? यदि हां तो उस सम्बन्ध में आज तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां ।

प्रश्नगत मामले से सम्बन्धित ठेकेदार मेसर्स जैन सप्लायर्स के एक साझेदार श्री सुन्दर लाल जैन के विरुद्ध स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा न्यायालय में दायर कर दिया गया है तथा अधीक्षण अभिन्ता नवम मंडल, सिंचाई कार्य, सीतापुर द्वारा विभागीय जांच भी कराई गयी है । जांच प्रतिवेदन के आधार पर उत्तरदायी पाये गये विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति एवं अनुसूचित जाति का और पिछड़ी जाति का आरक्षण

१८--श्री हरीराम वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष १९७८ में प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय में कुल कितनी किन-किन पदों में प्रोन्नतियां की गयीं हैं और क्या इस सम्बन्ध में आरक्षण का पालन हुआ है ? यदि हां तो क्या सरकार अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति की संख्या व नाम सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री काली चरण--

वर्ष १९७८ में प्रदेश के राजकीय स्नातक महाविद्यालयों के केवल ६ प्रधानाचार्य पद ही प्रोन्नति द्वारा भरे गये हैं । पात्रता क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उनको आरक्षण नहीं मिल पाया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद जिले के डाक्टर गणेश कृष्ण जेतली, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद हेतु साक्षात्कार

१९--श्री हरी राम वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में डा० गणेश कृष्ण जेतली, उ० मा० विद्यालय, अकबरपुर के प्रधानाध्यापक पद का साक्षात्कार माह अप्रैल, १९७८ को हुआ था । यदि हां, तो कितने अभ्यर्थी चयन समिति के सम्मुख साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए और उसका परिणाम क्या निकला ?

श्री काली चरण—

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय में दिनांक २२ अप्रैल, १९७८ को प्रधानाध्यापक पद का चुनाव हुआ था । दो अभ्यर्थी सर्वश्री जगन्नाथ एवं राम मिलन पान्डे चयन समिति के सम्मुख साक्षात्कार के लिये उपस्थित हुए थे । श्री राम मिलन पान्डे गुण विषयक अंक एवं साक्षात्कार अंक के योग के आधार पर प्रथम स्थान पर चुने गये ।

अकबरपुर तहसील के अन्तर्गत कतिपय तालों से जल निकासी हतु नाले के निर्माण की मांग

२०—श्री हरी राम वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद, अकबरपुर तहसील के अन्तर्गत ग्राम हुसैनपुर विपहन व धरुआ व ठट्ठा बड़ीधी सुल्तानपुर गोयबा के बीच कितने बड़े तालाब हैं जिनमें से बाढ़ का पानी निकालने हेतु नालों की खुदाई आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या नाला खोदवाने की योजना शासन के विचाराधीन है । यदि हां, तो योजना किस प्रकार की है और कब तक पूरी होगी ?

डा० बलवीर सिंह—

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर तहसील के अन्तर्गत हुसैनपुर विपहन, धौरुआर्व ठट्टा पिड़ोथी (डोथी) एवं सुल्तानपुर गोयथा के क्षेत्र में पांच बड़े तालाब काठी-भारताल, महेवा ताल, खजुरहा ताल, विन्दा ताल व सिपरा ताल स्थित है ।

उपरोक्त तालों में से कोठी-ताल भार ताल महेंवा खुजरहा ताल के पानी निकासी हेतु कोठी भार ड्रेन निर्मित है । विन्दाताल से जल निकासी हेतु श्रमदान द्वारा निर्मित एक पतली ड्रेन है । सिपरा ताल से जल निकासी हेतु किसी भी ड्रेन का निर्माण नहीं हुआ है जिस कारण वर्षाकाल में इस ताल से लगभग ३५० एकड़ क्षेत्र प्रभावित होता है ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के कार्यालयों में लिपिक पद पर अध्यापकों की नियुक्ति

२१—डा० अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'रकेश,' (जिला कानपुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, उप विद्यालय निरीक्षक कार्यालयों एवं शिक्षा अधीक्षक, शिक्षा अधीक्षिका के कार्यालय में कितने अध्यापक कार्यालय के कार्य में लगाए गए हैं जो वेतन स्कूलों से पाते ह ? यह नियुक्तियां किन नियमों के अन्तर्गत है और कब तक इन्हें हटाकर लिपिकों की नियक्तियां की जाएंगी ?

श्री काली चरण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर मण्डल के विभिन्न विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था सम्बन्धी कथित पत्र

२२—श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतायेंगे कि गोरखपुर मन्डल के किन-किन जनपदों के महा विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों तथा हाई स्कूलों में शारीरिक शिक्षा का

व्यवस्था नहीं की गयी है ? इसी आशय का पत्र किसी जन प्रतिनिधि का माननीय मुख्य मन्त्री तथा शासन को दिनांक १६ जुलाई, १९७८ का मिला है ? यदि हां, तो कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

२३--श्री पूरन चन्द्र--

[१ ले सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सिंचाई उप खन्ड, आजमगढ़ द्वारा खर्च की गयी धनराशि एवं फर्जी बिलों का भुगतान

२४--श्री शिव प्रसाद (जिला आजमगढ़)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९७७-७८ एवं १९७८-७९ में सिंचाई उप खन्ड आजमगढ़ द्वारा किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

श्री बलवीर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

२५--श्री शिव प्रसाद--

क्या मन्त्री जी इस बात की जांच एवं सत्यापन करायेंगे कि सिंचाई उप खन्ड आजमगढ़ के सहायक अभियन्ता द्वारा बिना कार्य कराए हुए बहुत से फर्जी बिल्स बनाकर उनका भुगतान दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ?

श्री बलवीर सिंह--

इस मामले की जांच तथा सत्यापन करवाया जा रहा है ।

श्री राम लाल, सहायक अध्यापक, प्राईमरी पाठशाला, गोबर्धनपुर, फैजाबाद के विरुद्ध कथित प्रार्थना-पत्र

२६--श्रीमती रामरती देवी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम लाल हरिजन सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला गोवर्धनपुर ब्लाक, रामनगर, जिला फैजाबाद जिसके व्यवहार से गांव के सभी हरिजन परेशान हैं के स्थानान्तरण हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रश्न-कर्ता द्वारा २५ अप्रैल सन् १९७८ को दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कायवाही हुई ?

श्री काली चरण--

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है ।

फतेहपुर जिले के ग्राम गंगईपार के श्री छत्रपाल सिंह से फर्जी सिंचाई शुल्क की वसूली

२७--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम गंगईपार, जिला फतेहपुर ने खरीफ फसली, १३८४, खाता नं० ११३ के अन्तर्गत धान की सींच रु० ६१.२० एक कृषक श्री छत्रपाल सिंह गौतम के नाम गलत दर्ज कर रखा है, जबकि उस कृषक के नाम एक बिस्वा जमीन उस मौजे में नहीं है तथा ग्राम सिधांव में खरीफ १३८५, खाता नं० ८६७ में १.०६ एकड़ भूमि पर रु० ४३.४० धान की सींच गलत वसूल की गयी है जबकि कृषक ने उस भूमि पर कोई फसल नहीं उगाई ? क्या इस सम्बन्ध में उक्त श्री गौतम द्वारा एक प्रार्थना-पत्र दिनांक ५ जुलाई सन् १९७८ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलवीर सिंह--

इस प्रश्न के सम्बन्ध में सम्बन्धित खंड के जिलेदार द्वारा जांच दिनांक ७ नवम्बर, १९७८ को की गयी। मामले में दोषी सींचपाल एवं अमीन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। श्री छत्रपाल सिंह पर लगाये गये महसूल रु० ६१.२० की सिन्हाई करके उनके स्थान पर श्री सुरेन्द्र सिंह के नाम सिंचाई शुल्क अंकित करने एवं रुपये ४२.४० की गलत धान की सींच की वसूली की वापसी के आदेश सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्गत कर दिये गये हैं जिसका अमलदरामद खरीफ १३८६ फसली में हो जावेगा। प्रश्न में उल्लिखित दिनांक ५ जुलाई, १९७८ का प्रार्थना-पत्र प्राप्त होना साबित नहीं होता।

प्रदेश में कथित नलकूप चालक विहीन नलकूप

२८--श्री हरिकेवल प्रसाद--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में लगभग आठ हजार ऐसे नलकूप हैं जहां नलकूप चालक नहीं हैं, जिससे व्यापक पैमाने पर मोटर, स्टार्टर की चोरी हो रही है तथा किसानों की लहलहाती फसल सूख रही है ? क्या यह भी सत्य है कि नलकूप चालकों की नियुक्ति वित्तीय संकट बताकर नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो जनहित में नलकूप चालकों की नियुक्ति कब तक की जायेगी ?

श्री बलवीर सिंह--

जी नहीं। ऐसा कोई नलकूप नहीं है जिस पर देख-रेख हेतु कोई नलकूप चालक न हो यद्यपि कहीं-कहीं एक नलकूप चालक एक से अधिक नलकूप की देख-रेख पर तैनात है। कोई नलकूप चालक के न होने के कारण बन्द नहीं है।

संस्कृत महा विद्यालय, धानी बाजार, गोरखपुर के प्रबन्धक, श्री लाल चन्द्र के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

२९--श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय (जिला बस्ती)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि संस्कृत महाविद्यालय, धानी बाजार, गोरखपुर के श्री लाल चन्द्र के प्रबन्धक के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र दिनांक १८ अक्तूबर, १९७७ के सन्दर्भ में शिक्षा मन्त्री महोदय ने जो आदेश किया है उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री काली चरण--

इस प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार इस विवाद के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की गयी तथा वैधानिक प्रबन्धक को नियमानुसार विद्यालय का कार्य संचालन करने के लिये आदेश निर्गत कर दिया गया ।

बस्ती जिले के कतिपय विधान सभा क्षेत्रों में सीमेन्ट का आवंटन

३०--श्री मथुरा प्रसाद पान्डेय--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़, नं० १७२ व विधान सभा क्षेत्र नौगढ़, नं० १७३ के दोनों क्षेत्रों में अलग-अलग पिछले छः माह में एस० डी० एम०, नौगढ़ द्वारा जनता को कितने-कितने बोरे सीमेंट की परमिट दी गयी ? क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ को शोहरतगढ़ क्षेत्र के अनुपात में बहुत कम सीमेंट दी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

खाद्य मन्त्री (श्री हरिश्चन्द्र)--

अप्रैल, १९७८ से सितम्बर, १९७८ तक विधान सभा क्षेत्र संख्या १७२ शोहरतगढ़ में परगनाधिकारी द्वारा ५,९५१ बोरी सीमेंट तथा विधान सभा क्षेत्र संख्या १७३, नौगढ़ में ५,५९६ बोरी सीमेंट के परमिट जारी किये गए ।

उपरोक्त आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि दोनों विधान सभा क्षेत्रों में सीमेंट के वितरण में विषमता नहीं है ।

सिंचाई विभाग के प्रारूपकारों के स्थायीकरण की मांग एवं सेवा नियमावली

३१--श्री अठई राम--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कार्यरत प्रारूपकार जिनकी सेवाएं ८ वर्ष तक हो गई हैं उन्हें स्थायी नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक स्थायी किए जायेंगे ?

श्री बलवीर सिंह--

सिंचाई विभाग में १७३ ऐसे प्रारूपकार हैं, जो विभाग में ८ वर्षों से कार्यरत हैं किन्तु अभी तक स्थायी घोषित नहीं किये गये हैं ।

स्थायी रिक्त पदों पर पात्र प्रारूपकारों के स्थायीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

३२--श्री अठई राम--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कार्यरत प्रारूपकारों की सेवा नियमावली बनी है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक बन जायेगी ?

श्री बलवीर सिंह--

सिंचाई विभाग के प्रारूपकारों की सेवा नियमावली का परीक्षण किया जा रहा है और यथाशीघ्र आदेश जारी किये जायेंगे ।

इलाहाबाद जिले के नलकूप एवं नलकूप चालक

३३–श्री अठई राम––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में कितने ऐसे नलकूप हैं जहां पर कोई नलकूप चालक नहीं है ? कब तक उन नलकूपों पर नलकूप चालकों की नियुक्ति कर दी जायगी ?

श्री बलबीर सिंह––

इलाहाबाद जनपद में ऐसा कोई नलकूप नहीं है जिस पर देख-रेख हेतु कोई नलकूप चालक न हो । हां कहीं–कहीं एक नलकूप चालक एक से अधिक नलकूपों की देख–रेख पर तैनात है ।

इलाहाबाद, महबरा के नलकूप चालक, श्री राम गनेश कुशवाहा की हत्या

३४–श्री अठई राम––

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद में नलकूप उपखण्ड हंडिया नलकूप नं० १६१ एच० महरबरा में कार्यरत नलकूप चालक श्री रामगनेश की हत्या दिनांक ६ दिसम्बर, १९७५ को नलकूप पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कर दी गई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा कार्यरत नलकूप चालक के परिवार को क्या सहायता प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह––

जी हां, कूप चालक श्री राम नेशर कुशवाहा का निधन दिनांक ६–१२–७५ को हुआ था । कूप चालक के पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी की स्वीकृति महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के पत्रांक पी० ए०/१–१/४२०८, दिनांक २३–५–७८ द्वारा प्रदान की जा चुकी है ।

इलाहाबाद जिले के परासिनपुर के नलकूप चालक, श्री रूदल प्रसाद की मृत्यु एवं प्रदान की गयी सहायता

३५–श्री अठई राम––

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी प्राप्त है कि इलाहाबाद जनपद में कूप चालक रूदल प्रसाद नलकूप नं० १९ पी० परासिनपुर उपखण्ड फूलपुर की मृत्यु ३ दिसम्बर, १९७० को पम्पहाउस के अन्दर विद्युत् शाक लग जाने से हो गयी ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक नलकूप चालक के परिवार को क्या सहायता प्रदान की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह––

जी हां ।

कूप चालक के परिवार को पारिवारिक पेंशन दिये जाने के लिए पेंशन के सभी पत्र पूरे करके महालेखाकार को २६–५–७८ को भेजे जा चुके हैं ।

इसके अतिरिक्त कूप चालक के परिवार को सामूहिक जीवन बीमा का लाभ भी देय है, जिसके भुगतान हेतु जीवन बीमा निगम कार्यालय, लखनऊ को २६–५–७८ को लिखा जा चुका है ।

मृतक के परिवार को देय धनराशि का भुगतान यथाशीघ्र कर दिया जावेगा ।

इलाहाबाद की हंडिया तहसील के अन्तर्गत कतिपय मार्गों के निर्माण की मांग

३६—श्री अठई राम—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद में हंडिया तहसील की धनुपुर जगदीशपुर मार्ग २ फर्लांग जगदीशपुर से श्यामगंज ४ फर्लांग, बरौत-बिठौलीरो ६ फर्लांग तथा औरा रामनगर ५ फर्लांग बन जाने से तमाम बड़े ग्राम जी०टी० रोड से जुड़ जायेंगे ? यदि हां, तो इन सड़कों को सरकार शीघ्र सार्वजनिक विभाग द्वारा निर्माण कराके जनता को सुविधा प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

धनुपुर-जगदीशपुर मार्ग लगभग ३ ५० कि० मी०, जगदीशपुर से इमानगंज ३ कि० मी०, बरौत-बिठौली मार्ग लगभग १२ कि० मी० तथा औरा-रामनगर मार्ग लगभग ५ कि० मी० है । यह सही है कि इन मार्गों के बनने से इन पर स्थित सब गांव जी० टी० रोड से जुड़ जायेंगे । ये सभी मार्ग जिला परिषद के अधीन हैं अतः इन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद जिले की हंडिया तहसील के कतिपय ग्रामों में नलकूप निर्माण की मांग

३७—श्री अठई राम—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद हंडिया तहसील के ग्राम रांका मवैया व बन्दला मवैया, जबराडीह हैला महसरा गनशीपुर का दक्षिणी भाग मुगरांव इंटिया सिरसा गोठवा, उपरदहा, आदि ग्राम असिंचित पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन ग्रामों में शीघ्र नलकूप लगाकर सिंचाई की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलबीर सिंह—

इलाहाबाद जनपद में हंडिया तहसील के ग्राम रांका मवैया, व बन्दला मवैया, जबराडीह, टैला महरवरा, गनेशीपुर का दक्षिणी भाग मंगरांव, इंटिहा, सिरसा, गोठवा, उपरदहा ग्रामों में सिंचाई व्यवस्था हेतु शारदा सहायक परियोजना की नहरें तथा इनका जाल प्रस्तावित है ।

अतः इन गांवों में राजकीय नलकूप लगाने का इस समय पर कोई प्रस्ताव नहीं है ।

इटावा जिले के नलकूप मंडल में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायतों की जांच

३८—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप मण्डल इटावा में भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन के भारी दुरुपयोग के सम्बन्ध में गत एक वर्ष में कुछ शिकायतें शासन को मिली हैं ? यदि हां, तो शिकायत क्या हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलबीर सिंह--

प्रश्न में मांगी गयी सूचना अत्यन्त विस्तीर्ण होने के कारण उत्तर में सम्पूर्ण विवरण देना सम्भव नहीं है । संक्षेप में स्थिति निम्नलिखित है :--

प्रश्न में कथित अवधि में नलकूप मण्डल इटावा में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं । यह शिकायतें अधिकारियों द्वारा अधिक दरों पर आवश्यकता से अधिक नलकूपों के पुर्जे आदि खरीदने की स्वीकृति देने, कर्मचारियों का पक्षपात-पूर्ण स्थानान्तरण करने, ठेकेदारों के भुगतान में अनियमितताएं करने तथा सहायक अभियन्ता द्वारा ईंटों की अधिक दरों पर ढुलाई कराने, ठेकेदारों को उत्पीड़ित करने, नलकूपों में मोटरों को एक सहायक अभियन्ता के रिश्तेदार की फर्म से रिवाइन्ड कराने के विषय में थीं । इसके अतिरिक्त कुछ शिकायतें अवर अभियन्ताओं द्वारा नलकूपों के पक्के कार्यों में सही अनुपात में सीमेन्ट व सरिया न लगाने, फर्मों से घटिया किस्म के सामान की सम्पूर्ति स्वीकार करने, ठेकेदारों के माध्यम से सीमेन्ट की खाली बोरियों की गड़बड़ी करने, माप ठीक से दर्ज न करने, तथा गलत मस्टर रोल बनाने इत्यादि से सम्बन्धित थीं ।

इन शिकायतों की विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा जांच की गयी । जांच में कुछ आरोप सही पाये गये । जो कर्मचारी दोषी पाये गये उन्हें समुचित दण्ड दिया गया । कुछ मामलों में अभी जांच की कार्यवाही पूरी नहीं हुई है ।

जिला अस्पताल, फैजाबाद में करोनरी इन्टेसिव यूनिट का भवन

३९-श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

द्वितीय सत्र १९७८ के प्रथम बुद्धवार के तारांकित प्रश्न ३२ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिला अस्पताल में स्थित कारोनरी इन्टेंसिव यूनिट का भवन स्वास्थ्य विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इस कार्य को पूरा होने में अभी और कितना समय लगेगा ? और इस कार्य में विलम्ब के लिए कौन विभाग अथवा अधिकारी दोषी है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां । भवन ३०-११-७८ को हस्तान्तरित कर दिया गया है ।

"काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कें

४०-श्री देव बहादुर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९७७-७८ में प्रदेश में जिन सड़कों पर "काम के बदले अनाज" योजना के अन्तर्गत मिट्टी डाली गयी थी उनको कब तक पक्का किया जायेगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

यह आवश्यक धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कें

४१—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी सन् १९७१-७२, १९७२-७३, १९७३-७४ में प्रदेश में जो सड़कें त्वरित योजना के अन्तर्गत निर्मित अथवा अर्द्ध निर्मित थीं उनका रख-रखाव तथा अपूर्ण सड़कों को पूर्ण करने का कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

अन्य विभागों से हस्तान्तरित त्वरित योजना के अधूरे मार्गों का पूरा होना धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है । जिन मार्गों का निर्माण पूरा हो चुका है उनका रख-रखाव सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है ।

शारदा सहायक परियोजना द्वारा मिट्टी की कुटाई के लिए भुगतान की गयी धनराशि

४२—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् १९७१ के बाद शारदा सहायक परियोजना द्वारा मिट्टी दबाने हेतु यू० पी० एग्रो, कृषि विभाग, उद्यमकर्ताओं तथा निजी व्यक्तियों के ट्रैक्टर किराए पर लगाए गए ? यदि हां, तो उसका भुगतान का मापदन्ड क्या था तथा सन् १९७७ तक कितने-कितने रुपयों का भुगतान यू० पी० एग्रो, कृषि विभाग, उद्यमकर्ताओं और निजी व्यक्तियों को किया गया ?

श्री बलबीर सिंह—

मिट्टी की कुटाई हेतु किराए पर लगाए गए ट्रैक्टरों का भुगतान ट्रैक्टरों द्वारा चलित घंटों के आधार पर अनुबन्धित दर के अनुसार किया गया । विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत भुगतान की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

	रु०
१—यू० पी० एग्रो कारपोरेशन	५६,३३,०९६·०८
२—कृषि विभाग	२१,१४,५५४·१२
३—निजी व्यक्ति—	
(अ) अन्य	२३,८४,५०७·९८
(ब) उद्यमकर्ता	६,८९,४९१·५२

पंचेश्वर परियोजना करनाली परियोजना एवं भालूबांग परियोजना का सर्वेक्षण

४३—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री यह कृपया बतायेंगे कि पंचेश्वर, करनाली एवं भालू सिंचाई परियोजना का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त तीनों सिंचाई परियोजनाएं कहां-कहां पर बनाई जायेंगी और इनसे किन-किन जनपदों के किन-किन विकास खंडों के कुल कितने रकबे की सिंचाई क्षमता होगी और सिंचाई की जायेगी ?

श्री बलबीर सिंह--

पंचेश्वर करनाली एवं भालूबांग सिंचाई परियोजना का सर्वेक्षण कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। पंचेश्वर बांध परियोजना को शारदा नदी पर पंचेश्वर नामक स्थान पर निर्माण प्रस्तावित है। इस बांध का दायां भाग भारत देश की सीमा में तथा बायां भाग नेपाल देश की सीमा में स्थित होगा।

करनाली बांध का घाघरा नदी पर नेपाल देश की सीमा में चीसा-पानी नामक स्थान पर निर्माण प्रस्तावित है।

भालूबांग बांध पर राप्ती नदी पर नेपाल देश की सीमा में भालूबांग नामक स्थान पर निर्माण प्रस्तावित है।

इन परियोजनाओं के निर्माण के पश्चात् उत्तर प्रदेश के मध्यवर्ती एवं पूर्वी क्षेत्र के जनपदों में अतिरिक्त सिंचाई हेतु जल उपलब्ध होने की आशा है। किस परियोजना से कितना अतिरिक्त जल उपलब्ध हो सकेगा यह अभी निश्चित नहीं है। अतः जनपदवार या ब्लाकवार सूचना देना सम्भव नहीं है।

इन परियोजनाओं का निर्माण नेपाल देश से समझौता होने के पश्चात् ही सम्भव हो सकेगा। इस विषय में भारत सरकार के स्तर पर नेपाल देश से वार्ता चल रही है।

सिंचाई विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग

४४--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में जिन वर्क चार्ज कर्मचारियों ने ३ साल से अधिक की सेवाएं पूरी कर ली है उनकी संख्या क्या है और क्या सरकार ३ वर्ष से अधिक से सेवाओं पर कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने के मामले पर विचार कर रही है? यदि हां, तो निर्णय कब तक हो जायगा?

श्री बलबीर सिंह--

सिंचाई विभाग में जिन वर्कचार्ज कर्मचारियों ने तीन साल से अधिक की सेवाएं कर ली हैं उनकी संख्या ९९०० है। जहां तक ३ वर्ष से अधिक समय से कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित करने का प्रश्न है, शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार इन कर्मचारियों को नियमित करने की कार्यवाही की जाती है।

शिक्षा विभाग में राजपत्रित पदों पर अध्यापकों की प्रोन्नति एवं अनुसूचित जाति का कोटा

४५--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतनमान में अप्रैल, १९७७ (जनता पार्टी के शासनकाल) से अक्तूबर, १९७८ तक कुल कितने अध्यापकों को पदोन्नत किया गया और उनमें अनुसूचित जाति के कितने अध्यापकों को पदोन्नत किया गया? यदि अनुसूचित जाति के अध्यापकों को आरक्षित कोटे के अन्तर्गत पदोन्नत नहीं किया गया तो उसका कारण क्या है और

आरक्षित रिक्तियों को सामान्य व्यक्तियों द्वारा बिना राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की अनुमति के शासनादेश संख्या १५-२५/७३-(४)-रा० ए० को०, दिनांक १० मई, १९७६ की अवहेलना करके क्यों भरा गई और इस अनियमितता के लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री काली चरण--

प्रसंगाधीन अवधि में कुल ११४ अध्यापकों को तदर्थ प्रोन्नति दी गई है जिनमें अनुसूचित जाति का कोई नहीं है। अनुसूचित जाति का कोई भी पात्र अध्यापक उपलब्ध नहीं था। शासनादेश संख्या १५-२५/७३-(४)-रा० एकी०, दिनांक १० मई, १९७६ सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में है न कि पदोन्नति द्वारा अतः उसकी अवहेलना का प्रश्न नहीं है।

संस्कृत पाठशालाओं का वर्गीकरण

४६--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गतवर्ष तथा इस वर्ष वर्गीकरण हेतु कितने संस्कृत पाठशालाओं की सूची शिक्षा निदेशालय से शासन को प्राप्त हुई है जिसका वर्गीकरण अब तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

गतवर्ष ४७ संस्कृत पाठशालाओं के वर्गीकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। विचारोपरान्त सात विद्यालयों का वर्गीकरण किया गया इस वर्ष शासन को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

बहराइच जिले के भिनगा-लक्ष्मनपुर मार्ग व भिनगा-सिरसियां-चौधरी डीह मार्ग का निर्माण

४७--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को यह जानकारी है कि बहराइच जिले की भिनगा से लक्ष्मनपुर बाजार व बी० एस० सी० रोड्स पर तारकोल व गिट्टी डालने के लिए कितनी थिकनेस व चौड़ाई में एस्टीमेट स्वीकृत है और कितने थिकनेस व चौड़ाई में मौके पर डाल कर सड़क बनाई गई है ? क्या सरकार बताएगी कि स्वीकृत एस्टीमेट व मौके की स्थिति क्या है। साथ ही गिट्टी की वेरायटी कौन सी है और जांच किस अधिकारी द्वारा की गयी ? पूर्ण जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

१--भिनगा लक्ष्मनपुर मार्ग--बहराइच जनपद में भिनगा-लक्ष्मनपुर मार्ग का निर्माण कार्य "न्यूनतम आवश्यकता" कार्यक्रम के अन्तर्गत हो रहा है। इस मार्ग के स्वीकृत आगणन में निम्नलिखित प्राविधान है :--

(१) "स्वायल स्टेक्लाइजेशन का कार्य" ३" मोटी सतह में,

(२) एक सतह पर ईंट की ३" मोटी सतह,

(३) ईंट की गिट्टी की कुटाई ३" मोटी सतह,

४--उपरोक्त तीनों सतह के पूर्ण हो जाने पर १२ मि० मी० व १० मि० मी० हल्द्वानी सिंगिल व तारकोल से १० फीट (३ मी०) चौड़ाई में लेपन के कार्य का प्राविधान है। इसी प्राविधान के अनुसार ही उक्त मार्ग के ६ कि० मी० लम्बाई में तथा ३ मी० चौड़ाई में आगणन के अनुसार प्रथम सतह लेपन तक कार्य हो चुका है।

२--भिनगा-सिरसिया-चौधरीडीह मार्ग--बहराइच जनपद में उक्त मार्ग का निर्माण तराई एरिया स्कीम के अन्तर्गत हो रहा है। इस माग के स्वीकृत आगणन में निम्नलिखित प्राविधान है :--

(१) दो कोट फ्लेट ब्रिक सोलिंग--१५ सी० एम० (६")।

(२) ईंट की गिट्टी की एक सतह की कुटाई--७·५ सी० एम० (३") कान्सलीडेटेड)।

(३) टापकोट (तराईनाला) की गिट्टी से (४० एम० एस० से ६३ एम० एस०) ५·५ सी० एम०।

(४) १२ मि० मी० व १० मि० मी० हल्द्वानी ग्रिट से सतह लेपन का कार्य।

उक्त मार्ग में दो कोट ईंट की सोलिंग, उसके बाद ईंट की गिट्टी की कुटाई (३"), तत्पश्चात् टापकोट की कुटाई में तराईनाला की ग्रिट से (५·५ सी० एम०) की कुटाई का कार्य, उसके बाद में १२ मि० मी० व १० मि० मी० हल्द्वानी सिंगिल से लेपन के कार्य उपरोक्त प्राविधान के अनुसार ही हुआ है। आगणन के अनुसार इस मार्ग की चौड़ाई १२ फिट है और १२ फिट चौड़ाई से ही उपरोक्त कार्य कराया गया है जो मौके पर है।

गिट्टी की जांच, विभागीय अधिकारियों तथा टेक्निकल आडिट सेल के अधिकारी द्वारा किया गया है।

गिट्टी की किस्म लोकल तराईनाला स्टोन बलास्ट है, जोकि जांच म हर समय संतोषजनक पायी गयी है।

गोरखपुर जिले के ग्राम भरवलिया के कटाव सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

४८--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र नवम्बर, १९७७ में ग्राम भरवलिया (विकास क्षेत्र कौड़ीराम गोरखपुर) को कटाव से बचाने के सम्बन्ध में सिंचाई मंत्री को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो इस गांव को कटाव से बचाने के लिए जून, १९७८ तक क्या प्रयास किया गया? क्या वर्ष १९७८ की बाढ़ में दस गांव के कुछ घरों के कटाव की भी सूचना सरकार को मिली है? यदि हां, तो कटाव के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध तथा आगे कटाव को रोकने विषय में सरकार क्या कर रही है?

श्री बलबीर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का परीक्षाफल

४९--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, कानपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु कोई परीक्षा दिनांक ५ जून, १९७८ को ली गई थी ; यदि हां, तो क्या परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार कब तक परीक्षाफल घोषित करने की सोच रही है ?

श्री काली चरण--

जी हां। दिनांक ५ जून, १९७८ को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा हुई थी जिसका परीक्षाफल घोषित किया जा चुका है।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, दक्षता रोक एवं स्थायीकरण की मांग

५०--श्री ओम प्रकाश तथा श्री बाबूराम वर्मा--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण, दक्षता रोक पारण के किन-किन अधिकारियों या कर्मचारियों के मामले दिनांक १५ सितम्बर, १९७८ तक कितनी-कितनी अवधि से और किन कारणों से अनिर्णीत रहे थे ? सरकार इनका कब तक निस्तारण कर देगी ?

५१--श्री ओम प्रकाश--

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, लिपिक, अनुदेशक, व्याख्याता, अध्यक्ष एवं प्रधानाचार्य के कितने पद स्थायी हैं ? उन पदों के सम्मुख कितने अधिकारी एवं कर्मचारी स्थायी कर दिए हैं ? वे अधिकारी या कर्मचारी जो स्थायीकरण के पात्र हैं और उनके सम्वर्ग के स्थायी पद भी हैं, उन्हें सरकार ने किन कारणों से स्थायी नहीं किया है और उन्हें कब तक सरकार स्थायी कर देगी ?

श्री काली चरण--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

प्रदेश में बन्द किये गये नार्मल स्कूल एवं शिक्षक तथा कर्मचारी

५२--श्री बाबू राम शुक्ल--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सत्र १९७७-७८ तथा १९७८-७९ में प्रदेश के कितने नार्मल स्कूल बन्द कर दिए गए ? इन स्कूलों के बन्द होने के कारण कितने शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारी बेकार हो गए ? इन कर्मचारियों को खपाने (एबजार्व) की शासन की क्या योजना है तथा अब तक कितने कर्मचारी एवं शिक्षक दूसरे स्कूलों में खपाए जा सके हैं ?

श्री कालीचरण--

तिरपन (५३) स्कूल । इन स्कूलों के बन्द होने के कारण एक भी शिक्षक या गैर शिक्षक कर्मचारी बेकार नहीं हुआ क्योंकि उनमें से किसी को भी सेवा से पृथक नहीं किया गया है । इन कर्मचारियों को शनैः-शनैः नये खुलने या उच्चीकृत होने वाले विद्यालयों एवं उपलब्ध रिक्त पदों के प्रति समायोजित किये जाने की योजना है । प्रसंगतः कुल १०२४ अध्यापक/कर्मचारी में से ३१२ को उक्त प्रकार से खपाया जा चुका है, दो की मृत्यु हो चुकी है, चार ३० जून, १९७८ को सेवा निवृत्त हो चुके हैं, पांच की प्रोन्नति उत्तर प्रदेश शिक्षा कनिष्ठ सेवा में की जा चुकी है और शेष ७०१ को अभी भी चल रहे दीक्षा विद्यालयों के साथ अस्थायी रूप से सम्बद्ध कर दिया गया है ।

घुघली-कोपासाद सड़क पर छोटी गंडक नदी पर ढिलाघाट का पुल निर्माण

५३--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि छोटी गण्डक परियोजना के अन्तर्गत घुघली-कोपासाद सड़क के छोटी गंडक के ढिला घाट पर पुल बनवाने का निर्णय अभी हाल में शासन ने लिया है ? यदि हां, तो कार्य कब से प्रारम्भ होगा, कब तक पूरा होगा एवं कुल कितना व्यय इस कार्य पर होगा ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां । यह पुल सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाया जाना है । पुल की अनुमानित लागत रुपये ११·२५ लाख है तथा पुल की धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग को मार्च, १९७८ में दी जा चुकी है । सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार पुल का निर्माण कार्य आगामी वर्षा से पूर्व प्रारम्भ होने की सम्भावना है तथा पुल के निर्माण के प्रारम्भ होने के पश्चात् लगभग ३० माह का समय लगेगा ।

फैजाबाद जिले के नहर विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध कथित शिकायती पत्र

५४--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या फैजाबाद जनपद के नहर विभाग के अधिकारियों के बारे में प्रश्नकर्ता ने दिनांक १ फरवरी, १९७८ का शिकायती पत्र ग्राम बबुरा, तहसील अकबरपुर के निवासियों के प्रार्थना-पत्र के साथ सिंचाई मंत्री को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और बबुरा गांव को बरसात में बाढ़ से बचाने के लिए तथा रेवई गांव के छोटे काश्तकारों की रक्षा हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री बलबीर सिंह--

माननीय सदस्य का पत्र दिनांक १ फरवरी, १९७८ को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

फैजाबाद जिले के लिये स्वीकृत प्राइमरी स्कूल व जूनियर हाई स्कूल

५५--श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में वर्ष १९७८-७९ में कुल कितने प्राइमरी स्कूल व जूनियर हाई स्कूल प्रस्तावित हैं तथा इनके निर्माण की क्या कार्यवाही की जा रही है ? बीकापुर तहसील में किन स्थानों पर प्राइमरी स्कूल प्रस्तावित हैं ?

श्री काली चरण--

जनपद फैजाबाद में वर्ष १९७८-७९ में ३० प्राइमरी स्कूल और १५ जूनियर हाई स्कूल खोला जाना प्रस्तावित है। अभी इनके निर्माण की कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है क्योंकि इन स्कूलों से पहले खोले गये स्कूलों के भवनों का निर्माण कराया जायेगा। नये प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में शासनादेश जारी होने के पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा समिति, फैजाबाद, बीकापुर तहसील में किन-किन स्थानों पर प्राइमरी स्कूल खोले जांय, इसका निर्णय करेगी।

फैजाबाद जिले के प्राथमिक व जूनियर शिक्षकों का पेंशन, एरियर तथा भविष्य निधि का भुगतान

५६--श्री श्रीराम द्विवेदी--

क्या शिक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद जनपद में वर्ष १९७८-७९ में कुल कितने प्राथमिक व जूनियर शिक्षकों को पेंशन, एरियर्स तथा भविष्य निधि की जमा राशि प्रदान की जा चुकी है? मृतक शिक्षकों की संख्या कितनी है? क्या उनके आश्रितों को पेंशन दी गयी? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

श्री कालीचरण--

जनपद फैजाबाद में वर्ष १९७८-७९ में प्राथमिक एवं जूनियर शिक्षकों को पेंशन, एरियर तथा भविष्य निधि के भुगतान क विवरण निम्न प्रकार है :

(1) जूनियर हाई स्कूल के एक अध्यापक को तथा प्राइमरी स्कूल के एक मृतक अध्यापक के आश्रित को पेंशन का भुगतान किया गया।

(२) प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों के ३६ अध्यापकों को एरियर भुगतान किया गया।

(३) प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूलों के २० शिक्षकों को भविष्य निधि का भुगतान किया गया।

वर्ष १९७८-७९ में जनपद फैजाबाद में मृतक अध्यापकों की संख्या ४ थी जिनके आश्रितों को पेंशन नहीं दी गई है क्योंकि पेंशन प्रकरण तैयार कराये जा रहे हैं और आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद्, गोरखपुर मंडल में कनिष्ठ लिपिकों की कथित प्रोन्नति

५७--श्री गिरधारी लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मण्डल गोरखपुर की बेसिक शिक्षा परिषदों में कितने लिपिकों को पदोन्नति ज्येष्ठ लिपिकों के पद पर आरक्षण कोटा के अन्तर्गत गत वर्ष की गयी है? क्या उन्हें उसके वेतन का भुगतान अभी तक नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो वेतन क्यों नहीं भुगतान किया गया?

श्री कालीचरण--

गोरखपुर मंडल में बेसिक शिक्षा परिषद् के किसी कनिष्ठ लिपिक की पदोन्नति ज्येष्ठ लिपिक के पद पर गत वर्ष १९७७-७८ में नहीं की गई। अतः वेतन भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता।

देवरिया जिले में पगार माइनर के निर्माण पर व्यय की गयी धनराशि

५८--श्री श्रीनारायण--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में बड़ी गण्डक नहर की उप शाखा पगार माइनर के निर्माण पर अब तक कितना खर्च हुआ है और उसके पूर्ण होने में कितना और समय लगेगा और कब तक नहर चालू हो जाने की सम्भावना है ?

श्री बलवीर सिंह--

देवरिया जिले में बड़ी गण्डक नहर की उपशाखा पगार माईनर के निर्माण पर वर्ष १९७७-७८ तक ३,१९,९४० रुपया खर्च हुआ है।

नहर लगभग पूर्ण हो चुकी है।

नहर कृषकों की मांग पर शीर्ष से कि० मी० २-८ (मी०-१-६-० तक) वर्ष ७३-७४ से अब तक चल रही है। कि० मी० २-८ (मील १-६-०) के नीचे न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी होने के कारण नहर लगभग १०० मीटर की लम्बाई में निर्मित नहीं हुई है। न्यायालय द्वारा स्थगन समाप्त होने पर शेष भाग का निर्माण कर नहर कि० मी० २-८ (मील-१-६-०) के नीचे भी चला दी जावेगी।

श्री महाबीर सिंह चाहर व श्री रघुबीर सिंह, ग्राम-बाद, आगरा की जन्म तिथि के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

५९--श्री श्यामदत्त पालीवाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या शिक्षा मंत्री ने जनवरी, १९७७ में श्री महाबीर सिंह चाहर तथा श्री रघुबीर सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, ग्राम बाद, पो० ककुआ, जिला आगरा की आयु गलत होने के सम्बन्ध में तथा उसे सही करने के सम्बन्ध में कोई पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा को लिखा था ? यदि हां, तो उसका क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्री काली चरण--

जी हां। उक्त पत्र तत्कालीन राज्य मंत्री चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा शिक्षा विभाग विधान भवन लखनऊ से १७-१-७७ को जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा को भेजा गया था। विद्यालय के मुख्य-मुख्य रिकार्ड, जिसमें प्रश्नगत छात्रों के मूल अभिलेख थे, दिनांक १९/२० सितम्बर, १९७६ को विद्यालय से चोरी हो गये जिससे प्रश्नगत छात्रों की जन्म तिथियों से सम्बन्धित जांच सम्भव नहीं हो सकी और उसके अभाव में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कोई निश्चित आख्या नहीं दी गई।

देवरिया जिले के सपहा रजबहा की नौगवां अलिपका का रेगुलेटर

६०--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद में गण्डक नहर क्षेत्र में सपहा रजबहा से निर्गत नौगवां अलिपका पर रेगुलेटर न होने से सिंचाई में असाधारण कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो शीघ्र रेगुलेटर बनाया जायगा ?

श्री बलवीर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अल्मोड़ा जिले के डंगोली-ग्वालदम मार्ग में श्री रायफल लुइस के मकान को कथित क्षति

६१--श्री पूरन चन्द्र--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला अल्मोड़ा के डंगोली-ग्वालदम मोटर मार्ग मे श्री रायफल लुइस के मकान में जो क्षति इस वर्ष १९७८ में पहुंची है और जिसके सम्बन्ध में वे मन्त्री जी को कई बार लिख भी चुके हैं के सम्बन्ध में उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? विभाग द्वारा इस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति कब तक की जायगी ? ।

श्री मोहम्मद मसूद खां--

श्री रायफल लुइस के मकान को वर्ष १९७८ में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुंचायी गयी है ।

अतः मकान मालिक को क्षतिपूर्ति दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

६२--श्री राम नारायन वर्मा--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

फैजाबाद जिले की कतिपय सड़कों एवं पशुचिकित्सालय भवन के निर्माण के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

६३--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

प्रथम सत्र १९७८ के तीसरे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या ३४ के संदर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के मुख्य मन्त्री जी को सम्बोधित दिनांक २९ नवम्बर, १९७७ के शिकायती-पत्र की जांच में मौके पर लखनऊ से दो इंजीनियर गए थे और जांच में उन लोगों ने आरोपों को सत्य पाया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है और दोषी लोगों के विरुद्ध सम्बन्धित विभागों द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां । उन लोगों ने आरोपों को सत्य नहीं पाया अतः दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

फैजाबाद जिले के दरबन ताल ड्रेन पर यरकी ग्राम में पुल निर्माण की मांग

६४--श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या जनपद फैजाबाद के कटेहरी में दरबन ड्रेन पर पुलिया बनाने के बारे में यरकी ग्राम के निवासियों का प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्ता के १० फरवरी १९७८ के पत्र के साथ मिला है ? यदि हां, तो जनता की आवश्यकता को देखते हुए क्या सभी आवश्यक स्थानों पर सरकार शीघ्र पुलिया बनवाने की कृपा करेगी यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां । जनपद फैजाबाद के कटेहरी ब्लाक में ग्राम यरकी के निवासियों का एक प्रार्थना-पत्र दरबन ताल ड्रेन पर पुल बनाने के विषय में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक १०-२-७८ के साथ प्राप्त हुआ था दरबन ताल ड्रेन का रिमाडलिंग कराया जा रहा है उसके अन्तर्गत किसी नये पुल के निर्माण की व्यवस्था नहीं है । पुराने ग्रामीण पुलों की जगह काजवे का प्राविधान किया गया है तथा पुरानी पैदल पुलिया के स्थान पर नई पैदल पुलिया के निर्माण का प्राविधान है ।

६५--श्री अठई राम--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

सीतापुर जिले में प्रौढ़ शिक्षा हेतु हरिजन एवं पिछड़ी जाति के अध्यापकों की नियुक्ति

६६--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में वर्ष १९७७ से प्रौढ़ शिक्षा हेतु कितने अध्यापकों की नियुक्ति की गई है जिन अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है उसमें कितने हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के हैं

श्री काली चरण--

जनपद सीतापुर में वर्ष १९७७ से प्रौढ़ शिक्षा हेतु १६० प्रशिक्षकों की नियुक्त की गई जिनमें २२ हरिजन और ३७ पिछड़े वर्ग के हैं ।

आगरा जिले की कोटला-फरह सड़क पर कोटला ग्राम में पुल निर्माण की मांग

६७--श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)--

क्या सरकार को जानकारी है कि आगरा जनपद में कोटला-फरह रोड पर कोटला ग्राम पर सेंगर नदी पर पुल न होने के कारण यात्रियों को अपार कष्ट झेलने पड़ते हैं ? यदि हां, तो क्या शीघ्र पुल बनाने की व्यवस्था की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां ।

पुल का निर्माण धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

६८—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

सीतापुर जिले के हाई स्कूल के संस्थागत परीक्षार्थियों का परीक्षाफल

६९—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल परीक्षा वर्ष १९७८ में सीतापुर जिले में प्रविष्ट संस्थागत छात्रों में ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है कि जिनका परीक्षाफल अभी तक पूर्ण घोषित नहीं हुआ है तथा कब तक घोषित कर दिया जायेगा ?

श्री काली चरण—

सीतापुर जनपद के हाई स्कूल परीक्षा १९७८ में सम्मिलित सभी संस्थागत परीक्षार्थियों के परीक्षाफल पूर्ण करके घोषित किए जा चुके हैं ।

सीतापुर जिले में ईंट के भट्ठों को कोयले का आवंटन

७०—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद में ईंट बनाने वाले कुल कितने भट्ठे हैं । वर्ष १९७८ में जनवरी से जून तक प्रतिमास कुल कितना कितना कोयला भट्ठों के उपयोग के लिए जिले को एक मुश्त दिया गया ?

श्री हरिश्चन्द्र—

जिला सीतापुर में ईंटों के भट्टों की वर्तमान संख्या ६१ है । वर्ष १९७८ में जनवरी से जून तक प्रतिमास आवंटित कोयले की मात्रा की सूचना निम्नलिखित है —

माह	निर्धारित मासिक मांग	आयातित कोयले की मात्रा
जनवरी, १९७८	दो रेक	..
फरवरी, १९७८	दो रेक	..
मार्च, १९७८	दो रेक	..
अप्रैल, १९७८	एक रेक	एक रेक (१९२८.४) टन
मई, १९७८	तीन रेक	एक रेक (१७८८) टन
जून, १९७८	तीन रेक	..
योग ..	तेरह रेक	दो रेक (३७१६.४) टन रेक

ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के कतिपय ग्रामों में नलकूप निर्माण की मांग

७१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव गड़खड़ा दक्षिणी, भगौतीपुर, करेमुआं, बरवां देउजी, विक्रमपुर, कठरवां, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में नाद नदी के उत्तर ट्यूबवेल लगाने हेतु माननीय राज्य मन्त्री ने जून, १९७८ को सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को लिखा कि एक बैठक में आठ ट्यूबवेल लगाने का निर्णय लिया गया था ? सम्बन्धित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता से जानकारी करके शेष ट्यूबवेलों को लगवाने की व्यवस्था करें ? यदि हां, तो शेष ट्यूबवेलों को लगाने हेतु सचिव, सिंचाई विभाग ने तथा अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? क्या शेष ट्यूबवेल १९७८-७९ के वित्तीय वर्ष में लगा दिये जायेंगे ?

श्री बलबीर सिंह—

जी हां। राज्य मन्त्री सिंचाई एवं प्रश्नकर्ता के जून, ७८ के पत्र जिनमें जिला वाराणसी के ब्लाक पिण्डरा में निम्नलिखित ग्रामों में नलकूप लगाने हेतु कहा गया था, प्राप्त हुआ था।

१—गड़खड़ा पूर्वी।

२—भगौतीपुरकरमुवां।

३—बरवां देऊजी।

४—विक्रमपुर।

५—कठरवां।

उपरोक्त ग्रामों में से ग्राम गड़खड़ा पूर्वी में नलकूप छिद्रित किया जा चुका है तथा ग्राम विक्रमपुर में नलकूप लगाने की कार्यवाही की जा रही है।

इस प्रश्न में उल्लिखित ग्राम गड़खड़ा दक्षिणी का क्षेत्र पर्याप्त न होने के कारण तकनीकी दृष्टिकोण से नलकूप लगाना सम्भव नहीं है।

वर्ष १९७८-७९ में वाराणसी जनपद के लिए ३२ नलकूप आवंटित किए गए हैं। जनपद में नलकूपों के स्थल का चयन साधारणतः जिला नलकूप चयन समिति द्वारा ही किया जाता है। इस समिति ने छिद्रित किए जाने वाले ३० नलकूपों का चयन कर दिया है जिनमें से २ नलकूप ग्राम गड़खड़ा पूर्वी तथा विक्रमपुर के लिए चयन किए गये हैं अतः प्रश्न में उल्लिखित शेष ग्राम भगौतीपुर करेमुवां, बरवां देऊजी, कठरवां में अतिरिक्त नलकूपों के आवंटन प्राप्त होने तथा जिला चयन समिति द्वारा चयन किए जाने पर ही नलकूप लगाए जाने की नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

मुगल रोड, बिन्दकी, जिला फतेहपुर का निर्माण

७२—श्री जगन्नाथ सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मुगल रोड जो बिन्दकी, जिला फतेहपुर से बिन्दकी नगर तक जाती है, तथा जो कैबिनेट कमेटी से सन् १९७४ ई० से ही स्वीकृत है तथा जो क्षेत्र का मुख्य मार्ग है कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ? क्या सरकार इसके लिए धन स्वीकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

यदि आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध होता रहा तो इस मार्ग के जून, १९८० तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

यह मार्ग वर्ष १९७४ में नहीं बल्कि १९७६ में मंत्रिमंडल की उप समिति द्वारा स्वीकृत किया गया था ।

गोंडा जिले में अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) पद पर कथित सीधी भर्ती

७३--श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा) तथा श्री त्रिवेनी सिंह (जिला गोंडा)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद में वर्ष १९७२ से वर्ष १९७८ तक अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित वेतनक्रम) में कितने प्रधानाध्यापक सीधी भर्ती से चुनकर नियुक्त किए गए और उनमें से कितने उक्त पद पर अब तक स्थायी किए गए हैं ? शेष कब तक स्थायी किए जायेंगे ?

श्री काली चरण--

गोंडा जनपद में प्रसंगाधीन अवधि में अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित वेतनक्रम) में सीधी भर्ती से चुनकर किसी प्रधानाध्यापक की नियुक्ति नहीं की गई है ।

७४--श्री विष्णु प्रताप सिंह तथा श्री त्रिवेनी सिंह--

[३ रे .. शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सीतापुर व बाराबंकी जिले में शारदा सहायक नहर की पोषक नहर का निर्माण

७५--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक नहर से जनपद सीतापुर तथा बाराबंकी जनपद को सिंचाई उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां,

जनपद सीतापुर के ब्लाक सकरन एवं बिसवां के क्षेत्रों में पोषक नहर के बायीं ओर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना पर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है । दो माइनरों के लिये भूमि अधिग्रहण करने की कार्यवाही भी की जा रही है । सर्वेक्षण के पश्चात् निर्माण कार्य आरम्भ किया जा सकेगा ।

जनपद बाराबंकी में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु पोषक नहर से ४५०.०० कि० मी० नई नहरों का निर्माण तथा ११०० कि० मी० पुरानी नहरों का पुनरोद्धार कर क्षमता बढ़ाना प्रस्तावित है । इन पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा जून, १९८१ तक कार्य पूर्ण होने की आशा है ।

७६--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

बहराइच जिले में बी० एस० ए० द्वारा प्राइमरी पाठशालाओं का आकस्मिक निरीक्षण

७७--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बहराइच जिले में बी० एस० ए० पुरुष व महिला ने वर्ष १९७८-७९ में अब तक किन किन विकास खण्डों के किन-किन प्राइमरी पाठशालाओं का किस माह में आकस्मिक निरीक्षण करके कितने प्राइमरी पाठशालाओं को बन्द पाया अथवा अध्यापक अकारण अनुपस्थित पाए गए और उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला एवं पुरुष को वर्ष में कितनी बार आकस्मिक अथवा साधारण निरीक्षण प्रा० पा० का करना आवश्यक है ?

श्री कालीचरण--

शिक्षा सत्र, १९७८-७९ में माह नवम्बर, १९७८ में बी० एस० ए० पुरुष तथा महिला द्वारा क्रमशः ७ और १३ आकस्मिक निरीक्षण किये गये जिसकी सूची संलग्न है। आकस्मिक निरीक्षण के समय कोई प्राइमरी पाठशाला बन्द नहीं पाई गई। क्रमोत्तर कन्या पाठशाला, पुलिस लाईन, विकास क्षेत्र चितौरा की एक अध्यापिका पूर्व स्वीकृत अवकाश अवधि की समाप्ति के उपरान्त उपस्थित नहीं पाई गई जिसके लिये उक्त अध्यापिका से स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसके प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बेसिक शिक्षा अधिकारी महिला एवं पुरुष को वर्ष में विद्यालयों के आकस्मिक अथवा साधारण निरीक्षण करने हेतु कोई मानक निर्धारित नहीं है।

(देखिए नत्थी झ आगे पृष्ठ १३२ पर।)

७८--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

७९-८०--श्री श्रीनारायण--

[३ रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २५-२६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

८१- श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय, कानपुर की अध्यापिकाओं के सस्पेन्स एकाउन्ट की किश्त का भुगतान

८२--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय महिला दीक्षा विद्यालय पाण्डुनगर, कानपुर की अध्यापिकाओं का सस्पेन्स एकाउन्ट के अन्तर्गत १९७२ से अब तक कितने किस्तों का भुगतान किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापिकाओं के अन्य वेतन, छुट्टी सम्बन्धी तथा अन्य बकायों का भुगतान भी १९७८ से पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो यह भुगतान कब तक कर दिए जायेंगे।

श्री काली चरण—

सस्पेन्स एकाउन्ट के अन्तर्गत जमा की गई धनराशि की प्रथम किश्त का भुगतान प्रभावित अध्यापिकाओं को कर दिया गया है। द्वितीय एवं तृतीय किश्त के भुगतान के आदेश दिये जा चुके हैं। केवल एक अध्यापिका का दिसम्बर, १९७० के चार दिन मात्र का अवकाश सम्बन्धी प्रकरण अनिर्णीत है। सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के आदेश दे दिए गए हैं।

आगरा जिले में खोले गये गेहूं के क्रय केन्द्र

८३—श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा में वर्ष १९७८–७९ के लिए सरकार ने किसानों से गेहूं की खरीद के कितने खरीद केन्द्र खोले ? क्या इन सभी खरीद–केन्द्रों पर गेहूं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था थी ? यदि हां, तो क्या जून, १९७८ में वर्षा हो जाने से खरीद केन्द्रों पर गेहूं भीगा ? यदि हां, तो क्यों और इस प्रकार से कितने का नुकसान हुआ ?

श्री हरिश्चन्द्र—

जनपद आगरा में मार्केटिंग वर्ष १९७८–७९ में किसानों से गेहूं खरीद के लिये शासन द्वारा कुल ६८ खरीद केन्द्र खोले गये थे। सभी क्रय केन्द्रों पर गेहूं को सुरक्षित रखने की उचित व्यवस्था थी। जून, १९७८ में क्रय केन्द्रों पर वर्षा से गेहूं नहीं भीगा और इस प्रकार कोई नुकसान नहीं हुआ।

गोंडा जिले के स्वतन्त्र भारत इण्टर कालेज के एल० टी० प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक का वेतन–क्रम

८४—श्री बिन्दू लाल—

प्रथम सत्र १९७८ के आठवें बुद्धवार के अतारांकित प्रश्न १४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जो एक अध्यापक सी० टी० वेतनक्रम में कार्यरत है वह प्रशिक्षण के पूर्व किस वेतनक्रम में कार्यरत थे तथा प्रशिक्षण के उपरान्त जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा के अनुमोदन का सन्दर्भ देकर उनकी नियुक्ति २/३ एल० टी० वेतनक्रम में की गयी ? यदि हां, तो शिक्षा विभाग के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना का क्या कारण था तथा उसके लिए कौन उत्तरदायी रहा ? क्या उसी सन्दर्भ में कोई ज्ञापन शासन को गत अप्रैल, १९७८ में प्राप्त हुआ है और अब तक उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री कालीचरण—

सी० टी० वेतनक्रम के २/३ में, किन्तु जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा को स्वीकृत्यर्थ प्रेषित प्रपत्र (अ) में जे० टी० सी० का उल्लेख है जो अनुमोदित भी किया गया था। इन सर्विस ट्रेनिंग में जाने के पूर्व अध्यापक न तो एल० टी० वेतन क्रम के २/३ में नियुक्त था और न ही उसके ट्रेनिंग में जाते समय तथा लौटने पर विद्यालय में एल० टी० का पद ही रिक्त था। अतः ट्रेनिंग के उपरान्त उन्हें एल० टी० वेतनमान में नियुक्त करने तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

इस संदर्भ में अप्रैल, १९७८ में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था । उस पर यह निर्णय लिया गया था कि श्री सिद्दीकी इन सर्विस ट्रेनिंग लेने के पूर्व जे० टी० सी० वेतन क्रम में कार्यरत थे न कि २/३ एल० टी० के वेतन क्रम में । अतः वे इन सर्विस ट्रेनिंग में प्रबन्धक तथा अपने द्वारा गलत तथ्य दिखाकर गये, जिसके लिए वे दोषी हैं ।

शारदा कैनाल, ब्लाक कसमन्डा, सीतापुर के कुलाबे से पानी की आपूर्ति

८५--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दरियाबाद ब्रान्च शारदा कैनाल, तहसील सिधौली, ब्लाक कसमन्डा, जिला सीतापुर के कुलाबे जो आजकल जगह-जगह पर बने हैं, पानी नहीं दे रहे हैं ? यदि हां, तो कितने और कौन-कौन जगह ?

श्री बलवीर सिंह--

जी नहीं, पानी दे रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शारदा कैनाल, तहसील सिधौली, सीतापुर के कुलाबे

८६--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दरियाबाद ब्रांच, शारदा कैनाल, तहसील सिधौली, जिला सीतापुर के अन्तर्गत लाहे के कुलाबे जो पुराने हैं व टूट गए हैं, इसके प्रति शासन ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह--

जी हां पुराने हैं, परन्तु टूटे नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शारदा कैनाल, ब्लाक कसमन्डा, जिला सीतापुर की बरनटी माइनर से जल की आपूर्ति

८७--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दरियाबाद ब्रांच, शारदा कैनाल, तहसील सिधौली, ब्लाक कसमण्डा, जिला सीतापुर, ग्राम भिड़ई पुरवा, पोस्ट भन्डिया के निकट बरनटी माइनर में झालों की आवश्यकता न होने के कारण किसानों को पानी मिलने में असुविधा एवं कठिनाई अधिक हो रही है ? यदि हां, तो शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बलवीर सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

८८--श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

[३ रे बुधवार के लिए स्थगित]

सीतापुर के थाना महमूदाबाद के भवन का निर्माण

८९--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना महमूदाबाद, जनपद सीतापुर का भवन निर्माण हो रहा है ? यदि हां, तो इस पुलिस स्टेशन की इमारत कब तक तैयार होने की सम्भावना है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

थाना महमूदाबाद का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा दिसम्बर, १९७९ तक उसके पूर्ण होने की सम्भावना है ।

सीतापुर के थाना रामपुर मथुरा व रामपुर कलां के भवन निर्माण की मांग

९०--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक महमूदाबाद, थाना रामपुर मथुरा तथा रामपुर कलां, जनपद सीतापुर की इमारतें बनवाने के लिए सरकार के पास कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इनका निर्माण कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जनपद सीतापुर में ब्लाक महमूदाबाद, थाना रामपुर मथुरा तथा रामपुर कलां की इमारतें बनाने की कोई स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास नहीं है ।

९१--श्री सोहनवीर सिंह तोमर--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित ।]

फैजाबाद जिले के जलालपुर-रामपुर भगन मार्ग के निर्माण की मांग

९२--श्री श्रीराम द्विवेदी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि फैजाबाद सर्किट हाउस में दिनांक २७ अगस्त, १९७८ को आयोजित बैठक में जलालपुर से रामपुर भगन मार्ग स्पेशल रिपेयर के लिए स्वीकृत किया गया ? यदि, हां, तो इस सड़क पर निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

फैजाबाद सर्किट हाऊस में दिनांक २७-८-७८ को आयोजित बैठक में जलालपुर से रामपुर भगन मार्ग स्पेशल रिपेयर के लिए स्वीकृत नहीं किया गया था ।

फैजाबाद जिले के गोसाईंगंज–टिकरी–तारुन मार्ग व तारुन–हैदरगंज–कूड़ेभार मार्ग का निर्माण

९३ –श्री श्रीराम द्विवेदी––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में गोसाईंगंज–टिकरी–तारुन–हैदरगंज–कूड़ेभार मार्ग पर निर्माण की क्या प्रगति है ? क्या इस मार्ग पर मिट्टी व सीलिंग की आपूर्ति में कमी पाई गई है ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा यह सड़क कब तक पूर्ण होगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां––

जनपद फैजाबाद में गोसाईंगंज टिकरी–तारुन–हैदरगंज–कूड़ेभार मार्ग निर्माण की प्रगति निम्न प्रकार है :––

१––गोसाईंगंज–टिकरी–तारुन मार्ग :––

(१) मार्ग की लम्बाई	..	१३·७० कि० मी० ।
(२) मिट्टी का कार्य	..	११·०० कि० मी० ।
(३) निचली सतह एकीकरण	..	१२·०० कि० मी० ।
कुटाई		७·०० कि० मी० ।
(४) मध्य सतह एकीकरण	..	७·०० कि० मी० ।
कुटाई	..	७·०० कि० मी० ।
(५) ऊपरी सतह एकत्रीकरण	..	७·०० कि० मी० ।
कुटाई	..	७·०० कि० मी० ।
(६) लेपन सतह प्रथम	..	६·०० कि० मी० ।

२––तारुन–हैदरगंज–कूड़ेभार मार्ग :––

यह मार्ग त्वरित योजना तथा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माणाधीन है ।

(क) तारुन–हैदरगंज–कूड़ेभार मार्ग :––

(लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र)

(१) मार्ग की लम्बाई	..	४·०० कि० मी० ।
(२) मिट्टी का कार्य	..	४·०० कि० मी० ।
(३) निचली सतह एकत्रीकरण	..	४·०० कि० मी० ।
कुटाई	..	४·०० कि० मी० ।
(४) ऊपरी सतह एकत्रीकरण	..	४·०० कि० मी० ।
(५) मध्य सतह एकत्रीकरण	..	१·०० कि० मी० ।

(ख) तारुन–हैदरगंज–कूड़ेभार मार्ग :––

(त्वरित योजना)

(१) मार्ग की लम्बाई	..	११·०० कि० मी०
(२) मिट्टी का कार्य	..	१·०० कि० मी०
(३) निचली सतह एकत्रीकरण	..	९·०० कि० मी०
कुटाई	..	४·०० कि० मी०
(४) मध्य सतह एकत्रीकरण	..	८·०० कि० मी०

उपरोक्त मार्गों पर मिट्टी तथा सीलिंग में कमी नहीं पाई गई है ।

९४––श्री सोहन वीर सिंह तोमर––

[२रे बुधवार के लिए स्थगित ।]

सिंचाई विभाग में सज्जा व क्रय के लिये मन्डल की स्थापना

९५––श्री सोहनवीर सिंह तोमर––

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में सज्जा व क्रय के लिए एक और मन्डल की स्थापना हुई है ? यदि हां, तो क्या शासन ने इसकी स्वीकृति दे दी है ?

श्री बलबीर सिंह––

जी हां ।

९६––श्री ऊदल––

[३रे बुधवार के लिए स्थगित ।]

सीतापुर जिले में घाघरा नदी की बाढ़ से बचाने की योजना

९७––श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर जिले के विकास खण्ड बेहटा, रेउसा, रामपुर, मथुरा और सकरन शारदा और घाघरा नदी के किनारे होने के कारण प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित रहते हैं ? यदि हां, तो बाढ़ नियन्त्रण की कोई स्थायी योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री बलबीर सिंह––

सीतापुर जनपद के विकास खंड बेहटा, रेउसा, रामपुर, मथुरा एवं सकरन बाढ़ से प्रभावित हैं ।

बेहटा ब्लाक के ग्राम चन्दी, अकबरपुर, लखनीपुर तथा ज्ञानपुर इत्यादि को घाघरा नदी के कटान से बचाने के लिए तथा तम्बौर और उसके आस–पास के गांवों को बहा नाले (जो कि घाघरा नदी का एक स्पिल है) की बाढ़ से बचाने के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है । सर्वेक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार योजना बनाई जायेगी ।

रामपुर मथुरा ब्लाक के चारगांव (कनरखा, अंगरौरा, फतेहउल्लापुर एवं अखरी) को बाढ़ से बचाने के लिए ग्यारह डैम्पनर्स के निर्माण की एक योजना बनाई गई थी, जिसकी अनुमानित लागत ३०.३५ लाख रु० है। इस योजना के अन्तर्गत १७·१८ लाख रु० के कार्य कराए जा चुके हैं।

विकास खंड रेडसा एवं सकरन को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करने हेतु सर्वेक्षण के आदेश दे दिए गये हैं। सर्वेक्षण के पश्चात् आवश्यकतानुसार योजना बनाई जायेगी।

सीतापुर नगर को बाढ़ से बचाने के लिये सर्वेक्षण कार्य

९८—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर नगर को बाढ़ से बचाने के लिए कोई स्थायी योजना का सर्वेक्षण कराया गया है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री बलबीर सिंह—

सीतापुर नगर को बाढ़ से बचाने के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शीघ्र ही कोई योजना बनाकर आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी।

९९—श्री सोनपाल—

[चुनाव अवैध घोषित होने के कारण निरस्त।]

महिला चिकित्सालय, ललितपुर का भवन निर्माण

१००—श्री रणबीर सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि महिला चिकित्सालय, ललितपुर के निर्माणाधीन भवन में अभी तक कितना धन व्यय हो चुका है? इसमें कितना कार्य टेंडरों द्वारा कराया गया तथा कितना वर्क आर्डर द्वारा? इस भवन को पूर्ण होने में कितना समय लगेगा?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

महिला चिकित्सालय, ललितपुर के भवन के निर्माण में अभी तक एक लाख छः हजार पांच सौ दस रुपये व्यय हुये हैं।

ठेकेदार उपलब्ध न होने के कारण भवन निर्माण कार्य प्राथमिकता देखते हुये वर्क आर्डर तथा पी० डब्लू० ए० पर विभागीय पद्धति के अनुसार लेबर रेट पर कराया गया है। टेन्डर से कोई कार्य नहीं कराया गया। निर्माण कार्य जून, १९७९ तक पूर्ण होने की आशा है।

१०१-१०२—श्री अठई राम तथा बाबा राम अधार यादव—

[३रे बुधवार के लिए स्थगित।]

बेसिक शिक्षा परिषद् के जूनियर बेसिक स्कूलों के लिये अनुपूरक पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का मूल्यांकन

१०३—श्री अठई राम—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य नियोजन संस्थान को वर्ष १९७७-७८ में अनुपूरक पुस्तकें एवं पत्रिकाओं की उपयोगिता के मूल्यांकन का कार्य कब सौंपा गया था और उसकी रिपोर्ट शासन को कब प्राप्त हुई ? उस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री काली चरण—

परिषदीय जूनियर बेसिक स्कूलों के पुस्तकालयों के लिये अनुपूरक पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की उपयोगिता के मूल्यांकन का कार्य राज्य नियोजन संस्थान को मई, १९७८ में सौंपा गया है।

अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

१०४—श्री रवीन्द्र सिंह—

[३रे बुधवार के लिए स्थगित।]

१०५—श्री रवीन्द्र सिंह—

[३रे बुधवार के लिए स्थगित।]

१०६—श्री रवीन्द्र सिंह—

[३रे बुधवार के लिए स्थगित।]

१०७—श्री रवीन्द्र सिंह—

[३रे बुधवार के लिए स्थगित।]

१०८—श्री देव बहादुर सिंह—

[३रे बुधवार के लिए स्थगित।]

नैनीताल नगर में भू-सर्वे का कार्य एवं नव-निर्माण

१०९—श्री नारायण सिंह भंसोरा—

क्या सरकार कृपया बतलाएगी कि नैनीताल नगर में भू-सर्वे पूर्ण न होने तक नव-निर्माण कार्य बन्द किया गया है ? यदि हां, तो भवनों का नव-निर्माण करने हेतु कब तक भू-सर्वे पूर्ण कर नव-निर्माण हेतु आदेश पारित किए जाने की सम्भावना है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

जी हां, निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है। भू-सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा प्लान बन रहे हैं। प्लान बनते ही सर्वे आफ इन्डिया सुरक्षित एवं असुरक्षित एरिया की निशानदेही करेगा। इसके बाद ही इस नव-निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना सम्भव होगा।

बलिया जिले के ग्राम खरौली में नलकूप निर्माण

११०--श्री देव बहादुर सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बलिया के विकास खंड बांसडीह के अन्तर्गत ग्राम सभा खरौली में एक सरकारी नलकूप लगाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इस नलकूप से सिंचाई हेतु पानी इस रबी की फसल के लिए मिल सकेगा ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां । इस नलकूप का छिद्रण किया जा चुका है तथा इसका बी० एल० फार्म विद्युत विभाग को सितम्बर, १९७८ में भेजा जा चुका है । इसका विद्युतीकरण होते ही यह चालू हो जायगा ।

एटा जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के जूनियर इन्जीनियर, श्री राम स्वरूप सिंगल के विरुद्ध शिकायती-पत्र

१११--श्री राम लखन (जिला इटावा)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में कार्यरत जू० इन्जीनियर (राम स्वरूप सिंगल) के खिलाफ ६ जून, १९७८ को कोई शिकायत-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी नहीं ।

११२--श्री रवीन्द्र सिंह--

(३रे बुधवार के लिए स्थगित)

राजकीय पालीटेक्निक, गोंडा में प्रवेश के विरुद्ध शिकायती-पत्र

११३--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजकीय पालीटेक्निक, गोंडा में प्रवेश के सन्दर्भ में वर्ष १९७८ में कोई शिकायती-पत्र सितम्बर में मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री काली चरण--

जी हां । इस पर जांच करायी गई । और प्रवेश सम्बन्धी कोई अनियमितता नहीं पाई गई ।

गोरखपुर जिले में नलकूप निर्माण

११४--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष १९७८-७९ में गोरखपुर जिले में ४० सरकारी ट्यूबवेल लगाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो १६ जुलाई तक कितने ट्यूबवेल लगे तथा कौड़ीराम खोराबार पिपरौली ब्लाकों में कितने ट्यूबवेल लगने वाले हैं ?

श्री बलबीर सिंह--

जी हां। वर्ष १९७८-७९ में गोरखपुर जिले के लिए ५० नलकूप आवंटित किए गए हैं।

इनमें से १६ नलकूपों का छिद्रण १६ जुलाई तक किया जा चुका है। इनमें से एक-एक नलकूप पिपरौली एवं कौड़ीराम ब्लाक में भी लगा है। कौड़ी राम खोरावर व पिपरौली विकास खण्डों में प्राविधिक दृष्टिकोण से उचित पाये जाने पर नियमानुसार राजकीय नलकूप लगाये जायेंगे।

जिला विद्यालय निरीक्षि का, कानपुर का स्थानान्तरण

११५--श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षिका (महिला), कानपुर का स्थानान्तरण माह जुलाई, १९७८ में किया गया था परन्तु थोड़े ही दिनों पश्चात् ट्रान्सफर निरस्त कर दिया गया। यदि हां, तो ट्रान्सफर करने व ट्रान्सफर रोकने के क्या-क्या कारण थे ?

श्री काली चरण--

जी हां। प्रशासनिक आधार था।

११६--श्री देव बहादुर सिंह--

[१ ले शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ८१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बलिया जिले में बांसडीह-मनियर-सिकन्दरपुर सड़क का निर्माण

११७--श्री देव बहादुर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बलिया में एक सड़क बांसडीह से मनियर होती हुई सिकन्दरपुर तक निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ हुआ और यह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

जी हां। इस मार्ग का निर्माण कार्य नवम्बर, १९७५ से आरम्भ है। कार्य का पूरा होना धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

११८--श्री राम सजीवन--

[३ रे बुधवार के लिए स्थगित]

बांदा जिले के बरुआ बांध की मुख्य नहर की सर्विस रोड को पक्का किये जाने की मांग

११९--श्री राम सजीवन--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में बरुआ बांध की मुख्य नहर की पटरी की पूरी सर्विस रोड को पक्का कराने का कितना कार्य अब तक हुआ है ? कितना कार्य शेष है और वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री बलबीर सिंह--

बरुआ मुख्य नहर की कुल लम्बाई ३८-२५ कि० मी० है। इस पूरी लम्बाई में नहर के दाहिनी किनारे पर सर्विस रोड उपलब्ध है। वर्ष १९७२-७३ में इस नहर के ५-३ कि० मी० से १०-३ किलो मी० तक ५ किलो मी०

की लम्बाई को पक्का करने का प्रस्ताव था। इसमें से ५-३ कि० मी० से ६-९ कि० मी० अर्थात् १-६ कि० मी० लम्बाई में पेंटिंग के साथ सड़क पक्की हो गयी है। अवशेष ३-४ कि० मी० लम्बाई में सीलिंग का कार्य हुआ है। धन उपलब्धि के पश्चात् यह कार्य पूरा किया जायेगा।

बांदा जिले के बीरा माइनर में अधिग्रहीत कमासिन गांव की भूमि का मुआवजा

१२०--श्री जगन्नाथ सिंह परमार--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के कमासिन गांव में बनी "बीरा माइनर नामक" नहर जो ३१८, ३१९ तथा ३८९ नम्बरानों से हो कर निकली है इन नम्बरानों से सम्बद्ध काश्तकारों को मुआवजा न दे कर नहर सीमा से दूरस्थ नम्बरानों के काश्तकारों को दिया गया है जिनका नहर से कोई सम्बन्ध नहीं है ? अगर हां, तो भूल सुधार के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलबीर सिंह--

बीरा माइनर कमासिन गांव के खेत नम्बर ३१० से नहीं निकाली गई है। खेत नं० ३१९ व २८९ की भूमि अभी अधिग्रहीत नहीं हुई है। दूरस्थ नम्बरानों के काश्तकारों को जिनका नहर से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो मुआवजा दिया गया है, उनसे वापसी को तथा नहर में वास्तविक प्रयुक्त भूमि के अधिग्रहण तथा उससे सम्बन्धित कृषकों को मुआवजा देने की कार्यवाही अब की जा रही है।

१२१--श्री गोविन्द सिंह नेगी--

[२ रे बुधवार के लिए स्थगित]

१२२--श्री रवीन्द्र सिंह--

[४थे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों के पदों पर प्रोन्नति एवं पिछड़े वर्ग का आरक्षण

१२३--श्री राम सजीवन--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि खाद्य आयुक्त के आदेश सं० १८५०/आ० पु०/अधि०-२२-७७, दिनांक ५ अप्रैल, १९७८ द्वारा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों के पदों पर कृत प्रोन्नतियों में पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति लिया गया है ? यदि नहीं तो, शासनादेश सं० ३७७९-अ-चालिस-ए०-६ (१३)-७७, दिनांक १३ जनवरी, १९७८ का उल्लंघन करने के लिए कौन जिम्मेदार है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयीं ? इस त्रुटि को सुधारने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हरिश्चन्द्र--

खाद्य आयुक्त के आदेश दिनांक ५-४-७८ के द्वारा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों के पदों पर प्रोन्नत [illegible] गये अधिकारियों में से पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति नहीं है।

[श्री हरिश्चन्द्र]

चूंकि खाद्य आयुक्त के उक्त आदेश के द्वारा प्रोन्नत किये गये कर्मचारियों का चयन दिनांक १२-७-७७ को किया गया था जबकि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्राविधान नहीं था, अतः शासनादेश संख्या ३७७६/अ०/चालिस-ए०-६(१३)-७७, दिनांक १३-१-७८ के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता ।

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के पदों पर प्रोन्नति देने के लिए भविष्य में यदि कोई चयन किया जायेगा तो उसमें शासनादेश दिनांक १३-१-७८ में दिये गये प्राविधानों का पूर्णतया पालन किया जायेगा ।

१२४--श्री राम आसरे वर्मा--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

विद्या भवन इण्टर कालिज, अरोल, कानपुर में लड़कियों की पढ़ाई के विरुद्ध कार्यवाही

१२५--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि विद्या भवन इण्टर कालेज, अरोल, कानपुर के निकट ज्ञान भारती कन्या विद्यापीठ नामक लड़कियों का स्कूल होते हुए भी विद्या भवन इण्टर कालेज में सन् १९७७ से अभी तक लड़कों के साथ लड़कियों की पढ़ाई चल रही है ? जिला विद्यालय निरीक्षक का इस सम्बन्ध में निषेधात्मक आदेश प्राप्त होने के बावजूद लड़कियों की भर्ती इस वर्ष भी की गयी ? यदि हां, तो विद्या भवन इण्टर कालेज के विरुद्ध कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री काली चरण--

विद्या भवन इन्टर कालेज साहित्यक एवं वैज्ञानिक वर्ग मान्यताप्राप्त है । कालेज के निकट ज्ञान भारती कन्या विद्यापीठ हाई स्कूल साहित्य वर्ग में मान्यता-प्राप्त स्कूल के बावजूद विद्या भवन इन्टर कालेज में इन्टर की छात्रायें तथा ऐसी छात्रायें जो वे विषय लिये हुये हैं जिनको बालिका विद्यालय मान्यताप्राप्त नहीं है, अध्ययन कर रही है ।

जुलाई, १९७८ में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से छात्राओं को भर्ती न किये जाने के विषय में संस्थाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये थे ।

बिना अनुमति के छात्राओं को पढ़ाने के कारण विद्यालय के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा १६-डी के अन्तर्गत १६-डी (३) नोटिस दी गई है । साधिकार नियंत्रक के नियुक्ति की कार्यवाही हो रही है ।

१२६--श्री मोती लाल देहलवी--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

सीतापुर जिले में कतिपय मार्गों का निर्माण

१२७--श्री राम नारायन वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महमूदाबाद से रामपुर-मथुरा, महमूदाबाद से कुर्सी, बिसवां से रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर सड़क निर्माण की योजना सरकार के विचाराधीन थी ? यदि हां, तो इन सड़क पर आज तक कितना कुल धन व्यय किया जा चुका है तथा कितने किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

महमूदाबाद से रामपुर मथुरा एवं महमूदाबाद से कुर्सी मार्ग निर्माण कार्य सड़क स्वीकृत है। जिसमें से रामपुर-मथुरा मार्ग स्वीकृत नहीं है।

महमूदाबाद से रामपुर-मथुरा मार्ग पर १०/७८ तक ५,०१,६४५ रु० व्यय हो चुका है।

महमूदाबाद से कुर्सी मार्ग पर १०/७८ तक ४४,७८२ रु० व्यय हो चुका है।

महमूदबाद से रामपुर-मथुरा मार्ग के १४ कि० मी० लम्बाई में मिट्टी का कार्य हो गया है जिसमें से ५ कि० मी० में ईंटा की सोलिंग लग चुकी है और इसमें से ४ कि० मी० में कंकड़ की निचली सतह कुट चुकी है, विशेष कार्य प्रगति पर है।

महमूदाबाद से कुर्सी मार्ग पर ०.२५ कि० मी० लम्बी सड़क बन चुकी है।

सीतापुर जिले के फखरुद्दीन अली अहमद मार्ग के निर्माण की मांग

१२८--श्री राम नरायन वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील महमूदाबाद जनपद सीतापुर में फखरुद्दीन अली अहमद मार्ग के निर्माण की योजना पिछली सरकार ने स्वीकृत की थी ? यदि हां, तो उसका निर्माण कहां और कब पूरा हुआ ?

श्री मोहम्मद मसूद खां--

फखरुद्दीन अली अहमद मार्ग पिछली सरकार ने स्वीकृत नहीं किया था अतः इस मार्ग के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता है।

१२९--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

१३०--श्री जनार्दन दास चान्दना--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

१३१--श्री दया राम भास्कर--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

बाराबंकी जिले के गनेशपुर के आदर्श विद्यालय के उच्चीकरण सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

१३२--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत गनेशपुर, बहराम घाट, बाराबंकी में हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में कितने प्रार्थना-पत्र वर्ष १९७७ से 1 जुलाई, १९७८ तक शासन को प्राप्त हुई है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री काली चरण--

वर्ष १९७७ से १ जुलाई, १९७८ तक शासन के सचिवालय स्तर पर केवल एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें राजकीय दीक्षा विद्यालय गनेशपुर से संलग्न आदर्श विद्यालय में कक्षा ९ व १० खोलकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाने की मांग की गयी थी। इस सम्बन्ध में शिक्षा निर्देशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद तथा जिला विद्यालय निरीक्षक बाराबंकी से भी सूचना मांगी गयी है।

२--चूंकि आदर्श विद्यालयों की स्थापना विशिष्ट उद्देश्य से की गयी है तथा इन विद्यालयों के उच्चीकरण की कोई योजना नहीं है, अतः उक्त मांग पर विचार किया जाना सम्भव न हो सका।

देवरिया जिले के ग्राम तेनुआ में भूमि का कथित अधिग्रहण

१३३--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के ग्राम तेनुआ (विकास क्षेत्र बैतालपुर) के किसानों की जमीन का अधिग्रहण नहर हेतु वर्ष १९७६ में किया गया था और अभी तक किसानों का मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान न करने का कारण क्या है ?

श्री बलवीर सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जिले में सीमेन्ट का आवंटन

१३४-- श्री विष्णु प्रताप सिंह--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाढ़ की भीषण परिस्थिति को देखते हुए माह जुलाई, १९७८ से माह सितम्बर, १९७८ तक गोंडा जिले को कितना सीमेन्ट का कोटा आवंटित किया गया है उसमें से कितना जन साधारण के इस्तेमाल के लिए और कितना पुल व पुलियों व सड़कों के मरम्मत हेतु है ? क्या सरकार यह भी जानकारी देगी कि आवंटित सीमेन्ट के कोटे में से कितना गोंडा जिले के तहसील तरबगंज व गोंडा सदर तहसील में खपत के लिए है और कितना बलरामपुर व उतरौला तहसील के लिए है ?

श्री हरिश्चन्द्र--

गोंडा जिले को १९७८ के जुलाई-सितम्बर त्रैमास के लिए ८०,००० बोरी सीमेन्ट के नियमित आबंटन के अतिरिक्त १६,००० बोरी सीमेन्ट बाढ़ सहायता कार्यों के लिए आबंटित की गयी थी। उपरोक्त ९६,००० बोरियों में से फैक्ट्रियों से ६८,१३१ बोरियां सीमेन्ट प्राप्त हुई जिनके वितरण का तहसीलवार ब्योरा निम्नवत् है :--

1--तरबगंज	११,६७९ बोरी
२--गोंडा सदर	१९,६८२ बोरी
३--बलरामपुर	२३,७०२ बोरी
४--उतरौला	१३,०६८ बोरी

फ्री–सेल कोटे के अन्तर्गत पुल, पुलियों तथा सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से आवंटन नहीं किया जाता है। गोंडा जिले की किसी स्थानीय निकाय से बाढ़ सहायता कार्यों के लिए सीमेन्ट की कोई मांग शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

१३५—श्री राम सजीवन—

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

१३६—श्री भगवती चरण निर्मोही—

[३रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या १२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

१३७—श्री हरीराम वर्मा—

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

उप शिक्षा निदेशक के पद पर अनुसूचित जाति का कोटा

१३८—श्री हाकिम लाल—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उत्तर प्रदेश में इस समय २० शिक्षा उप निदेशकों के पद है ? उनमें कितने अनुसूचित जाति के है ? क्या उक्त कोटा सरकार पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री काली चरण—

इस समय शिक्षा विभाग में उप शिक्षा निदेशक के २४ पद हैं। इनमें संप्रति अनुसूचित जाति का कोई अधिकारी कार्यरत नहीं है।

उप शिक्षा निदेशक के पदों पर अनुसूचित जाति का आरक्षण पूरा करने हेतु गत विभागीय चयन में उक्त जाति का एक अभ्यर्थी चुना गया था। किन्तु उसके विरुद्ध गंभीर आरोप होने के कारण अभी तक उन्हें पदोन्नति नहीं दी जा सकी है। नियमानुसार उपयुक्त अधिकारी के उपलब्ध होने पर सरकार उक्त कोटा पूरा करेगी।

संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद पर अनुसूचित जाति का कोटा

१३९—श्री हाकिम लाल—

क्या सरकार बताने की कष्ट करेगी कि उत्तर प्रदेश में इस समय कितने पद संयुक्त शिक्षा निदेशक के है और उनमें अनुसूचित जाति के कितने संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं ? क्या सरकार उक्त कोटा पूरा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री काली चरण—

शिक्षा विभाग में संयुक्त शिक्षा निदेशकों के पदों की वर्तमान संख्या ५ है। इन पर संप्रति अनुसूचित जाति का कोई अधिकारी नियुक्त नहीं है। इस वर्ग का नियमानुसार पात्रता क्षेत्र में अधिकारी उपलब्ध होने पर सरकार पदोन्नति देकर उक्त कोटा पूरा करेगी।

सिंचाई उप खंड, हाथरस द्वारा खूटे की आपूर्ति हेतु मांगा गया कोटेशन

१४०---हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, सन् १९७७ में सहायक अभियन्ता, सिंचाई उपखंड हाथरस के कार्यालय में ३० हजार खूटों की सप्लाई के टेंडर मांगे गए थे ? यदि हां, तो उन टेन्डरों में महादेव प्रसाद मास्टर, अतावर इगलास (अलीगढ़) तथा अली मुहम्मद, ठेकेदार, ग्राम व पो० कारस, जिला अलीगढ़ के टेन्डरों की प्रति खूटा सप्लाई का रेट क्या था और किस ठेकेदार का किस रेट का टेन्डर स्वीकार किया गया ? जुलाई, अगस्त, १९७८ में सहायक अभियन्ता प्रथम सिंचाई खंड, हाथरस के कार्यालय में खूटों का किस रेट का कोटेशन स्वीकृत हुआ है ?

श्री बलवीर सिंह--

खूटों की सप्लाई, उन्हें ठोकरों (SPURS) में गाड़ने तथा झांकर भरने के टेन्डर नहीं बल्कि कोटेशन मांगे गये थे ।

श्री महादेव प्रसाद मास्टर का रेट प्रति खूटा ठोकर में गाड़ने के कार्य को सम्मलित करते हुये ५.९० रु० प्रति खूटा एवं झांकर भरने का रेट २९.०० रु० प्रति घनमीटर था तथा श्री अली मोहम्मद ठेकेदार का अनुरूप रेट क्रमशः ५.७० रु० प्रति खूटा एवं ३०.०० रु० प्रति घन मीटर था। इन दोनों ठेकेदारों का रेट स्वीकार नहीं किया गया । जुलाई, अगस्त, १९७८ में सहायक अभियन्ता (प्रथम) सिंचाई खंड, हाथरस के कार्यालय में खूटों का कोई कोटेशन स्वीकृत नहीं हुआ ।

हमीरपुर, राजकीय पालीटेक्निक के प्रधानाचार्य पद पर श्री के० एल० बाधवा की नियुक्ति और स्थानान्तरण एवं मारपीट की घटना

१४१---श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक कालेज, महोबा, जिला हमीरपुर (उ० प्र०) में आपातकालीन स्थिति के दौरान श्री के० एल० बाधवा के प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति के सिलसिले में दो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उसे अनियमित करार देते हुए शासन को प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए गये ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री काली चरण--

जी हां, श्री के० एल० बाधवा की प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति के विरुद्ध शासन स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी का प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ । प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त उसमें कोई बल नहीं पाया गया ।

१४२---श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय पालीटेक्निक कालेज, महोबा के प्रधानाचार्य श्री के० एल० बाधवा द्वारा अपने कक्ष में संस्था के व्याख्याता श्री हरिओम वर्मा के साथ दिनांक २१ मार्च, १९७८ को स्वयं एवं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा मारपीट कराए जाने की घटना की सूचना शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो अब तक इस मामले में प्रधानाचार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री काली चरण--

शिकायत प्राप्त हुई । महोबा राजकीय पालीटेक्निक से सम्बन्धित कतिपय मसलों पर विचार के फलस्वरूप प्रधानाचार्य का स्थानान्तरण महोबा से अन्यत्र कर दिया गया है ।

१४३--श्री बनारसीदास चान्दना--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

बाराबंकी जिले के विकास क्षेत्र सूरतगंज के लिये सिंचाई सुविधा की मांग

१४४--श्री मसूदुल हसन लोमानी (जिला बाराबंकी)--

क्या सिंचाई मंत्री को इस बात की जानकारी है कि जनपद बाराबंकी में विकास क्षेत्र सूरतगंज का लगभग सारा क्षेत्र नहरों व नलकूपों के न होने के कारण असिंचित है ? यदि हां, तो सरकार इस क्षेत्र को सिंचित बनाने हेतु कौन सी योजना कार्यान्वित करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलवीर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

१४५--श्री ऊदल--

[३रे बुधवार के लिए स्थगित]

१४६--श्री ऊदल--

[२रे बुधवार के लिए स्थगित]

भदोही ब्लाक, जिला वाराणसी के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशालाएं खोलने की मांग

१४७--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव अभयनपुर उर्फ लखनपुर, भिखारीपुर, फुलवरिया कोट, डुड़वा, ब्लाक भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में प्राइमरी पाठशाला नहीं है और उपरोक्त गांवों के बच्चे दो किलोमीटर दूर भदोही जाते हैं और दूर होने की वजह से बहुत से बच्चे स्कूल में नहीं आ पा रहे हैं ? यदि हां, तो अब तक उपरोक्त गांवों के लिए प्राइमरी स्कूल न खोलने का कारण क्या है ?

श्री काली चरण--

गांव डुड़वा को छोड़कर ब्लाक भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के अन्य ग्राम अभयनपुर उर्फ लखनपुर, भिखारीपुर, फुलवरिया कोट में प्राइमरी पाठशाला नहीं है ।

जी हां,

स्कूल खोलने हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक के अन्तर्गत तथा शैक्षिक सर्वेक्षण के आधार पर संस्तुति न किये जाने के कारण स्कूल नहीं खोले गये ।

१४८—श्री ऊदल—

[३ रे बुधवार के लिए स्थगित]

बेसिक शिक्षा कार्यालय, वाराणसी में लिपिकों की संख्या

१४९—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी में सिर्फ पांच अस्थायी लिपिक कार्य कर रहे हैं और फोन की व्यवस्था भी नहीं है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि बेसिक विभाग में दस हजार से ऊपर अध्यापक एवं हजारों स्कूल हैं इसके अलावा प्राइवेट प्रा० एवं जूनियर हाई स्कूलों को भी देखना पड़ता है ? तो क्या सरकार उपरोक्त कमियों को दूर करने हेतु कोई कदम उठाने जा रही है ?

श्री काली चरण—

बेसिक शिक्षा कार्यालय, वाराणसी में कुल सात (चार स्थायी तथा तीन अस्थायी) लिपिक कार्यरत हैं तथा दो पद रिक्त हैं। यद्यपि उक्त कार्यालय में फोन की व्यवस्था इस समय नहीं है तथापि फोन लगाने की स्वीकृति शिक्षा निदेशक द्वारा दी जा चुकी है। प्रसंगत विभाग में ८,१०१ अध्यापक/अध्यापिकायें कार्यरत हैं तथा १,७६६ विद्यालय संचालित होने के अतिरिक्त लगभग २५० सहायता प्राप्त, स्थायी एवं अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय भी चल रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

१५०—श्री ऊदल—

[२ रे सोमवार में अतांराकि प्रश्न संख्या २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विधान सभा सद य श्री हबीब अहमद तथा श्री शिव राज सिंह 'निर्भय' तथा भूतपूर्व अध्यक्ष, विधान सभा श्री नफीसुल हसन एवं भूतपूर्व सदस्य श्री राम चन्द्र सेहरा, श्री प्यारे लाल शर्मा व श्री जयराम सिंह के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

मान्यवर, आज इस सदन की बैठक बहुत ही शोकाकुल वातावरण में हो रही है। हमारे बीच से वर्तमान सदन के दो सदस्य श्री हबीब साहब तथा शिवराज सिंह 'निर्भय' नहीं रहे। इसके साथ-साथ श्री नफीसुल हसन साहब जो इस माननीय सदन के माननीय सदस्य थे और अध्यक्ष भी रह चुके थे वह भी हमारे बीच में नहीं रहे। स थ ही साथ श्री रामचन्द्र जी सेरा, श्री प्यारे लाल शर्मा और जसराम सिंह जी इस सदन के भूतपूर्व सदस्य थे वह हमारे बीच नहीं रहे।

जहां तक श्री हबीब साहब का प्रश्न है वह इलाहाबाद के निवासी थे। चायल तहसील में उनका जन्म हुआ था। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने बी० ए०, एल-एल०बी० की परीक्षा पास की थी। सन् १९७२ से ही वह बराबर गुर्दे के रोग से पीड़ित थे। उनका इलाज लन्दन में हुआ, दिल्ली में हुआ लेकिन बावजूद सारी सुविधायें देने और प्रयास करने के भी कोई कामयाबी नहीं मिली। वह अन्त में उपचार हेतु इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूट आफ साइन्सेज में भर्ती थे। जहां उनका देहावसान हो गया और वे काल के गाल में चले गए। इनका सार्वजनिक जीवन बहुत ही महत्व का रहा। डाक्टर फरीदी की प्रेरणा स्वरूप वे राजनीति में आये। उनमें लोक हित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की भावना इतना प्रखर और प्रबल थी जिससे डाक्टर फरीदी के निधन के बाद वह मुस्लिम मजलिस के मृत्युपर्यन्त सदर रहे और उस हैसियत से जिस तरह उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया उसे सदन अच्छी तरह से जानता है। दो बार वह इस विधान सभा के सदस्य चुने गये। १९७१ के मध्यवधि चुनाव में वह भारी बहुमत से जीत कर आये थे और १९७७ के चुनाव में पुनः वह इस सम्मानित सदन के सदस्य चुनकर आये। सदन की गरिमा का ध्यान रखकर जिस प्रकार उन्होंने समय-समय पर अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग की सेवा की वह प्रदेश की जनता के लिये प्रेरणा की बिन्दु रही। आज वह नहीं रहे इसलिए मैं उनके प्रति सदन की तरफ से और अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

हमारे बीच श्री शिव राज सिंह 'निर्भय' भी नहीं रहे। दिनांक २६ नवम्बर, १९७८ को वह एक सहकारी विक्रय केन्द्र पर गये थे। उस समय लटूरी नामक एक व्यक्ति ने उनके ऊपर गोली से वार किया जिससे अस्पताल ले जाते हुये रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गयी। लटूरी पकड़ा गया और दूसरा अभियुक्त जो फरार था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनका जन्म बदायूं में हुआ था। हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद १९५९ में वह स्थल सेना में एक सैनिक के रूप में भर्ती हुए और १० वर्ष तक बराबर उसमें रहे। वहां से हटने के बाद सन् १९७४ में विधान सभा के चुनाव में एक प्रत्याशी के रूप में वह लड़े लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। फिर १९७७ के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वह उम्मीदवार थे और विजयी होकर इस सदन के सदस्य बन गये। उनका सम्बन्ध कई समाजसेवी संस्थाओं से भी रहा है।

श्री नफीसुल हसन का, जैसा संकेत किया उनका निधन ४ सितम्बर, १९७८ की रात्रि को हो गया। उनका जन्म इटावा में १९०० में हुआ था। १९१७ में इस्लामिया हाई स्कूल से परीक्षा पास की और वहां से अलीगढ़ चले गये जहां से उन्होंने एम० ए०, एल-एल० बी० परीक्षा पास की। पहले से उनके मन में राजनीति में भाग लेने की इच्छा प्रबल थी। १९३७ में पहली बार इटावा जनपद से चुनकर विधान सभा के सदस्य के रूप में आए थे। सन् १९४६ और १९५२ में वह विधान सभा के सदस्य चुने गये। २९ जुलाई, १९४६ को वह इस विधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गये थे, और २० दिसम्बर, १९५२ तक उस पद को उन्होंने बहुत गौरव और गरिमा के साथ सुशोभित किया और जब इसे राष्ट्र के उच्च प्रहरी श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो २१ दिसम्बर, १९५० को वह इस सदन के अध्यक्ष चुने गये और सन् १९५२ तक उन्होंने इस सदन के अध्यक्ष की हैसियत से काम किया और सदन की गरिमा को रखा और अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। १९६० में राज्य सभा के भी सदस्य चुने गये थे। इनका समाजसेवा से अटूट सम्बन्ध रहा है और शैक्षिक संस्थाओं से भी घनिष्ट सम्बन्ध रहा है इसी कारण कानपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का पद भी उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ सुशोभित किया। लोक सेवा आयोग के सदस्य की हैसियत से भी इन्होंने तीन वर्ष काम किया और तत्पश्चात् उसके अध्यक्ष बनाये गये और ५ वर्ष तक उस पद में रहे। आज वह भी हमारे बीच नहीं हैं। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान सभा के सदस्य की हैसियत से उनके जो विचार इस सदन में होते थे, उससे इस प्रदेश के लोगों को बड़ा बल मिलता

[श्री राम नरेश यादव--]

था। उनके मन में दीन और दलितों के प्रति आस्था और विश्वास था जिसके कारण वे बहुत लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए उनको इस प्रकार के सम्मानित पदों को विभूषित करने को दिया गया।

श्री रामचन्द्र सेहरा इस सदन के भूतपूर्व सदस्य थे और वह भी हमारे बीच नहीं रहे। वह अपने पीछे एक लम्बा परिवार छोड़ गये हैं। १५ नवम्बर, १९७८ की रात को आगरा में उनका देहावसान हो गया। सौभाग्य से हमारे बीच इस समय कांग्रेस पार्टी के उप-नेता और एक समाज सेवी श्री गुलाब सेहरा उनके पुत्र विधान सभा के सदस्य के रूप में यहां पर बैठे हैं। समाज सेवा उनका एक प्रमुख अंग था। राजनीति में भी उन्होंने विशेष भाग लिया था। स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में उन्होंने जेल यातनायें सही थी और उसके साथ-साथ सन् १९४२ में जब स्वतन्त्रता आन्दोलन चल रहा था उस समय उन्होंने स्वेच्छा से भाग लेकर जेल की चहारदीवारी में बन्द रहना स्वीकार किया। एक उनकी बड़ी विशेषता यह थी कि जो समाज के पीड़ित लोग हैं उनकी समस्याओं के प्रति वह सजग रहते थे और उनके मन में उसके प्रति पीड़ा थी। इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने आगरा में बहुत सी समाज-सेवी संस्थाओं का श्रीगणेश किया और उनका संचालन किया। बीस वर्ष तक उस संस्था का जिसका सम्बन्ध वहां के लोगों से था संचालन किया जिसका नाम शू काटेज इन्डस्ट्रीज रखा और उसके सभापति पद पर वह बने रहे। उनकी इस सेवा के परिणामस्वरूप जब श्री लाल बहादुर शास्त्री उद्योग मंत्री थे उनके सम्पर्क में आये और यह गौरव की बात है कि पहली बार इस प्रदेश के जूते उनके द्वारा ही निर्यात किये गये। समाज सेवा में विशेष लगाव के फलस्वरूप एक लड़कियों का स्कूल स्थापित किया और आज तक उनके द्वारा हजारों लड़कियां शिक्षित हुई। इस प्रकार समाज सेवा, राजनीति और व्यवसाय में उन्होंने विशेष काम किया और फिर विधान सभा के सदस्य की हैसियत से अपने विचार व्यक्त किये जो बहुत प्रसंशनीय रहे हैं।

श्री प्यारेलाल शर्मा भी हमारे बीच नहीं रहे। २७ नवम्बर, १९७८ की रात गाजियाबाद में जब वह रात को अपने कमरे में अपने परिवार के सदस्यों, भाइयों और अन्य लोगों से बातचीत कर रहे थे उसी समय किसी व्यक्ति ने बाहर से "नेता जी" कह कर बुलाया यह सुन कर जब वह बाहर निकले तो उन्हें गोली मार दी गई जिससे उनका देहावसान हो गया। उनका जन्म गाजियाबाद में ही ३० जून, १९५५ को हुआ था और इन्टरमीडिएट तक उन्होंने शिक्षा पाई थी। सर्वप्रथम वह १९६७ में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट से इस सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे और १९६९ के निर्वाचन में भी उसी क्षेत्र से चुने गये। इस प्रकार १९६९ से लेकर १९७७ तक इस प्रदेश की विधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वाधीनता आन्दोलन में भी उन्होंने भाग लिया था, उसके पश्चात् संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी द्वारा संचालित राजनैतिक आन्दोलनों में भी उन्होंने बराबर सक्रिय रूप से भाग लिया था और इसलिए कई बार आन्दोलनों में भाग लेकर जेल यातनायें सही थीं। वह बड़े समाज-सेवी थे और दीनों-दुखियों के प्रति उनके दिल में बड़ी तड़फन थी, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते।

श्री जगराम सिंह जी का देहावसान दिनांक ३० नवम्बर, १९७८ को सायंकाल करीब ६.४० बजे हो गया। आपका जन्म सन् १९१८ में बुलन्दशहर जनपद के सिकन्दराबाद कस्बे में हुआ था। वह सन् १९६२ में हमारी विधान सभा में चुनकर आए थे और सन् १९६७ तक इसके सदस्य रहे। वह नार्मल टीचर्स ट्रेनिंग की शिक्षा

ग्रहण करने के बाद अध्यापक हुए और अध्यापक की हैसियत से समाज सेवा का अरमान लेकर उन्होंने जो काम किया वह प्रदेश और उनके जनपद के लिये गौरवपूर्ण काम रहा है। इस प्रकार यह जो अनेक सदस्य अब हमारे बीच नहीं रहे, उसके लिए मैं अपनी ओर से और इस सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इन लोगों के निधन से प्रदेश की अपूर्णीय क्षति हुई हैं, जिसको पूरा करना मुश्किल हो गया है। उनसे हमें जो प्रेरणा मिली थी वह अब नहीं मिलने वाली हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, हमारी भावनाओं को शोक संतप्त परिवार तक भेज देने की कृपा करें। जब हमारे बीच से एक भूतपूर्व विधान सभा अध्यक्ष का भी निधन हो गया है ऐसी स्थिति में मैं यह भी अपील करूंगा कि उन लोगों के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद सदन की कार्यवाही आज के लिए बिलकुल ही स्थगित कर दी जाए।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

श्रीमन्, एक बार फिर यह शोकाकुल अवसर प्रस्तुत हुआ है कि हम उन दिवंगत विभूतियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, जो अब तक इस सदन की शोभा बढ़ा रहे थे या भूतकाल में जिन्होंने इस सदन की शोभा बढ़ाई। माननीय नेता सदन ने यह उचित ही किया था जो उन्होंने विस्तारपूर्वक उन सभी दिवंगत विभूतियों के जीवन चक्र, उनकी विशेषताओं और उनकी सेवाओं के सम्बन्ध में विवरण प्रस्तुत किया। यह परम्परा और मर्यादा के अनुकूल ही था। जीवनवृत्त के उस विस्तार को न दोहराते हुए, जिसका उल्लेख माननीय नेता सदन ने किया मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि विरोधी दल की ओर से और अपनी ओर से उन दिवंगत आत्माओं के जो विशेष गुण थे और जो उनके सम्पर्क में आने के कारण हमें मालूम हुए थे उनका संक्षिप्त विवरण मैं यहां प्रस्तुत करूं।

माननीय हबीब अहमद जो ऐसा लगता है जब मैं उधर और अपने आस-पास देखता हूं कि उनकी शान्ति मूर्ति और गम्भीर मूर्ति बैठी हुई है। लगता नहीं है कि वह हमारे बीच नहीं है। जब कभी मिलते थे मालूम पड़ता था कि हर समय विचार कर रहे हैं वह विचारों की एक गंभीर प्रतिमूर्ति थे। कठिन से कठिन प्रश्नों पर वह मजबूत फैसला लेते थे लेकिन उसमें कहीं कड़वाहट नहीं दिखाई देती थे। राजनैतिक द्वंद्व में जब हम भावनाओं के आवेश में अभिभूत होने लगते हैं, वह अपने को गम्भीर बनाए रखते थे, यह उनमें एक-एक सराहनीय विशेषता थी। वह उत्तर प्रदेश मुस्लिम मजलिस के अध्यक्ष थे लेकिन उनमें साम्प्रदायिकता की प्रवृत्ति लेशमात्र को नहीं थी। वह अपने दल को एक माध्यम समझते थे, जिससे प्रदेश और जनता की सेवा कर सकें। डाक्टर फरीदी का जो महान जीवन था उसका वह प्रतिरूप थे। तो जिस सदस्य का जीवन दूसरे सहयोगियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा हो, उसका हमारे मध्य से उठ जाना कितना दुखदायी होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जो सेवायें उन्होंने प्रदेश के लिए की और हम उनसे वंचित रह जावें यह कितने दुख की हमारे लिए बात है।

श्री शिवराज सिंह 'निर्भय' की मृत्यु और भूतपूर्व सदस्य श्री प्यारे लाल शर्मा की मृत्यु बड़ी ही दुखद रही है। जिस प्रकार से उनकी हत्या कर दी गयी उन्हें सामाजिक सेवाओं से वंचित कर दिया गया है, यह अत्यन्त ही दुखद प्रकरण

[श्री नारायण दत्त तिवारी—]

है । हत्या का वातावरण सामाजिक और राजनैतिक लोगों पर बढ़ता चला जा रहा है । यह क्यों है और कैसे है ? राजनैतिक और सामाजिक सेवा करने वाले लोग अपना जीवन किस प्रकार से सुरक्षित रख सकें, यह एक अलग प्रश्न है । श्री शिवराज सिंह 'निर्भय' जी जब सहकारी समिति में भाग लेने के लिए जा रहे थे तब उनकी हत्या कर दी गयी। वह विधान सभा के सदस्य हुए ही थे । अधखिली कली फूल बन न सकी और अमानुषिक हत्या ने उन्हें हमारे बीच से हटा लिया ।

श्री नफीसुल हसन साहब, आपको याद होगा, आप भी उस समय विधान सभा के सदस्य थे और मन्त्रि परिषद् के भी सदस्य थे कि किस प्रकार स्पीकरशिप का गुरुतर भार निभाया । उन्होंने राजर्षि टंडन जी के सिद्धान्तों पर चलने की कोशिश की। जब वह इस कुर्सी पर बैठते थे तो लगता था कि यह कुर्सी उनके लिए ही बनी है । उनका उन्नत ललाट और चमकता हुआ भाल एक प्रेरणा का स्रोत बनता था । जब वह रूलिंग देते थे तो धीरे-धीरे पढ़ते थे और उनकी गम्भीरता से जो सदस्य उत्तेजित भी होते थे वह भी उनकी रूलिंग को सहर्ष स्वीकार कर लेते थे । उनकी रूलिंग के विरोध में कुछ कहना असम्भव सा लगता था । उनकी योग्यता का लाभ अनेक स्थितियों में मिला है जिसका उल्लेख माननीय नेता सदन ने अभी किया है । इटावा में नगर-पालिका के अध्यक्ष रहे हों, विधान सभा में उपाध्यक्ष रहे हों और पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष रहे हों और राज्य सभा के सदस्य रहे हों उनका जीवन एक प्रेरणा का स्रोत रहा है । उनके जीवन से हमें मार्गदर्शन मिला है और विधान मन्डल के जो आगे आने वाले सदस्य हैं वह उनकी सेवाओं से हमेशा प्रेरणा लेते रहेंगे ।

श्रीमन्, स्वर्गीय श्री रामचन्द्र सेहरा जी की सेवाओं के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन ने अभी विस्तार से उल्लेख किया है, मेरे पास जो उपनेता, विरोधी दल, श्री गुलाब सेहरा बैठे हैं, इन्होंने उन्हीं से शिक्षा दीक्षा लेकर, उन्हीं की परम्पराओं पर चलकर सामाजिक सेवा का व्रत लिया है । स्वर्गीय श्री सेहरा जी एक महान् क्रान्तिकारी रहे हैं और क्रान्तिकारियों की जिस प्रकार से मदद उन्होंने अंग्रेजी शासन के काल में की, जबकि उस समय उस सरकार द्वारा कठोर से कठोर दण्ड दिया जाता था, उससे उनकी सेवायें सदा स्मरणीय रहेंगी । महात्मा गांधी जी की विचारधारा के अनुरूप अस्पृश्यता निवारण आन्दोलन में भी उन्होंने महान काम किया । जैसा कि माननीय नेता सदन ने कहा, जूता उद्योग को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए, उसका निर्यात किस प्रकार बढ़ाया जाये, इसके लिए भी उन्होंने ही प्रयास शुरू किया और उससे उन्हीं का प्रयास है कि आज लगभग १५ करोड़ रुपये के जूतों का निर्यात आगरा से ही होता है । यह एक बहुत बड़ी बात थी । मेरा निवेदन है कि हम सबकी भावनायें उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे । वैसे उनके सुपुत्र श्री गुलाब सेहरा जी यहां विद्यमान हैं ही ।

जहां तक स्वर्गीय श्री प्यारे लाल शर्मा के निधन का सम्बन्ध है, श्रीमन्, उनको देखते ही एक समाजवादी महान् व्यक्ति का प्रतिरूप सामने आ जाता था । उनकी हर समय एक सी साधारण वेषभूषा थी, हर समय ही वे मजदूरों की किसी न किसी कठिनाई को साथ लेकर आते थे, मजदूरों का कोई न कोई डेपुटेशन हर समय उनके साथ रहता था, गाजियाबाद में मजदूरों के वे प्राण कहे जाते रहे हैं । वे सचमुच में एक प्रखर समाजवादी थे । उन्होंने कभी पूंजीपतियों का साथ नहीं दिया । वे उनसे बात तक नहीं करते थे । जिन परिस्थितियों में उनकी हत्या

हुई उसकी जांच तो होगी ही, उसकी मांग भी की जायेगी, पर उनकी मृत्यु हम सभी के लिए दुख का विषय है। वह हम सभी के लिए एक चेतावनी भी है। हमारी संवेदना उनके संतप्त परिवार तक आप कृपया पहुंचाने का कष्ट करें।

जसराम सिंह, जी के बारे में, श्रीमन्, आपको तो स्वयं व्यक्तिगत जानकारी है। राजनैतिक जीवन में तो वे आपके सहयोगी रहे हैं। वे सदा ही निर्बल वर्ग की सेवाओं में ही लगे रहते थे। घमंड तो उनमें कभी छू भी नहीं गया था। वे प्रखर और उच्च कोटि के समाज सेवी थे। मैंने उनमें एक विशेष बात यह देखी कि अगर पार्टी का टिकट उनको नहीं भी मिला तो भी उसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे अपने उसी रूप में समाज की सेवा करते रहे। माननीय नेता सदन ने उनके विषय में जो कुछ कहा है उससे मैं भी अपने को सम्बद्ध करता हूं। आपसे पुनः निवेदन है कि सभी दिवंगत आत्माओं के परिवारों तक हमारी श्रद्धांजलि पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल ने श्री हबीब, श्री शिवराज सिंह 'निर्भय', श्री राम चन्द्र सेहरा, श्री प्यारे लाल शर्मा, श्री जसराम सिंह के बारे में जो भावनायें व्यक्त किए हैं, मैं अपने और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं। श्री हबीब, मुसलिम मजलिस की तरफ से एक अकेले ही सदस्य थे। इस विधान सभा के अन्दर जो कुछ समस्यायें आती थीं, उनके ऊपर बड़ी निर्भीकता के साथ अपना विचार व्यक्त किया करते थे। श्री शिवराज सिंह जी की जिन परिस्थितियों में हत्या की गई और श्री प्यारे लाल शर्मा की जिस प्रकार से हत्या की गई, यह हमारे प्रदेश के लिए चिन्ता का विषय है। राजनीतिक सदस्य की इस तरह से हत्या करना हम लोगों के लिए अत्यन्त दुखदायी है। श्री नफीसुल हसन साहब इस सदन में काफी लगन से सेवा करते थे। पब्लिक सर्विस कमीशन की सदस्यता की हैसियत से निष्पक्ष सेवा करते थे। माननीय सेहरा स्वतन्त्रता संग्राम के सैनिक रहे। आपके माध्यम से मैं अपने मित्र श्री गुलाब सेहरा, से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस संकट में सहयोग करेंगे। श्री प्यारे लाल शर्मा ने बड़ी-बड़ी यातनायें सही हैं। जब उनकी शव यात्रा चली, कम से कम ३५,००० लोग उनके साथ थे। पूरा गाजियाबाद का शहर उनके शोक में हड़ताल पर था। मान्यवर, ऐसा कर्मठ नवजवान कार्यकर्त्ता हमारे बीच में से उठ जाय, यह उनके दल का ही नहीं, यह पूरे प्रदेश का अत्यन्त शोक का विषय है। श्री जसराम सिंह के बारे में सभी जानते हैं। मान्यवर, इस माननीय सदन के सदस्य रह रहे हैं। मेरा भी आप से निवेदन है कि आप मेरे और मेरे दल की ओर से संतप्त परिवारों को संवेदना भेजने का कष्ट करें।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, नेता सदन, नेता विरोधी दल ने और माननीय नेगी जी ने इन दिवंगत आत्माओं के प्रति जो भावनाएं व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने और अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मी शंकर यादव--]

दल को सम्बद्ध करता हूं। जैसा कि नेता सदन ने कहा, इस वक्त सदन का वातावरण शोकाकुल है और शोक इससे और भी बढ़ जाता है, जैसा नेता विरोधी दल ने कहा कि इसमें एक वर्तमान और एक भूतपूर्व माननीय सदस्य की हत्या जिस तरीके से हुई और जिसमें खास तरीके से माननीय शिवराज सिंह 'निर्भय' जो दिन दहाड़े १० बजे काफी भीड़ में और वहां पर सहकारी समिति के विक्रय केन्द्र पर गए रहे होंगे, जनता के कार्य ही से और वहां पर उनकी दिन-दहाड़े हत्या की गई। माननीय प्यारे लाल शर्मा जो कि पहले ही आ चुका, बहुत लोकप्रिय थे और खास तरीके के गाजियाबाद में गरीबों के और मजदूरों के तो नेता थे, उनकी भी हत्या जिस तरीके से हुई ११ बजे रात को बुला कर घर से बाहर गोली मार दी गई। इससे दुःख और भी बढ़ जाता है।

जैसा नेता विरोधी दल ने कहा, बहुत विस्तार से नेता सदन ने इन लोगों के विषय में रख दिया है। इन सब लोगों में कोई न कोई खूबियां रही हैं। श्री हबीब अहमद साहब के बारे में जितना बताया गया उनकी एक विशेषता यह रही कि राजनीतिक कार्यों के साथ-साथ और एक विचारक होने के साथ-साथ उनकी रुचि गरीबों, हरिजनों, अल्पसंख्यकों में विशेष रूप से थी और यथासम्भव वह उनकी मदद करते थे।

श्री शिवराज सिंह राजनीतिक नेता के साथ-साथ गरीबों के सेवक हे हैं और देश की सेवा एक सैनिक के नाते भी उन्होंने किया था। माननीय नफीसुल हसन साहब जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया उनका एक महान व्यक्तित्व था और जिस भी क्षेत्र में चाहे वह राज्य सभा हो, विधान सभा हो या लोक सेवा आयोग हो, उन्होंने बड़े गौरव के साथ जो काम उनके ऊपर आया उसको उन्होंने निभाया। जो काम उन्होंने किया है वह हम सभी के लिए एक उदाहरण है।

माननीय राम चन्द्र सेहरा जी में बहुत खूबियां थीं। वह एक सामाजिक, राजनीतिक, कार्यकर्ता, गांधीवादी थे। खासतौर से छुआछूत दूर करने में उन्होंने विशेष रुचि लिया और देश तथा प्रदेश, खास तौर से आगरा के जूता उद्योग को उन्होंने विशेष प्रोत्साहन दिया। इसमें कोई शक नहीं कि उनके न रहने से आगरा और उत्तर प्रदेश को महान क्षति हुई और एक तरीके से सारे देश का अहित हुआ।

माननीय प्यारे लाल जी के बारे में जैसा कहा गया कि वह गाजियाबाद के बहुत लोकप्रिय नेता थे। खासतौर से गरीबों और मजदूरों के वह हितैषी थे। अपनी जान की बाजी लगा देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, अगर कोई काम गरीबों या मजदूरों का आ जाय।

माननीय जसराम जी बुलन्दशहर के निवासी थे। उनकी विशेष रुचि शिक्षा संस्थाओं में थी और जितना सहयोग शिक्षा को आगे बढ़ाने में हो सकता था उन्होंने किया।

इन सभी दिवंगत आत्माओं के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे निवेदन है कि हमारी तरफ से और हमारे दल की तरफ से संवेदना भेजने की कृपा करें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, सदन के भूतपूर्व सदस्य माननीय नफीसुल हसन साहब, राम चन्द्र सेहरा जी, जस राम सिंह जी, प्यारे लाल शर्मा जी तथा वर्तमान सदस्य, श्री शिवराज सिंह 'निर्भय' व श्री हबीब अहमद के निधन पर माननीय नेता सदन ने जो

उद्गार व्यक्त किए हैं उन उद्गारों के साथ मैं अपने और अपने प्रगतिशील विधायक दल को सम्बद्ध करता हूं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने माननीय शिवराज सिंह 'निर्भय' के प्रति, 'अधखिली कली फूल बन न सकी' जो शब्द प्रकट किए, तो सही मानों में उनके जीवन के साथ लागू होते हैं। वह साहित्य प्रेमी थे और एक साहित्य प्रेमी के प्रति जो शब्द माननीय नेता विरोधी दल ने कहे, मैं समझता हूं कि सच्ची श्रद्धांजलि के प्रतीक हैं। श्री हबीब साहब अभी थोड़े दिन पहले जब कभी यहां पर अल्प संख्यकों के हितों का सवाल आया हमने उनको साथ खड़े होते हुए देखा और यहां तक कि जब अपने दल से अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ नाराजगी पैदा हुई तो उन्होंने अपने को अलग घोषित किया और एक निर्दलीय सदस्य के रूप में बैठने का फैसला किया।

मान्यवर, श्री नफीसुल हसन ने उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में जो योगदान दिया है उससे न हमीं बल्कि सदन के आगे आने वाले तमाम सदस्य उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे।

श्री राम चन्द्र सेहरा समाजसेवी होने के साथ-साथ जैसा नेता सदन और नेता विरोधी दल ने बताया कि जूता उद्योग के प्रति उनका योगदान हमारे देश की आर्थिक उन्नति का एक अध्याय बन गया इसलिए भी उनके प्रति हम ऋणी रहेंगे।

श्री जसराम जी के बारे में कहना चाहता हूं कि वह एक समाजसेवी व्यक्ति थे और उनके राजनीतिक कार्यकलापों के बारे में हम सभी अवगत हैं।

श्री प्यारे लाल शर्मा जी के साथ हमारी व्यक्तिगत मुलाकात थी। उनके जीवन के बारे में जैसा कि नेता विरोधी दल और नेता सदन ने बताया वह सही बात है कि वह एक समाजवादी विचारों के व्यक्ति थे। उनके साथ जब किसी ने बात की होगी तो निश्चित रूप से उनकी बातों से वह व्यक्ति प्रभावित हुआ।

मान्यवर, दो हत्याओं, माननीय शिवराज सिंह 'निर्भय' और प्यारे लाल शर्मा जी के बारे में हमको न सिर्फ दुख और श्रद्धांजलि ही प्रकट करके रह जाना चाहिए बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि यदि सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो वह उस समय होगी जब हम इन हत्याओं से कुछ सबक लें और आगे इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसकी व्यवस्था हमारे बीच हो।

इन शब्दों के साथ अपने को माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल, माननीय गोविन्द सिंह नेगी तथा श्री लक्ष्मी शंकर यादव के साथ सम्बद्ध करते हुए पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी ओर से तथा हमारे दल की ओर से शोकग्रस्त परिवारों को श्रद्धांजलि के पुष्प भेज दें।

श्री अध्यक्ष--

शायद विधान सभा के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि एक ही साथ ६ माननीय सदस्यों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भेंट कर रहा हूं। नवम्बर का

[श्री अध्यक्ष—]

महीना विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण रहा और काल की काली छाया ५ सदस्यों पर पड़ी। दो इस सदन के वर्तमान सदस्य और तीन अन्य सदस्य केवल नवम्बर के महीने में हमारे बीच में नहीं रहे हैं। श्री नफीसुल हसन तो इस सदन के उपाध्यक्ष तथा स्व० राजर्षि टंडन जी के कांग्रेस अध्यक्ष हो जाने के बाद त्याग-पत्र देने के कारण, इस सदन के अध्यक्ष चुने गए। आज यह हमारा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कर्त्तव्य है। श्री हबीब अहमद के बारे में माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल और अन्य सहयोगियों ने विस्तारपूर्वक उनके कार्यकलापों और विचारों पर प्रकाश डाला है मेरा उनमें जब से वह विधान सभा में चुन कर आए और इससे पहले भी बड़ा निकट का सम्बन्ध रहा। वास्तव में वह धर्मनिरपेक्ष थे, यद्यपि वह मुस्लिम मजलिस के सदस्य थे। वह अक्सर कहते थे मुस्लिम मजलिस अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए डाक्टर फरीदी की प्रेरणा से बनाई गई है। यह तो मालूम था कि वह डाइलेसिस पर जिन्दा थे और बहुत दिनों से उनकी किडनी काम नहीं कर रही थी लेकिन यह आशा नहीं थी कि इतनी शीघ्र ही वह हमारे बीच से चले जायगे।

श्री शिवराज सिंह 'निर्भय' की मृत्यु जिन दुखद परिस्थितियों में हुई वास्तव में वह हम सब लोगों के लिए अत्यन्त चिन्ता तथा शोक का विषय है। श्री शिव राज सिंह थल सेना में एक सैनिक थ। सन् १९५२ के भारत-चीन युद्ध तथा सन् १९६५ के भारत-पाकिस्तान युद्ध में वह एक सैनिक रहे, उन्होंने योगदान दिया। सन् १९६९ में सेना से अवकाश प्राप्त करके सक्रिय राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया। सन् १९७४ में भी वह चुनाव लड़े थे लेकिन कामयाब नहीं हुए और अब वह एक निर्दलीय सदस्य के रूप में चुन कर आए। यह उनकी लोकप्रियता का जीता जागता सबूत है और वह एक क्रूर हत्यारे के हाथों हमसे छीन लिए गए, यह बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए दुख का विषय है।

श्री नफीसुल हसन साहब सन् १९४६ में उस वातावरण में चुनकर के आए जब साम्प्रदायिक दंगे ने तमाम देश को ग्रस्त कर लिया था। चारों तरफ हिंसा, लूट-मार का वातावरण था। इस कक्ष के अन्दर मुस्लिम लीग के लोग बैठते थे। श्री नफीसुल हसन भी मुस्लिम लीग से निर्वाचित हुए थे। मैं भी इस सदन का सदस्य था। स्वर्गीय पंडित पन्त ने और राजर्षि टण्डन जी ने पहली मरतबा एक एक परम्परा डाली कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन विरोधी पक्ष से हो और श्री नफीसुल हसन को चुना गया। मैंने आश्चर्य के साथ देखा कि जब प्रथम बार इस सदन की भाषा सन् १९५० से टण्डन जी की प्रेरणा से हिन्दी हुई तो श्री नफीसुल हसन ने थोड़े समय में हिन्दी का ज्ञान प्राप्त किया और ऐसा लगता था कि वह हिन्दी के बड़े पंडित हैं। हिन्दी में वह अपनी रूलिंग दिया करते थे। आप जानते हैं कि वह लोक सेवा आयोग के सदस्य तथा अध्यक्ष रहे, राज्य सभा के सदस्य रहे। वह अत्यन्त मिलनसार और समाजसेवी थे। वह आज हमारे बीच नहीं हैं।

श्री प्यारे लाल शर्मा प्रथम सन् १९६७ में चुन कर आए। उस वक्त मुझे भी उनके सम्पर्क में आने का अवसर मिला। वह एक निष्ठावान समाजवादी थे। १९६७ और १९६९ में वह संयुक्त समाजवादी दल के सदस्य के रूप में चुनकर आए। बाद में कांग्रेस दल में शरीक हो गए। उसके बाद उनका सारा जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित था और वह एक प्रमुख ट्रेड यूनियनिस्ट थे। गाजियाबाद के जनजीवन से उनका गहरा सम्बन्ध था। यह अत्यन्त दुख का विषय था कि उनकी हत्या इसी नवम्बर के महीने में कर दी गई और आज वह हमारे बीच में नहीं हैं।

श्री राम चन्द्र सेहरा १९४६ में जब निर्वाचित होकर आए तो हमारे बड़े निकट के सहयोगी थे। वह स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी और महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उनमें किसी भी प्रकार की संकीर्णता छू तक नहीं गई थी और उनका विशेष कार्यक्षेत्र अस्पृश्यता निवारण था। आज जो आगरे के अन्दर चमड़े का उद्योग विकसित है और करोड़ों रुपए का निर्यात रूस और अन्य देशों को होता है, उसका श्रेय श्री सेहरा को ही है। श्री सेहरा एक अत्यन्त ही विनोदप्रिय और गम्भीर व्यक्ति थे और यह हम सभी लोगों के लिए और खासतौर से श्री गुलाब सेहरा के लिए बड़े दुख का विषय है कि अब वह हमारे बीच नहीं रहे। वह ९० वर्ष की परिपक्व आयु में दिवंगत हुए। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वह हमारे बीच में अपनी एक अत्यन्त उत्तरदायी धरोहर छोड़ गए हैं, जिसमें श्री सेहरा की ही तड़क और क्रान्तिकारी भावना है और इस वक्त एक अच्छे समाज सेवक हैं।

श्री जसराम सिंह बड़े ही समाजसेवी थे और जब स्वराज भी नहीं मिला था १९३५-३६ में असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। उस वक्त जाटवों के लिए मेहतरों के हाथ का खाना मुश्किल था। जब मैं गया और खाना खाया तो आग्रह किया कि एक मनमोहन बाल्मीकि भी खायेंगे तो उनका बहिष्कार हुआ। मुझे खेद है कि सन् १९५२ में वह केन्द्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के उम्मीदवार बनाए गए थे, लेकिन मैंने उस वक्त उनके साथ न्याय नहीं किया और एक पढ़े-लिखे नवयुवक को लाने के लिए उनका टिकट कटवा दिया लेकिन उसके बावजूद भी वह बराबर निष्ठावान रहे और फिर सन् १९६२ में इस सदन के सदस्य चुनकर आए। दुर्भाग्य से स्कूटर पर वह जा रहे थे और दिल्ली के पास दुर्घटना हुई और ६ महीने तक बेहोश रहे। उसके बाद जीवित अवश्य थे लेकिन मस्तिष्क में थोड़ी खराबी रही और आज उनका निधन हुआ। उनके छोटे भाई श्री मोहन लाल पिपिल संसद सदस्य हैं।

इन शब्दों के साथ मैं दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विशेषकर श्री गुलाब सेहरा के प्रति अपनी समवेदना प्रकट करता हूं तथा माननीय नेता सदन, नेता विरोधी दल और अन्य नेताओं ने जो भावनायें प्रकट की हैं उनके साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं और उनकी तथा अपनी समवेदना उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दूंगा। अब जैसा नेता सदन ने प्रस्ताव किया है, आज इस सदन की कार्यवाही स्थगित की जायगी।

अब माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया दो मिनट तक खड़े होकर भूत व्यक्तियों की आत्माओं की शान्ति के लिए मौन धारण कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११—०० बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन १२ बजकर ५५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
दिनांक ६ दिसम्बर, १९७८

विधान सभा सदस्य पुस्तिका

नत्थी 'क'

सूची

[देखिए नियम ३८ (२) के तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११ पर ।]

जनपद का नाम		स्थानीय निकाय (म्युनिसिपल बोर्ड) का नाम जहां अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना लागू नहीं है
१		२
सहारनपुर	..	मंगलौर
		गंगोह
मुजफ्फरनगर	..	कांधला
		खतौली
मेरठ	..	मवाना
		सरधना
गाजियाबाद	..	मुरादनगर
		मोदीनगर
		दादरी
आगरा	..	फतेहपुर सीकरी
		अछनेरा
		शमशाबाद
बुलन्दशहर	..	डेबाई
		अनूपशहर
		जहांगीराबाद
मथुरा	..	कोसी
मैनपुरी	..	शिकोहाबाद
		सिरसागंज
एटा	..	गंजडुन्डवारा
		मरेहरा
		अलीगंज

विधान सभा उत्तर प्रदेश

१		२
अलीगढ़	..	कोयल (अलीगढ़)
बरेली	..	बहेरी
		फरीदपुर
बदायूं	..	ककराला
		बिलसी
मुरादाबाद	..	बिलारी
		धनौरा
		बहजोई
		ठाकुरद्वारा
शाहजहांपुर	..	जलालाबाद
पीलीभीत	..	पूरनपुर
रामपुर	..	रामपुर
		सौर
बिजनौर	..	नहटौर
		अफ़ुजलगढ़
		कीरतपुर
		स्योहरा
इलाहाबाद	..	..
फर्रुखाबाद	..	छिबरामऊ
इटावा	..	औरैया
		भर्थना
फतेहपुर	..	बिन्दकी
झांसी	..	बरुआसागर
		समथर
		सिविरगांव
ललितपुर	..	..
बांदा	..	चित्रकूटधाम
		अतर्रा

सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश विधान सभा

१		२
हमीरपुर	..	हमीरपुर
		मौदहा
		राठ
		चरखारी
		महोबा
कानपुर	..	..
वाराणसी	..	भदोही
		रामनगर
		मुगलसराय
मिरजापुर	..	चुनार
जौनपुर	..	मोंगराबादशाहपुर
		शाहगंज
बलिया	..	..
गाजीपुर	..	..
गोरखपुर	..	नौतनवां
आजमगढ़	..	मुबारकपुर
देवरिया	..	देवरिया
		पड़रौना
		गोराबरहज
बस्ती	..	..
लखनऊ	..	..
उन्नाव	..	बंगरमऊ
सीतापुर	..	बिसवां
		तीमसार मिश्रिख
		लहरपुर
हरदोई	..	सान्डी
		बिलग्राम
रायबरेली	..	..

विधान सभा उत्तर प्रदेश

१		२
खीरी	..	गोलागोकरननाथ
		मुहम्मदी
		पलिया
फैजाबाद	..	अकबरपुर
		अयोध्या
बहराइच	..	..
गोन्डा	..	नवाबगंज
		कर्नलगंज
सुल्तानपुर	..	..
प्रतापगढ़	..	..
बाराबंकी	..	..
नैनीताल	..	रामनगर
		रुद्रपुर
		जसपुर
		ठनकपुर
अल्मोड़ा	..	बागेश्वर
पिथौरागढ़	..	पिथौरागढ़
गढ़वाल	..	पौड़ी
		कोटद्वार
		श्रीनगर
		लुगड्डा
		कालागढ़
उत्तरकाशी	..	उत्तरकाशी
देहरादून	..	ऋषिकेश
		चिकासनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३ : (२) के तारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८ पर ।)

विकास खंड एलिया, खैराबाद तथा परसेन्डी के भवन रहित प्राइमरी पाठशालाओं की सूची

विकास खंड, एलिया--

१--प्राइमरी पाठशाला, कुसुमा
२--प्राइमरी पाठशाला, नौरंगपुर
३--प्राइमरी पाठशाला, सेमोरा
४--प्राइमरी पाठशाला, ढोरहा
५--प्राइमरी पाठशाला, सहरोई
६--प्राइमरी पाठशाला, बीबीपुर
७--प्राइमरी पाठशाला, जगना
८--प्राइमरी पाठशाला, शेरपुर
९--प्राइमरी पाठशाला, सेमहरन
१०--प्राइमरी पाठशाला, सहरोई सिकिटहा
११--प्राइमरी पाठशाला, दखिया

विकास खंड, खैराबाद--

१--प्राइमरी पाठशाला, सुजावतपुर
२--प्राइमरी पाठशाला, जेतोखेरा
३--प्राइमरी पाठशाला, टिकरिया
४--प्राइमरी पाठशाला, निजामाबाद
५--प्राइमरी पाठशाला, अकोइया
६--प्राइमरी पाठशाला, जैमतपुर
७--प्राइमरी पाठशाला, मुबारकपुर
८--प्राइमरी पाठशाला, चौबेपुर
९--प्राइमरी पाठशाला, कोड़री प्राचीन
१०--प्राइमारी पाठशाला, कोड़री नवीन
११--प्राइमरी पाठशाला, चिलवारा
१२--प्राइमरी पाठशाला, भगौतीपुर
१३--प्राइमरी पाठशाला, पकरिया
१४--प्राइमरी पाठशाला, नगरा
१५--प्राइमरी पाठशाला, ऐमीपुर

विधान सभा

१६--प्राइमरी पाठशाला, इलासिया

१७--प्राइमरी पाठशाला, मधुवापुर

१८--प्राइमरी पाठशाला, अशरफापुर

विकास खंड, परसेन्डी--

१--प्राइमरी पाठशाला, शाहम होती

२--प्राइमरी पाठशाला, मजातसपुर

३--प्राइमरी पाठशाला, मेवारामनगर

४--प्राइमरी पाठशाला, हिलालपुर

५--प्राइमरी पाठशाला, कलाब बहादुरपुर

६--प्राइमरी पाठशाला, अमर मोती सिंह

७--प्राइमरी पाठशाला, शेरपुर मरावां

८--प्राइमरी पाठशाला, अराखेमजीतपुर

९--प्राइमरी पाठशाला, गढ़ीहुसेनपुर

१०--प्राइमरी पाठशाला, टप्पा खजुरिया

११--प्राइमरी पाठशाला, खांसी

१२--प्राइमरी पाठशाला, देना

१३--प्राइमरी पाठशाला, अंगुडासी

१४--प्राइमरी पाठशाला, मुराईपुर

१५--प्राइमरी पाठशाला, पगरोई

१६--प्राइमरी पाठशाला, खजुरिया अवासी

१७--प्राइमरी पाठशाला, भूसेपुर

१८--प्राइमरी पाठशाला, उलजापुर

१९--प्राइमरी पाठशाला, सेवापुर

२०--प्राइमरी पाठशाला, शाहपुर

२१--प्राइमरी पाठशाला, कसरैला

२२--प्राइमरी पाठशाला, भदमौसी

२३--प्राइमरी पाठशाला, पट्टी सनेई

२४--प्राइमरी पाठशाला, मझिगवां

२५--प्राइमरी पाठशाला, उमरीशाहीपुर

२६--प्राइमरी पाठशाला, इमलिया

विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिए नियम ३८ (२) के तारांकित प्रश्न संख्या ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६ पर] ।

प्रेषिका,

उप बालिका विद्यालय निरीक्षका, बहराइच ।

सेवा में,

अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), बहराइच ।

महोदय,

आपके पत्रांक स० कु० प०/६७२०/७७-७८ के दिनांक २५-२-७८ प्रसंगों में निवेदन है कि उपरोक्त पत्र में दिए गए निर्देशानुसार मैंने दिनांक १४-३-७८ को कन्या प्राइमरी पाठशाला अकबरपुर विकास खंड हरिहरपुर रानी का स्थानीय जांच किया जिसकी आख्या निम्नवत् है ।

कन्या प्रा० पा०, अकबरपुर का परिषदीय भवन नहीं है बल्कि श्री राम छबीले द्वारा निर्मित एक फुस की मढ़ई में लगाया जाता था । यह विद्यालय विगत माहों से बन्द है इसकी पुष्टि हेतु ग्राम प्रधान से सत्यापन कराने की चेष्टा की गई परन्तु ग्राम प्रधान नहीं मिले। गांव के अन्य लोगों से पूछ ताछ से पता चला कि विद्यालय लगभग आठ माहों से बन्द है तथा क्षेत्रीय निरीक्षका ने दिनांक ८-२-७८ को विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया उस समय भी विद्यालय बन्द था तथा उनके अन्य निरीक्षणों के समय विद्यालय खुला रहा ऐसी सूचना संबंधित निरीक्षकों द्वारा दिया गया है । अध्यापक अनुपस्थिति का क्षेत्रीय निरीक्षका द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया है । संबंधित अध्यापक श्री कृपा राम द्वारा आतिथि स्पष्टीकरण न देने की दशा में उनका वेतन मार्च, १९७८ का रोक दिया गया है । शेष अनियमितताओं हेतु विस्तृत जांच जारी है ।

सत्यापित

ह० (अपठनीय), २९-८-७८

अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला),

बहराइच ।

भवदीय,

शान्ति जायसवाल,

४-४-७८

डिप्टी आई० जी० एस०

सेवा में,

बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला), बहराइच ।

आपके २५-२-७८ आदेशानुसार मैं अकबरपुर जांच हेतु गई वहां पर ग्रामवासियों ने बताया कि विद्यालय बन्द है किन्तु प्रधान जी से (रिपोर्ट से) ज्ञात हुआ है कि विद्यालय पचपकड़ी मजरे में लग रहा है ।

सत्यापित ।

ह० शान्ति जायसवाल,

दिनांक ४-४-७८

डिप्टी आई० जी० एस०

ह० (अपठनीय),

२९-८-७८

अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला),

बहराइच ।

नत्थी 'घ'

[देखिए नियम ३८ (२) के तारांकित प्रश्न संख्या ४१ का उत्तर आगे पृष्ठ ३८ पर) ।

कार्य की छान-बीन की गई एवं पाया गया कि नाले की तली में खुदाई को अधिक नपवाने के उद्देश्य से डोलों (Tatties) पर मिट्टी व घास लगाई गई व नाप के पश्चात् भी डोले नहीं हटाई गई । जगह-जगह डोलों को तोड़कर मिट्टी तली में चलते पानी में फैलाने का असफल प्रयास किया गया । यह अनियमिततायें तीन ठेकेदारों द्वारा अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता की लापरवाही के कारण हुई ।

सहायक अभियन्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु मुख्य अभियन्ता से आरोप पत्र बनाकर शासन को भिजवाने के लिए आदेश दिया गया है । अवर अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए मुख्य अभियन्ता को आदेश दे दिये गये हैं । अवर अभियन्ता व सहायक अभियन्ता का वर्तमान स्थान से स्थानान्तरण भी कर दिया गया है । सम्बन्धित तीनों ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट कर लिया गया है ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ३५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९ पर)।

नारी शिक्षा निकेतन इन्टर कालेज, लखनऊ को वर्ष १९७४–७५–७६ और १९७७ में दिए गए अनुदान का विवरण :—

१—विद्यालय के कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु अनुरक्षण तथा क्षतिपूर्ति अनुदान—

वर्ष	अनुदान की राशि
	रु०
१९७४–७५	७,११,२४३.७२
१९७५–७६	७,५२,७५०.००
१९७६–७७	७,२५,३१२.००

२—१९७६–७७ में अध्यापकों आदि को नियमानुसार देय अवशेष के भुगतान हेतु स्वीकृत अनुदान :—

रु०

१८,२२०.००

३—कक्षा ७ से १० तक की निःशुल्क शिक्षा के फलस्वरूप १५ प्रतिशत तथा २० प्रतिशत अंश जो विद्यालय को प्राप्त हुआ :—

वर्ष	क्षतिपूर्ति अनुदान का १५ प्रतिशत तथा २० प्रतिशत अंश
	रु०
१९७४–७५	६,७६५.७५
१९७५–७६	११,५४४.००
१९७६–७७	९,५१८.००

नत्थी 'च'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ३६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५० पर)

प्रगति आख्या माह, १९७८

खंड का नाम—प्रान्तीय खंड सा० नि० वि० फैजाबाद वृत्त का नाम—२३ वृत्त सा० नि० वि० फैजाबाद

क्रम-सं०	योजनावार कार्य का नाम	स्वीकृत: लागत लाख में	स्वीकृत: लम्बाई कि० मी०	स्वीकृत: भूमि अध्यापित	भौतिक प्रगति १०/१९७८: मिट्टी का कार्य	भौतिक प्रगति १०/१९७८: पुल व पुलिया	निचली सतह: एकत्रीकरण	निचली सतह: कुटाई	मध्य: एकत्रीकरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
	वर्तमान सरकार द्वारा किया गया कार्य								
१	बाला पकौली सराय बीरपुर मार्ग	५.५०	६ ५०	..	६.५०	..	६.५०	६.५०	४.००
२	मायाबाजार महबूबगंज मार्ग	९.५०	१२.८२५	..	१२.८२५	..	१२.८२५	१२.८२५	१२.८२५
३	महरुवा मथानी मार्ग	५.३०	७.१०	..	७.१०	..	७.१०	७.१	३.००

अवैध प्रकाशन विधान सभा

		सतह	ऊपरी सतह		कि० मी० में		वित्तीय प्रगति लाख में			विवरण
		कुटाई	एकत्री-करण	कुटाई	लेपन प्रथम	सतह द्वितीय	मास में रुपए में	चालू वित्तीय वर्ष में	प्रारम्भ से अब तक	वर्ष १९७८-७९ का अनुदान लाख में
१	२	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
	वर्तमान सरकार द्वारा किया गया कार्य									
१	बाला पकौली सराय बीरपुर मार्ग	१.००	२.००	१.००	..	..	..	..	०.९९	२.००
२	माया बाजार महबूबगंज मार्ग	७.००	८.००	२.००	..	..	७६,२७१	२.११	४.२४	३.५०
३	महरुवा मथानी मार्ग	३.००	..	..	..	..	१५,७३८	०.२०	१.०६	४.५६

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५३ पर)।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की मान्यता समितियों के पदाधिकारियों की सूची

१--मान्यता समिति, इलाहाबाद

१--श्री जगदीश शरण अग्रवाल	संयोजक
२--श्री गिरजा कुमार दूबे	सदस्य
३--श्री देवेन्द्र मिश्र	,,
४--श्री सुजान सिंह	,,
५--श्री ज्ञान चन्द्र अग्रवाल	,,
६--परिषद् का सचिव या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर सचिव, पदेन सदस्य सचिव के रूप में।	
७--एक स्थान रिक्त	

२--मान्यता समिति, मेरठ

१--श्री सोहन बीर सिंह तोमर	संयोजक
२--श्री जगवीर किशोर जैन	सदस्य
३--श्री कटार सिंह राजा	,,
४--श्री एम० वाई० अन्सारी	,,
५--श्री मोहन लाल कपूर	,,
६--परिषद् के सचिव या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर सचिव पदेन सदस्य सचिव के रूप में।	
७--एक स्थान रिक्त।	

३--मान्यता समिति, वाराणसी

१--श्री राम धारी शास्त्री	संयोजक
२--श्री प्रभु नारायण सिंह	सदस्य
३--श्री शारदा प्रसाद पान्डेय	,,
४--श्री पाचू राम विश्वकर्मा	,,
५--श्री बदन सिंह	,,
६--श्रीमती सरिता यादव	,,
७--परिषद् के सचिव या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर सचिव पदेन सदस्य सचिव के रूप में।	

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ७३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६० पर) ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के तार दिनांक ३० सितम्बर, १९७८ की प्रतिलिपि

Shri G. P. Mital, Education Secretary, Lucknow.

Deeply concerned to learn from press reports about protest action of the University Teachers against mass copying Lucknow University Examinations stop unless University takes remedial action to improve situtation comission may regretfully to impose ban for release of Development Grants to University in the interest of maintenance of standards.

Satish Chandra Unigrants

तार का हिन्दी रूपान्तर

श्री जी० पी० मीतल, शिक्षा सचिव, लखनऊ ।

लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सामूहिक नकल के विरुद्ध विश्वविद्यालय अध्यापकों की विरोध प्रकट करने की कार्यवाही के सम्बन्ध में समाचार पत्रों की रिपोर्ट जानकर अत्यधिक चिन्तित–विराम–यदि विश्वविद्यालय स्थिति में सुधार हेतु उपचारात्मक कार्यवाही नहीं करता तो आयोग स्तर बनाये रखने के हित में विश्वविद्यालय के विकास अनुदान अवमुक्त करने पर सखेद प्रतिबन्ध लगा सकता है––

सतीश चन्द्र यूनीग्रान्टस्––

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१ पर) ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (पुरुष) द्वारा निरीक्षित विद्यालयों की सूची माह नवम्बर, १९७८

१--प्राइमरी पाठशाला नानपारा, विकास क्षेत्र बलहा ।

२--आदर्श प्राइमरी पाठशाला प्रयागपुर, विकास क्षेत्र प्रयागपुर ।

३--राजकीय दीक्षा विद्यालय जूनियर हाई स्कूल, प्रयागपुर विकास क्षेत्र प्रयागपुर ।

४--प्राइमरी पाठशाला चिलवारिया, विकास क्षेत्र चितौरा ।

५--जूनियर हाई स्कूल चिलवारिया, विकास क्षेत्र चितौरा ।

६--प्राइमरी पाठशाला भिनगा विकास, क्षेत्र हरिहरपुर रानी ।

७--जूनियर हाई स्कूल भिनगा, विकास क्षेत्र हरिहरपुर रानी ।

× × ×

अतिरिक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) द्वारा निरीक्षित विद्यालयों की सूची नवम्बर, १९७८ ।

१--कमोत्तर कन्या विद्यालय बाबागंज, विकास क्षेत्र नवाबगंज ।

२--प्राइमरी पाठशाला कन्या बाबागंज, विकास क्षेत्र नवाबगंज ।

३--कन्या जूनियर हाई स्कूल, रिसिया, विकास क्षेत्र रिसिया ।

४--कन्या प्राइमरी पाठशाला रिसिया, विकास क्षेत्र रिसिया ।

५--कमोत्तर विद्यालय (कन्या) पुलिस लाईन, विकास क्षेत्र चितौरा ।

६--कन्या प्राइमरी पाठशाला पुलिस लाईन, विकास क्षेत्र चितौरा ।

७--कमोत्तर विद्यालय (कन्या) नगरार, विकास क्षेत्र चितौरा ।

८--कन्या प्राइमरी पाठशाला नगरार विकास क्षेत्र चितौरा ।

९--कन्या प्राइमरी पाठशाला बेरिया, विकास क्षेत्र चितौरा ।

१०--कमोत्तर कन्या विद्यालय, सोहखा, विकास क्षेत्र चितौरा ।

११--कन्या प्राइमरी पाठशाला, सोहखा, विकास क्षेत्र चितौरा ।

१२--कन्या जूनियर हाई स्कूल, भूपगंज, विकास क्षेत्र चितौरा ।

१३--कन्या प्राइमरी पाठशाला, भूपगंज, विकास क्षेत्र चितौरा ।

पी० एस० यू० पी०--७८ वि० सभा--२३-१-७९--८३५ (पी० डी०)